लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 4th LOK SABHA DEBATES

Second Session

खंड 4, 1967 / 1889 (शक)
Volume (IV), 1967/1889 (Saka)

[6 जून से 19 जून, 1967 / 16 ज्येष्ठ से 30 ज्येष्ठ, 1889 (शक)]
[June 6 to June 19, 1967/ Jyaistha 16 to Jyaistha 30, 1889 (Saka)]

दूसरा सत्र, 1967/1889 (शक)
Second Session, 1967/1889 (Saka)

(खण्ड 4 में अंक 11 से 20 तक हैं)
(Volume (IV) Contains Nos. 11 to 20)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

दिनांक 12 जून, 1967 । 22 ज्येष्ठ, 1889 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
1961	पंक्ति 14 , ` Shri Ragi Ray ` के स्थान पर Shri Rabi Ray ' पढ़िये ।
1970	पंक्ति 8, `(बसिरदार ) ` के स्थान पर`( बसिरहाट ) `पढ़िये ।

विषय–सूची/CONTENTS

अंक 15 सोमवार, 12, जून 1967/22 ज्येष्ठ, 1889 (शक)

No. 15–Monday, June 12, 1967/Jyaistha 22, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
422	नागाओं की आक्रामक गतिविधियां	Hostile Activities of Nagas	1895–1896
423	नागाओं का चोरी–छिपे चीन चला जाना	Escape of Naggas to China ..	1896–1897
439	नागालैंड में चीन के लोग	Chinese in Nagaland ..	1897
445.	नागालैंड़ में सैनिक कार्यवाई रोकना	Cease fire in Nagaland ..	1898–1907
426	परमाणु विज्ञान की शिक्षा	Education in Atomic Science	1907–1908
427	सेवा मुक्त किये गये एमर्जेन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारी	Released Emergency Commissioned Officers	1908–1910
428	भारत–अफ्रीकी संयुक्त उपक्रम	Indo-African Joint Ventures	1910–1912
429	भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारी	Ex-I.N.A. Personnel ..	1912–1913

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWARS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.			
421	अमरीका द्वारा पाकिस्तान को घातक हथियारों के पुर्जो की सप्लाई	US Lethal spares for Pakistan	1913
424	अरब देशों के साथ भारत के सम्बन्ध	India's relations with Arab Countries ..	1913–1914
425	अमरीका की सहायता से पाकिस्तान में सैनिक अड्डों का पुनर्निर्माण	Reconstruction of Military Bases in Pakistan with the help of USA.	1914

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता. प्र. संख्या / S. Q. Nos. विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी) / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
430 अन्तरिक्ष सम्बन्धी अनुसन्धान	Space Research	1914
431 बिना विभाग के मंत्री	Minister without Portfolio	1915
432 परमाणु हथियारों संबंधी नीति	Nuclear Policy	1915
433 मुक्त किये गये एमर्जेन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिये रोजगार	Jobs for released Emergency Commissioned officers – ..	1915–1916
434 पूना के महापौर को बिहार सहायता कोष के लिए आकाशवाणी से अपील प्रसारित करने की अनुमति देने से इन्कार	Refusal to Mayor of Poona to Broadcast an Appeal for Bihar Relief Fund	1916–1917
435 परमाणु जानकारी आदि (टैक्नोलोजी) बेचने के बारे में कनाडा की नीति	Canada's Policy re: Sale of Nuclear Technology	1917
436 भारत-पाकिस्तान शांति वार्ता न होने देने का चीन द्वारा प्रयास	Chinese Attempt to Scuttle Indo-Pak. peace talks	1917–1918
437 भारतीयों को ब्रिटेन जाने के लिए प्रवेश प्रमाणपत्र	Entry Certificates by Indians for visiting U.K. .. –	1918
438 भूतपूर्व केन्द्रीय गृह कार्य मंत्री द्वारा प्रसारण	Broadcast by former Union Minister of Home Affairs	1918–1919
440 वृत चित्रों के बारे में विचार गोष्टी	Seminar on Documentary Films	1919
441 चीन द्वारा अन्तर्महाद्वीपी प्राक्षेपिक मिसाइल का परीक्षण	Testing of Intercontinental Ballistic Missile by China	1919–1920
442 पश्चिम एशिया में संकट	West Asian Crisis	1920
443 इन्डोनेशिया और पाकिस्तान के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास	Indonesia Pak Naval Exercises ..	1920–1921
444 प्रतिरक्षा कारखानों के लिए अमरीकी उपकरण	US Equipment for Defence Factories ..	1921

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

446	ताशकंद घोषणा के बारे में सोवियत दृष्टिकोण	Soviet attitude to Tashknet Declaration ..	1921–1922
447	पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार	Anti Indian compaign by Pakistan ...	1922
448	जल संसाधनों के प्रयोग के बारे में पाकिस्तान के साथ करार	Agreement with Pakistan about use of water resources	1922
449	पश्चिम बंगाल और आसाम के बीच बरास्ता पाकिस्तान यातायात	Traffice between West Bengal and Assam through Pakistan	1923
450	सशस्त्र सेनाओं के सैनिकों के परिवारों के लिए आवास की व्यवस्था	Accommodation for Families of Armed Forces	1923–1924

अता. प्रश्न संख्या/U. S. Q. Nos.

2121	टेलिविजन सेटों का निर्माण	Manufacture of T. V. Sets	1924
2122	मिग विमान	MIG Planes	1924–1925
2123	भारतीय वायु सेना में दुर्घटनायें	Accidents in IAF ..	1925
2124	सैनिक आयुध कोर,(आर्मी आर्डिनेंस कोर, के असैनिक कर्मचारी)	Army Ordnance Corps Civilian Staff ..	1925–1926
2125	आर्डनेंस ट्रांजिट डिपो कर्मचारी यूनियन, अली-पुर (कलकत्ता)	Ordnance Transit Depot Karmachari Union (Calcutta)	1926–1927
2126	विशेष सूची (स्पेशल लिस्ट) के कमीशन	.. ..	1927
2128	सस्ती कीमत पर ट्रांजिस्टर	Transistors at Cheap Rates ..	1927–1928
2129	भारत–पाकिस्तान संघर्ष में मृत सैनिकों की विधवाओं के लिये मकानों के प्लाट	Housing plots for widows of servicemen killed in Indo-Pak conflict	1928

2130	कोरापुट की मिग फैक्टरी के लिये भर्ती	Recruitment to MIG Factory Koraput	1928–1929
2131	टेलीविजन सेटों का निर्माण	Manufacture of Television Sets	1929
2132	पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार	Trade with East and S. E. Asia	1929–1930
2133	सेना में भर्ती	Recruitment to Army	1930–1931
2134	फिल्म उद्योग	Film Industry ..	1931
2135	टेलीविजन सैटों के निर्माण के लिये नियत धन को खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए लगाना	Diversion of Funds for Production of Television Sets to boost up the food production ..	1931–1932
2136	महात्मा गांधी के संस्मरणों का इक्ट्ठा करने के लिये प्रतिनिधि मंडल	Delegation for collecting Reminiscences of Mahatma Gandhi	1932
2137	मास्टर तारासिंह को पाकिस्तान जाने के लिये पासपोर्ट देने से इन्कार	Refusal of passport to Master Tara Singh for going to Pakistan	1932-1933
2138	हवलदारों तथा अदर रैंक्स के परिवारों के रहने के लिए क्वार्टर	Married Accommodation for Havildars and other Ranks in Indian Army	1933
2139	आकाशवाणी से बाजार भावों का प्रसारण	Price Bulletin Broadcast by A. I. R. ..	1933
2140	तिब्बती शरणार्थी	Tibetan Refugees	1933–1934
2141	चावरा (केरल) स्थिति मिनरल वर्क्स	Mineral Works at Chavara (Kerala) ...	1934
2142	कांगड़ा जिले में वायु सेना द्वारा बम गिराने का अभ्यास	Air force Bombing Exercises in Kangra District	1934–1935
2143	लेबनान में भारत के लिए धन इक्ट्ठा करना	Collection of Funds for India in Lebabon ..	1935

2144	फिल्म सैंसर बोर्ड	Board of Film Cessors ..	1935–1936
2145	विशिष्ट व्यक्तियों (वी.–आई. पी) द्वारा भारतीय वायु सेना के विमानों का प्रयोग	Use of IAF Planes by V. I. Ps.	1936
2146	प्रास्तावित 'नाइन टाइगर मैन' फिल्म	Proposed 'Nine Tiger Man' Tiger Film ...	1937
2147	नाविक प्रशिक्षण संस्था	Naval Training Establishment	1937
2148	दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के बीच सहयोग	South East Asian Regional Cooperation ...	1938
2149	उत्तर प्रदेश में सैनिक अभ्यास	Military Exercises in U. P.	1938
2150	ईराक के प्रतिरक्षा मंत्री की यात्रा	Visit of Iraqi Defence Minister	1938
2151	सैनिक फार्म	Military Farms ...	1939
2152	परमाणु बिजलीघर, मद्रास	Atomic Power Station, Madras ...	1939–1940
2153	चुम्बन के बारे में विचार गोष्ठी	Seminar on 'Kissing' ...	1940
2154	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण	National Sample Survey	1940
2155	हिन्दी न्यूज रीडर (समाचार वक्ता)	Hindi News Readers	1940–1941
2156	पाकिस्तान के साथ काश्मीर के प्रश्न पर वार्ता का प्रस्ताव	Proposal to discuss Kashmir Issue with Pakistan	1941–1942
2157	राष्ट्रीय रक्षा कोष	National Defence Fund	1942
2158	टैक्सियों पर व्यय	Expenditure on Taxis ...	1942
2159	छावनी बोर्ड के कर्मचारी	Cantonment Board Employees ...	1942–1943
2160	ग्वालियर स्थित जीवनी औद्योगिक अनुसन्धान प्रयोगशाला का विस्तार	Expansion of Jivaji Industrieal Research Laboratory Gwalior	1943

2161	उड़ीसा में सैनिक स्कूल	Sainik School in Orissa ...	1943–1944
2162	पाकिस्तान में नजरबन्द भारतीय लोग	Indians detained in Pakistan ...	1944–1945
2163	सरगुजा जिले में सड़क	Road in Sarguja District ...	1945–1946
2164	विभिन्न भाषाओं के समाचार-पत्र	Papers in Languages ...	1946
2166	चीन के साथ बातचीत	Discussions with China	1946–1947
2167	पब्लिकेशन डिवीजन में विक्रय प्रतिनिधि	Sales Representatives in Publications Division	1947
2168	केन्द्रीय सूचना सेवा	Central Information Service	1948
2169	आकाशवाणी के शक्तिशाली ट्रांसमीटर	Powerful A.I.R. Transmitters	1948
2170	दिल्ली के केन्द्रीय आयुध डिपो से टी. एम. वी. सामान (स्टोर) की चोरी	Theft of T. M. B. Store, C. O. D. Delhi ...	1948–1949
2171	हवाई अड्डों के लिये अर्जित खेती योग्य भूमि	Cultivable land Acquired for Aerodromes ...	1949
2173	सियोल में भारतीय वाणिज्य दूतावास	Indian Consulate at Seoul ...	1949
2174	नक्सलबाडी आन्दोलन के नेताओं का नेपाल को भाग निकलना	Excape of Leaders of Naxalbari Agitation to Nepal	1950
2175	वियतनाम में संघर्ष	Conflict in Vietnam	1950
2176	संयुक्त राष्ट्र संघ को भारत का वित्तीय योगदान	India's Financial Contribution to U.N.O. ...	1951
2177	आकाशवाणी के पणजी केन्द्र से मराठी कार्यक्रम	Marathi Programme from Panaji AIR Station	1951
2178	प्रतिरक्षा सम्बन्धी अध्ययन तथा विश्लेषण की संस्था	Institute of Defence Studies and Analyses ...	1951–1952

2179 प्रेस संवाददाताओं को मान्यता देने के बारे में केन्द्रीय समिति	Central Press Accreditations Committee ...	1952–1953
2180 आसाम में भूमि का अर्जन	Aequisition of Land in Assam	1953
2181 प्रतिरक्षा कर्मचारियों के कब्जे में रिहायशी क्वार्टर	Residential Qnarters under occupation of Defence Personnel	1954
2182 गोआ में हवाई अड्डा	Aerodrome in Goa ...	1954–1955
2183 आसाम में सैनिक स्कूल	Sainik Schools in Assam ...	1955
2184 प्रतिरक्षा विभाग की प्रथम श्रेणी की सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति	S. C. and S. T. Candidates in Class–I Services in Defence ...	1955-1956
2185 न्यूज रीडर (समाचार वक्ता)	News Readers	1956
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	1956–1957
पोप द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के विषय में रोम स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति जिस में तथ्यों की गलत बयानी की गयी थी	Communique issued by Indian Embassy in Rome giving wrong facts relating to views expressed Pope	1956
श्री म. ला. सोंधी	Shri M. L. Sondhi ...	1956
डा. चन्द्रशेखर	Dr. Chandra Shekhar	1956–1957
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	1958
राज्य सभा से सन्देश	Massage from Rajya Sabha	1959
पारपत्र विधेयक	Passports Bill	1959
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	As passed by Rajya Sabha ..	1959
केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई) की रिपोर्ट उड़ीसा सरकार को न दिये जाने के बारे में ध्यान दिलाने वाली सूचना में उठाये गये मामलेके बारे में विनिर्णय	Ruling on point raised in Calling Attention Notice relating to Non–supply of CBI Report to Orissa Government ..	1959–1961

समिति के लिये निर्वाचन	Election to Committee	1962
राष्ट्रीय छात्रसेना दल की केन्द्रीय सलाहकार समिति	Central Advisory Committee for National Cade Corps	1962
सामान्य आयव्ययक, 1967–68 सामान्य चर्चा	General Budget 1967–68 General Discussion...	1962
श्री अहमद आगा	Shri Ahmed Agha	
श्री जी. मा. कृपलानी	Shri J. B. Kripalani	
श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा	Shrimati Lakshmikanthamma	
श्री गु. सिं ढिल्लों	Shri G. S Dhillon	
श्रीमती सुशीला गोपालन	Shrimati Suseela Gopalan	
श्री न. कु. साल्वे	Shri N. K. P. Salve	
श्री हुमायुन कबिर	Shri Humayun Kabir	
श्री अशोक मेहता	Shri Ashoka Mehta	
श्री विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi	
श्री सेक्वीरा	Shri Sequeira	
'शिव सेना' के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Disscussion Re. 'Shiv Sena'	
श्रीमती सुशीला गोपालन	Shrimati Suseela Gopalan	
श्री वी. कृष्णमूर्ति	Shri V. Krishnamoorthi	
श्री श्रीधरन	Shri Sreedharan	
श्री क लाकप्पा	Shri K. Lakkappa	
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 12, जून 1967/22 ज्येष्ठ, 1889 (शक)
Monday, June 12, 1967/Jyaistha 22, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER *in the chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : सभा प्रश्नों को लेगी—श्री इन्द्रजीत गुप्त—श्री च० का० भट्टाचार्य श्री आतम दास सभी अनुपस्थित हैं। अगला प्रश्न श्री यशपाल सिंह।

श्री यशपाल सिंह : प्रश्न संख्या 422।

श्री स्वैल : श्रीमानजी एक ही विषय पर चार प्रश्न है। वे हैं प्रश्न संख्या 422, 423, 439 और 445। मेरा सुझाव है कि इन सब को एक साथ ले लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : हां, मैं इससे सहमत हूं।

नागाओं की आक्रामक गतिविधियां

\+

* 422 **श्री यशपालसिंह :**
श्री विश्वनाथ राय :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री अर्जुन सिंह मदौरिया :
श्री रामसेवक यादव :
श्रीमती ज्योत्सना चंदा :
श्री ओंकार सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रामचन्द्र विरप्पा :
श्री इब्राहीम सुलैमान सेट :
श्री रामपुरे :
श्री न० कु० सांघी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री जगन्नाथ राव जोशी : श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री राम सिंह अयरवाल : श्री हेम बरुआ
श्री मोहन स्वरुप : श्री नाथपाई :
श्री रा० बरुआ : श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री चं० चु० देसाई : श्री धुलेश्वर मीना :
श्री काशी नाथ पांडे : श्री ख० प्रधानी :
श्री य० अ० प्रसाद : श्री हीरजी भाई :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद के गत सत्र की समाप्ति के बाद से विद्रोही नागाओं की आक्रामक गतिविधियां बढ़ गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो अप्रैल और मई, 1967 में सुरक्षा सेना की इन नागाओं के साथ हुई प्रत्येक मुठभेड़ का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनकी गतिविधियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) संसद के पिछले अधिवेशन के बाद से छिपे नागाओं की उपद्रवकारी गतिविधियों में कुल मिलाकर कोई बढ़ती नहीं हुई है।

(ख) नवम्बर 1966 से मई 1967 तक छिपे नागाओं और हमारे सुरक्षा सैनिकों के बीच जितनी मुठभेड़ें हुई हैं, उनका एक विस्तृत ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 601/67]**

(ग) राज्य सरकार ने जब कभी आवश्यक हुआ है समुचित कार्रवाई की है। इस तरह की वारदातें फिर न होने पावें, इसके लिए भी कारगर उपाय किये जा रहे हैं। लड़ाई बंद रखने से संबद्ध समझौते के उल्लंघनों को रोकने के लिए शान्ति प्रेक्षक दल की सहायता भी ली गई है जो कि नागालैंड में कार्य कर रहा है।

नागाओं का चोरी-छिपे चीन चला जाना

+

* 423 **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या नागा विद्रोहियों के बर्मा में काचीनारा होकर बड़े पैमाने पर चीन चले जाने से इस बात का संकेत मिलता है कि इन नागा विद्रोहियों तथा उत्तरी बर्मा के काची-नारा विद्रोहियों के बीच सांठगांठ है;

(ख) क्या यह सच है कि काचीनारा के विद्रोहियों ने वस्तुतः इन नागा विद्रोहियों को चीन की सीमा तक पहुंचाने में दुर्गम क्षेत्र से होकर निकलने में सहायता की;

(ग) क्या सरकार को पता है कि भारत की त्रिपुरा सीमा चीन की सीमा से 200 मील की दूरी पर है और बिना उचित मार्ग-दर्शन के नागा विद्रोही या तो बर्मा के राज्य क्षेत्र में चले जाने अथवा बर्मा के दुर्गम क्षेत्र में भटकते जाते; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) सरकार के पास सुलभ सूचना के अनुसार छिपे नागाओं को बर्मा में रहने वाले कुछ तंगसा नागाओं की और दूसरों की कुछ मदद मिली थी। कचिनों के साथ कोई औपचारिक दुरभिसंधि होने के बारे में कोई सूचना नहीं है। बहुत सम्भव है कि कचिनों के कुछ दलों ने बर्मा होकर आगे जाने में उनकी मदद की हो।

(ग) तीरप (हम समझते हैं कि यहां अभिप्राय तीरप से है त्रिपुरा से नहीं) की सीमा से बर्मा प्रदेश होते हुए चीन का निकटतम स्थान लगभग 200 मील होगा।

(घ) जन-धन के सुलभ साधनों की सीमाओं में रहते हुए सभी सम्भव उपाय बरते जा रहे हैं। लेकिन, कठिन रास्ते के कारण और दूर-दूर तक फैले इलाके के कारण कुछ नागा चोरी-छिपे भारत से जाने-आने में सफल हो जाते हैं। इस मामले में बर्मा के अधिकारियों ने हमारे साथ जितना सम्भव था, सहयोग किया है।

नागालैंड में चीन के लोग

\+

* 439 **श्री स्वैल :**
श्री हेन बरुआ :
श्री नाथपाई :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री दिग्विजय नाथ :
श्री डा० सूर्यप्रकाश पुरी :
श्री यशवंत सिंह कुशवाह :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री समर गुह :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट के बारे में जांच की है कि हाल में चीन के कुछ लोग नागालैंड चोरी–छिपे आये थे ;

(ख) क्या इस रिपोर्ट में कुछ सचाई है ; और

(ग) क्या सरकार इस नई स्थिति को ध्यान में रखते हुए नागा स्थिति के बारे में अपनी नीति फिर से बनाएगी ?

वैदेशिक-कार्य (मन्त्री श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) इस रिपोर्ट में कुछ सचाई नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नागालैंड में सैनिक कार्रवाई रोकना

श्री दी० चं० शर्मा :

श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड में सैनिक कार्रवाई रोकने की अवधि फिर बढ़ा दी गई है ?

(क) इस अवधि को कब तक सरकार बढ़ाती रहेगी ; और

(ग) इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) लड़ाई बन्द रखने से सम्बद्ध समझौते की अवधि, युद्ध विराम को नहीं, 31 अगस्त 1967 तक बढ़ा दी गई है ।

(ख) और (ग) इस बारे में भारत सरकार की स्थिति सदन में बार-बार स्पष्ट की जा चुकी है । चूंकि भारत सरकार का उद्देश्य शांतिपूर्ण समाधान खोजना है, इसलिए वह लड़ाई बन्द रखने की अवधि को तबतक बढ़ाते रहने के लिए तैयार है जबतक कि दूसरा पक्ष इसकी व्यवस्थाओं का पालन करे और बातचीत करता रहे ।

Shri Yashpal Singh : Are Government aware that the Naga hostiles have started giving assistance to the Mizo hostiles and that Naga hostiles are provided with full training facilities by China and Pakistan ?

श्री मु० क० चागला : जी हां, ऐसी कुछ खबरें हमें प्राप्त हुई हैं । नागा विद्रोहियों और मिज़ो विद्रोहियों में कुछ सांठगांठ है और यह कि उनको पाकिस्तान द्वारा सहायता दी जा रही है ।

Shri Yashpal Singh : Of what origin are the arms used by the Naga hostiles ?

श्री मु० क० चागला : मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है ।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know whether Government are aware that about 1500 Naga hostiles have of late returned to India, after receiving training in Pakistan and are Government taking any steps to impose a check on the persons receiving training.

श्री मु० क० चागला : हमारे पास यह जानकारी नहीं है कि 1500 नागा पाकिस्तान गये । मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य ने यह संख्या कहां से प्राप्त की है । परन्तु हमारे पास यह जानकारी है कि एक छोटी सी संख्या में नागा पाकिस्तान गये थे और उन्होंने वहां प्रशिक्षण प्राप्त किया है ।

Shri Siddheshwar Prasad : From the statement it is abundantly clear that the hostile activities of Nagas were mainly located outside Nagaland. Does it not explain that Nagas have been given more rights in Nagaland than in other areas for which reason they have intensified their hostile activities in Manipur and other areas ?

श्री मु० क० चागला : मैं नहीं समझता कि मेरे माननीय मित्र की धारणा सही उचित है । सुरक्षा सम्बन्धी उपाय सारी सीमाओं पर किये जाते हैं । मैं नहीं जानता कि संयोग-वश ऐसा हुआ या इसके कोई कारण भी हो सकते हैं परन्तु मेरे माननीय मित्र की यह बात सही है कि आंकड़ों से यही पता चलता है कि नागालैंड में केवल एक ही घटना घटी गई। परन्तु, जैसा कि मैंने बताया मैं नहीं समझता कि यह धारणा उचित है ।

Shri Siddheshwar Prasad : Will be inquired into ?

श्री मु० क० चागला : निश्चित ही मैं जांच करूंगा ।

श्री स्वैल : माननीय मन्त्री ने कहा कि नागाओं और उत्तर बर्मा के काचिनों में कोई सांठगांठ नहीं है । परन्तु मुझे इसमें संदेह है क्योंकि वह इस सभा में जो वक्तव्य देते रहे हैं उनके बारे में उन्होंने बाद में चुप्पी साधली है । इस सभा में अनेक बार यह बात मानी गई है कि नागा चीन गये थे और यह कि उन्होंने उत्तरी बर्मा के काचिनों से सक्रिय सहायता प्राप्त की थी जहां पर कि बर्मा सरकार का हुक्म नहीं चलता है । नागाओं का यह दावा है कि काचिन नागाओं का एक दूसरा कबीला है । वे अपने आपको सिंगको नागा कहते हैं । मैं वैदेशिक कार्य मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या वह नागा फिडरल सरकार की नई घोषणा से अवगत हैं कि सभी नागा, चाहे वे आसाम, नागालैंड या उत्तर बर्मा या वर्तमान नेफा में रहते हों, वे एक ही प्रभुता-सम्पन्न सरकार के अन्तर्गत आने चाहिये और यह कि ये नागा क्षेत्र जो वे चाहते हैं चीन की सीमाओं के अन्दर जाते हैं । क्या माननीय मंत्री ने, चीन द्वारा नागालैंड फिडरल सरकार को निकट भविष्य में मान्यता दिये जाने और कथित नागा प्रभुता-सम्पन्न सरकार के साथ सीमा सम्बन्धी समायोजन किये जाने की संभावना पर विचार किया है ।

श्री मु० क० चागला : मेरे माननीय मित्र द्वारा निर्दिष्ट समाचारों को मैंने पढ़ा है । परन्तु मेरे माननीय मित्र बहुत अधिक प्रत्याशा कर रहे हैं । ऐसी सरकार नहीं बनाई गई है और इसलिये चीन द्वारा इसको मान्यता देने और हमारी सीमाओं को प्रभावित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रा० बरुआ : स्थिति को सामान्य बनाने में नागालैंड की सरकार कहां तक सहायक और प्रभावशाली है ?

श्री मु० क० चागला : नागालैंड राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये अपना भरसक प्रयत्न कर रही है कि उपद्रवी नागा कार्यवाही बन्द करने सम्बन्धी करार की शर्तों का उल्लंघन न करें । और यह आंकड़ों से भी स्पष्ट है कि इन महीनों में नागालैंड में केवल एक ही घटना घटी गई थी ।

श्री हेम बरुआ ; माननीय मंत्री ने प्रश्न संख्या 439 के उत्तर में बताया है कि नागालैंड में चीनियों ने घुसपैंठ नहीं की है यद्यपि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया ने यह समाचार दिया था उसने यह जानकारी अपने सूत्रों से प्राप्त की थी । वह कुछ भी हो, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार जानती है कि 1962 में चीनी आक्रमण के पूर्व चीनियों के एक जत्थे ने जांच पड़ताल करने के उद्देश्य से नागालैंड में प्रवेश किया जब इस मामले को यहां

उठाया गया तो यह कहा गया कि यह सच नहीं था, परन्तु अन्त में यह तथ्य सिद्ध हो गया था और नागालैंड सरकार के एक मन्त्री ने इस आशय का एक वक्तव्य भी दिया था और इस विशिष्ट मामले में यह सूचना दी गई है कि कुछ चीनियों को माकोकचंग में देखा गया था और वह जानकारी आसूचना रिपोर्टों के आधार पर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया द्वारा दी गई थी। क्या सरकार इस मामले की एक स्वतन्त्रता जांच करायेगी और यह पता लगाने का प्रयत्न करेगी कि क्या ये चीनी वास्तव में नागालैंड में घुसे हैं अथवा नहीं, क्या 1962 के आक्रमण की तरह यह भी चीनी आक्रमण का द्योतक है ?

श्री मु० क० चागला : प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया एक बहुत ही अच्छी समाचार एजेंसी है, परन्तु इसके सारे ही समाचार आवश्यक रूप से सही नहीं होते। मेरे माननीय मित्र की यह बात सही नहीं है कि इसने अपनी जानकारी आसूचना सूत्रों से ली थी। आसूचना ब्यूरो द्वारा समाचार एजेंसियों को जानकारी दिया जाना अपेक्षित नहीं है.....

श्री हेम बरुआ : प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया का पहला वाक्य इस प्रकार आरम्भ होता है, "आसूचना रिपोर्ट.....ये पहले शब्द हैं।

श्री मु० क० चागला : मै अपनी जानकारी का सूत्र आपको बताऊंगा। मैंने आसाम और नागालैंड के राज्यपाल से पूछताछ की थी और उन्होंने हमें बताया कि नागालैंड में चीनियों की उपस्थिति के बारे में न तो उनको और न ही एस० आई० डी० पता है। नागालैंड के वित्त मंत्री ने भी इस रिपोर्ट का अंगीकार किया था और कहा था कि यह मनघड़न्त है। उन्होंने आगे चल कर कहा नागालैंड में इसके बारे में हमने कुछ भी नहीं सुना है। उन्होंने कहा कि नागाओं की वापसी के बारे में कोई पुष्टि नहीं है.....

श्री हेम बरुआ : यह मेरा प्रश्न नहीं था।

श्री मु० क० चागला : नागलैंड में चीनियों की उपस्थिति के बारे में यह सरकारी जानकारी है। यह हमारी जानकारी का सूत्र है। नागालैंड में राज्यपाल और वित्त मंत्री जानते हैं कि वे क्या कह रहे हैं।

श्री हेम बरुआ : मेरा प्रश्न यह था। 1962 में चीनी आक्रमण से पूर्व चीनियों का एक दल नागालैंड में कोहिमा तक घुस आया। जब यहां मामला उठाया गया तो इससे इन्कार किया गया परन्तु बाद में नागालैंड के एक मंत्री ने इस खबर की पुष्टि की। इस बार भी यह खबर है कि चीनी नागालैंड तक आ गये हैं। अब मंत्री महोदय कहते हैं कि नागालैंड की सरकार और वहां के राज्यपाल इससे इन्कार करते हैं। अपने पिछले अनुभव को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं कि सरकार इसकी एक स्वतंत्र जांच कराये। क्या सरकार एक स्वतन्त्र जांच कराने के लिये तैयार है।

श्री मु० क० चागला : इतिहास अपने आपको सदैव नहीं दोहराता है। कभी कभी दोहराता है। मैं नहीं जानता कि मेरे माननीय मित्र ऐसी धारणा क्यों बनाये हुए हैं ?

श्री हेम बरुआ : हमने अपने स्कूल के दिनों में पढ़ा है कि इतिहास अपने आपको दोहराता है।

श्री मु० क० चागला : नागालैंड के राज्यपाल और नागालैंड की सरकार जो कि मौके पर मौजूद हैं उनमें पूछताछ करने के अतिरिक्त हम और क्या कर सकते हैं ? यदि हमें वहां से स्पष्ट उत्तर मिलता है कि इस समय नागालैंड में चीनियों का नामोनिशान नहीं है, तो हमें उस जानकारी को स्वीकार करना चाहिये ।

श्री दी० चं० शर्मा : हम समय-समय पर युद्ध विराम की अवधि को बढ़ाते रहे हैं और ऐसा लगता है कि युद्ध विराम अनिश्चित समय तक रहेगा । उन नागा बिद्रोहियों के साथ बातचीत करने का क्या नैतिक अथवा राजनैतिक औचित्य है जो कि एक ऐसे व्यक्ति से प्रेरणा लेते हैं जो ब्रिटेन का नागरिक बन गया है, जो चीन और पाकिस्तान से हथियार और धन प्राप्त करते हैं और जो हमारी रेलगाड़ियों को हानि पहुंचाने के लिये सदैव सचेत रहते हैं क्या यह सच नहीं है कि इन विद्रोही नागाओं के साथ हमारी बातचीत नागालैंड में, जहां पर कि व्यस्क मताधिकार के आधार पर एक सचमुच निर्वाचित और लोकतंत्रीय सरकार है, शान्ति स्थापित करने में बाधक सिद्ध हो रही है ?

श्री मु० क० चागला : यह कहना सही नहीं है कि हमारी बातचीत विद्रोही नागाओं के साथ चल रही है । हमारी बातचीत मित्र नागाओं के साथ चल रही है ।

Shri Madhu Limaye : He had said that.

श्री मु० क० चागला : मैं इसको स्वीकार नहीं करता । यदि प्रधान मंत्री ने यह कहा है तो में इसको स्वीकार करता हूं ।

हमारी बातचीत उन मित्र नागाओं के साथ चल रही है जो विभिन्न प्रश्नों पर प्रधान मंत्री से बातचीत करने के लिये तैयार हैं । वे विद्रोही नागाओं को मित्र बनाने के लिये प्रयत्न करने और समझौता करने के लिये भी तैयार है...

श्री हेम बरुआ : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । पिछली बार यह कहा गया था कि प्रधान मंत्री छिपे नागाओं से बातचीत कर रही है । छिपे हुए नागा नेता विद्रोही नेता हैं अब वह कैसे कह सकते हैं कि मित्र नागाओं के साथ बातचीत चल रही है...

श्री मु० क० चागला : माननीय सदस्य जानते हैं कि छिपे नागाओं में मित्र नागा भी हैं और विद्रोही नागा भी हैं । मित्र वे हैं जो हमसे बातचीत करने के लिये तैयार हैं ।

Shri Madhu Limaye: You are giving a good definition. You are making a new dictionary.

श्री मु० क० चागला : श्री शर्मा ने पूछा था कि हम उनके साथ सम्बन्ध तोड़ कर शांति स्थापित क्यों नहीं करते । मेरी राय में अब तक जो बातचीत हुई है उससे शांति स्थापित करने में काफी सहायता मिली है ; सभा के समक्ष रखे गये आंकड़ों से यह विदित होता है कि नागालैंड में तोड़ फोड़ की घटनाओं में काफी कमी हुई है...

श्री हेम बरुआ : वे वास्तविक स्थिति को झुठलाते हैं ।

श्री मु० क० चागला : बातचीत आरम्भ होने से पहले जो स्थिति थी आज उससे काफी अच्छी है। मेरे माननीय मित्र का यह कहना सही नहीं है कि विद्रोही नागाओं को श्री फिजो द्वारा प्रेरणा दी जाती है।

श्री बलराज मधोक : माननीय मंत्री ने जो कुछ कहा है उससे यह स्पष्ट है कि नागालैंड में तीन प्राधिकार हैं, अर्थात नागालैंड की राज्य सरकार, विद्रोही नागा जो हमारी गाड़ियां रोकते हैं और हमारे लोगों को मारते हैं, और तीसरे वे विद्रोही नागा जिनकी साम्यवादी चीन के साथ सांठ-गांठ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि साम्यवादी चीन ने अपने पड़ौसियों के कंधों पर तीर चलाने का एक नया तरीका निकाला है जिसमें चीनी सैनिक भाग नहीं लेते हैं, क्या यह मिजों और नागा विद्रोहियों के द्वारा सच नहीं है कि चीन हमारे देश में वही चालें अपनाने का प्रयत्न कर रहा है जो उसने वियतनाम, कम्बोडिया और अन्य स्थानों पर सफलता से अपनाई हैं ? माननीय मंत्री ने कहा कि इतिहास अपने आपको नहीं दोहराता, इतिहासकार अपने आपको दोहराते हैं। मैं एक इतिहासकार हूं और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इतिहास अपने आपको अवश्य दोहराता है; जब सत्ताधारी व्यक्ति कुछ सीखने से इन्कार करते हैं स्थिति बनाये रखते हैं और एक ही तरीके से व्यवहार करते हैं तो वही परिणाम निकलते हैं। अतः मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री क्या गारन्टी दे सकते हैं। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि चीन नागालैंड के द्वारा हमसे युद्ध करेगा। आप क्या गारन्टी देते हैं कि ऐसा नहीं होगा ?

श्री मु० क० चागला : हम चीन की चाल को पूरी तरह जानते हैं और मैं अपने माननीय मित्र से सहमत हूं कि चीन दूसरों के द्वारा लड़ने में विश्वास करता है। वह अपने आप को युद्ध से बाहर रखकर दूसरे देशों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। परन्तु इस समय खतरा इतना भयंकर नहीं है जितना कि मेरे माननीय सोच रहे हैं। मैं मानता हूं कि कुछ नागा चीन गये हैं, चीन द्वारा उनको प्रशिक्षण दिया गया है और वे हमारे देश में वापस आ गये हैं। मैं यह भी जानता हूं कि चीन विद्रोही मिज़ो और नागाओं की गड़बड़ी से फायदा उठाना चाहता है, परन्तु समूचे तौर पर ये लोग भारत के वफादार रहे हैं। हम पूरी तरह सतर्क हैं और जैसा कि मैंने बताया हम चीन की चालों को जानते हैं और मुझे उम्मीद है कि हम उसका मुकाबिला करने के लिये तैयार हैं।

श्री पीलू मोदी : मुझे आशा है श्री नासर से ज़रा ज्यादा।

श्री काशीनाथ पाण्डेय : श्री फिज़ो से मिलने के लिये जो प्रतिनिधि मण्डल गया था उसके परिणाम स्वरूप इस मसले को मित्रता पूर्ण तरीके से हल करने के कहां तक आसार बने हैं ?

श्री मु० क० चागला : जैसा कि सभा जानती है श्री फिजो से बातचीत करने के लिये हमने दो या तीन नागाओं को लन्दन जाने के लिये पार पत्र दिया था। मेरे माननीय मित्र उस बातचीत का परिणाम जानना चाहते हैं। इसके बारे में हमारे पास अभी कोई जानकारी नहीं है।

Shri Madhu Limaye : Sir, in the North-Eastern part of our country, not only the Nagas and Mizos but the entire hill people are rising in an armed rebellion. Since such a revellion is not possible without sufficient arms and resources, may I know the names of the countries that are supplying these materials to them ? Sometimes back the matter relating to the rackets of French origin was raised and we wanted to know whether the matter was taken up with the Government of France. At that time the Minister had replied that they had taken up the matter with the Government of France. What is the outcome of those talks ?

श्री मु० क० चागला : उनको शस्त्र और पैसा कहां से मिल रहा है इस बारे में मैं भी उतना ही जानता हूं जितना कि मेरे माननीय मित्र । केवल दो ही देश हमारे देश में गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं, एक तो चीन और दूसरा पाकिस्तान ।

Shri Madhu Limaye : Is there no other country ?

श्री मु० क० चागला : और कोई नहीं ।

Shri Madhu Limaye : Where did this rocket came from ?

श्री मु० क० चागला : चीन से आया होगा ।

Shri Madhu Limaye : Sir, I am putting this question for the last two years. We were given an assurance here that they will confer with France and find out how those French marked rockets and launching pad found their way here ?

The hon. Minister now must answer that.

श्री मु० क० चागला : यदि मेरे माननीय मित्र अलग से प्रश्न करें तो मैं इसका उत्तर दे दूंगा । इस प्रश्न से यह उत्पन्न नहीं होता ।

Shri Madhu Limaye : I had put down this question separately also three or four times.

श्री मु० क० चागला : आज मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है... यदि मेरे माननीय मित्र मुझे लिखें या अलग से प्रश्न करें तो मैं निश्चय ही उसका उत्तर दूंगा ।

श्री ही० मा० मुकर्जी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत सरकार नागालैंड की उस फैंडूल सरकार के साथ बातचीत कर रही है जिसने खुले आम यह घोषणा की है कि यह न केवल नागालैंड में रहने वाले नागाओं को ही अपितु आसाम, मनीपुर, नेफा और बर्मा में रहने वाले नागाओं को भी इकट्ठा करना चाहती है, क्या बातचीत के दौरान सरकार को कोई ऐसा संकेत मिला है कि इस बारे में कोई समझौता किया जा सकता है । चीन जो कुछ करने वाला है क्या सरकार के पास इसका कोई जवाब है ? नागालैंड की फैंडूल सरकार के साथ अब तक जो बातचीत हुई है उसका क्या परिणाम निकला है ?

श्री मु० क० चागला : इस सभा में यह कई बार स्पष्ट कर दिया गया है कि नागाओं के साथ बातचीत के दौरान हमने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि कोई भी समझौता भारत संघ के संदर्भ में होना चाहिये, कि नागालैंड भारत का अभिन्न अंग होना चाहिये । इसके अधीन रहते हुए बातचीत इस प्रश्न पर होती है कि हम नागालैंड को कितनी स्वायत्तता दे

सकते हैं, हम उनकी सांस्कृतिक भावनाओं को किस प्रकार संतुष्ट कर सकते हैं और उनका अपना जीवन रखने और उनके स्थानीय रिवाजों को रखने की उनकी इच्छा को किस प्रकार पूरा कर सकते हैं।

श्री हेम बरुआ : परन्तु अब उनकी अपनी सरकार है।

श्री मु० क० चागला : हम उनको लाना चाहते हैं जो उस सरकार को सहयोग नहीं देते, जो इससे संतुष्ट नहीं है और जो कहते हैं कि यह उनके लिये काफी नहीं है। अतः हम उनको मनाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भारत में राज्य को काफी स्वायत्तता प्राप्त है और यदि और कुछ भी संभव हुआ तो हम उनके सुझावों को प्राप्त करना चाहेंगे।

Shri Shiv Narain I Want to know what the Intelligence Department of the Government do. What is your checking when you have yourself admitted that these Nagas are receiving training in China and Pakistan ? What arrangements have you made at the Tripura border which is at a distance of only 200 miles from China ? Has Government of India sought the assistance of the Government of Burma in this matter and whether they have been asked to check the Nagas.

श्री हेम बरुआ : वह त्रिपुरा नहीं है। वह तो तीरथ सीमा है।

श्री मु० क० चागला : जी हां, इस मामले में बर्मा सरकार ने हमारी जो सहायता की है उसके लिये हम उसके बहुत आभारी हैं। नागा विद्रोहियों के बच कर चीन भाग जाने को रोकने के लिये बर्मा सरकार ने हमें प्रत्येक संभव सहायता दी है। बर्मा की अपनी समस्या है। उसके भी विद्रोही नागा और विद्रोही कबीले हैं। परन्तु बर्मा जो भी सहायता दे सकता है उसे देने के लिये उसने हमें आश्वासन दिया है और उसने वास्तव में वह सहायता दी है।

Shri Prakash Vir Shastri : Some senior Army Officers had written on the former Prime Minister Shri Jawahar Lal Nehru that the only way to solve the Nagaland problem was to expel all Christian missionaries from there for six months and Army Officers be given full liberty to do its work. But later, he decided to have a separate Legislative Assembly and Government for Nagaland. When Shri Lal Bahadur Shastri was faced with this issue he stated in this house that Indian Government could not suppress its policy to such an extent indefinitely and that it could be strict when the time demanded. If I am not mistaken the Present Prime Minister has also uttered in this House that if need be this policy would be amended and that one policy would not be laid down for all times to come In view of the fact that despit aforesaid utterances of the three Prime Ministers the Government of India is not able to solve the problem of these handful of Nagas, may I know by what time the Government of India wants to follow this vacillating policy.

श्री मु० क० चागला : मेरे माननीय मित्र को हम पर ढुलमिल नीति रखने का आरोप नहीं लगाना चाहिये हमारी नीति एकीकरण करने की है....

श्री बलराज मधोक : खुश करने की नीति है।

श्री मु० क० चागला : यह खुश करने की नीति नहीं है। मैं खुश करने में विश्वास नहीं करता।

श्री कंवर लाल गुप्त : बराबर खुश करने की नीति है।

श्री मु० रू० चागला : हमारी नीति नागालैंड के लोगों को भारत के साथ मिलाने की है। उन्हें यह महसूस करना चाहिये कि वे भारत के नागरिक हैं। जैसा कि हम और आप अनुभव करते हैं। यह प्रयत्न किया जा रहा है। हमने उनको बातचीत के लिये जो बुलाया है उससे सिद्ध होता है कि हम उनकी शिकायतों को सुनने और दृष्टि कोण को समझने के लिये तैयार हैं। इसमें ढुलमुल की कोई बात नहीं है। जवाहरलाल जी के समय से लेकर अब तक यही नीति रही है कि नागालैंड भारत का अंग है। हमारा एकीकरण अच्छा होना चाहिये, नागालड और देश के अन्य भागों के बीच सांस्कृति तथा अन्य अच्छे सम्पर्क होने चाहिये। नागालैंड के लोग यहां आते हैं और हम उस नीति का अनुसरण कर रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

अध्यक्ष महोदय : अन्य अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अभी 20 नाम और बाकी रहते हैं। हम आधा घंटा पहले ही समाप्त कर चुके हैं। में देखता हूं कि प्रश्न भी दोहराये जा रहे हैं और उनके उत्तर भी दोहराये जा रहे हैं। अतः अब हम अगले प्रश्न को लेते हैं। डा० रानेन सेन। दुर्भाग्य से वह यहां पर नहीं हैं।

Shri Yagya Datt Sharma : The Members who have given notice of the question cannot be deprived of their right to put the supplementary merely on the basis of the repitition of supplementaries. I will also repeat the question like that. It is not proper to guess things in that manner.

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा के हाथों में हूं। यदि एक ही प्रश्न पूछना है तो चलिये पूछिये। (व्यवधान)

Shri K. N. Tiwary : Sir, I rise on a point of order. Hitherto the practice had been that when the next question has been called, supplementaries on the next question were not allowed.

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से पूरी तरह सहमत हूं, इसमें समझ की बात है। मैंने डा० रानेन सेन को बुलाया था। परन्तु दुर्भाग्य से वह नहीं थे, अतः मुझे पीछे जाना पड़ा।

एक माननीय सदस्य : आप केवल एक प्रश्न की अनुमति दे दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : एक नहीं, फिर तो मैं सारे ग्रोह को अनुमति दूंगा। केवल एक का ही क्या विशेषाधिकार है ? क्योंकि वे आपके दल से हैं ? शेष आधा घंटा मैं केवल इसी प्रश्न को दूंगा।

श्री बलराज मधोक : क्या 'ग्रोह' संसदीय है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे कहने का अर्थ था, मैं उन सभी सदस्यों को अनुमति दूंगा जो प्रश्न करना चाहते हैं।

Shri Yagya Datt Sharma : The hon. External Affairs Minister stated that according to the reports received from the Governor of Assam there is no apprehension of

any Chinese incursion into Nagaland. Sometime in 1948 a similar report was sent by Shri Pannikar to the Government that the Chinese had no designs to make in roads into Tibet. But despite that report China swallowed Tibet. In view of this, may I know whether apart from Governors report Government have verified from any other sources with a view to forestalling any fresh danger to our national security ?

अध्यक्ष महोदय : आप समझ रहे हैं कि आप इस पर नई रोशनी डाल रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर पहले दिया जा चुका है।

Shri Kanwar Lal Gupta : The hon. Member wants to know that since at the time of Chinese attack the report came out to be false, has Government any other agency to verify that there is no such danger ?

श्री शिव नारायण : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कोई भी सदस्य इस सभा में किसी अन्य सदस्य के लिये वकालत नहीं कर सकता।

श्री मु० क० चागला : मैं सभा को बता देना चाहता हूं कि एक राजदूत की रिपोर्ट और एक सुगठित राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी में क्या अन्तर है। एक राजदूत के पास पहुँच के सारे साधन नहीं होते हैं। यहां यह जानकारी हमें अपने राज्यपाल नागालैंड की सरकार से मिली है।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : जब नागा विद्रोहियों के साथ प्रारम्भिक बातचीत आरम्भ हुई थी तो यह विचार किया गया था कि धीरे धीरे उनकी तोड़फोड़ की कार्यवाहियों में कमी होगी, परन्तु हम देखते हैं कि चीनी और पाकिस्तानी लोगों की सहायता से ये घटनाएं उलटी बढ़ती जा रही है नागा विद्रोहियों को चीनियों और पाकिस्तानियों और श्री फिजो जैसे विदेशियों के प्रभाव से दूर करने के लिये सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है ?

श्री मु० क० चागला : मैं उत्तर दे चुका हूँ। मैत्रिक बात चीत चल रही है।

श्री धीरेश्वर कलिता : सारी सभा जानती है कि सारी कठिनाई का स्रोत ईसाई पादरी हैं। क्या सरकार उनको खदेड़ने के लिये तैयार है जो कि अब भी सरकार के विरुद्ध काम कर रहे हैं ?

श्री मु० क० चागला : यदि कोई व्यक्ति देश के हितों के विरुद्ध काम कर रहा है तो उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी चाहे वह पादरी है या अन्य कोई व्यक्ति है।

श्री समर गुह : क्या माननीय मंत्री को पता है कि नेफा के कठिन और पहाड़ी मार्ग को अपनाने की बजाए नागाओं ने पूर्वी पाकिस्तान के रास्ते चीन जाने का छोटा रास्ता ढूंढ निकाला है ? पहले वे पूर्व पाकिस्तान में जाते हैं और वहां पर चीनी वाणिज्य दूत और पूर्व पाकिस्तान सरकार की सहायता से उन्हें विमान द्वारा पेकिंग ले जाया जाता है और वे अपना प्रशिक्षण प्राप्त करके वापस ढाका आ जाते हैं। चीन सरकार को सहायता से वे मिजो पहाड़ियों अथवा नागालैंड में वापस आ जाते हैं। क्या सरकार को इसकी जानकारी है ?

श्री मु० क० चागला : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ। **(व्यवधान)**

श्री तेन्नेटि विश्वनाथन : यह प्रश्न पहली बार उठाया गया है और मंत्री महोदय के लिए यह कहना गलत है कि वह इसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेंगे। जब मैं कोई सुझाव रखूं, यदि दलों के नेता मेरी सहायता करें तो काफी अच्छा होगा। मैं केवल इतनी ही आशा करता हूं।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 426।

Education in Atomic Science

+

*426. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N, Tiwary :

Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether Government propose to formulate a scheme for imparting education in atomic science to the Indian students at Trombay; and

(b) if so, the outlines thereof ?

Deputy Minister (Shrimati Sarojini Mahishi) : (a) No, Sir. The Bhabha Atomic Research Centre at Trombay is aleady running a Training School for the purpose.

(b) The details of the scheme for imparting education in atomic science to Indian students at the Bhabha-Atomic Research Centre Training School are given in the attached statement.

Statement

The Bhabha Atomic Research Centre Training School was started in August 1957 with the primary object of meeting the requirements of trained scientific and technical personnel of the right calibre required for the various projects under the Department of Atomic Energy. The school offers a special training course for science and engineering graduates, so that they are properly oriented for work in the field of atomic energy. On an average, about 150 young science and engineering graduates are selected annually on an all-India basis through an advertisement and are given specialised training for one year in the following subjects ;

1- Physics
2. Chemistry
3. Engineering (Chemical, Mechanical, Electrical and Tele-Communication) and
4. Metallurgy.

The training programme consists of lectures, tutorials, laboratory work and practical training at the various facilities of the Bhabha Atomic Research Centre and the Tata Institute of Fundamental Research. Each trainee is given a stipend of Rs. 300/- per month and a book-allowance of Rs. 200/- for the year. Hostel accommodation is also provided for all the trainees.

On successful completion of the training course, the trainees are absorbed as Scientific Officers or Engineers in the constituent units and projects under the Department of Atomic Energy.

Shri Bibhuti Mishra : May I know whether the Government intends to make the arrangement for sending Indian students to Trombay for training purposes in view of the utilization of atomic power in different ways ?

Shrimati Sarojini Mahishi : A training school is going on in Trombay. Every year a batch of 150 students get training there. There is no proposal of opening another training institute of this kind at present.

Shri Bibhuti Mishra : What is the basis on which the students for the said training are selected. Are they selected on the basis of qualifications or on the basis of their being residents of different States ?

Shrimati Sarojini Mahishi : Only those who have completed the Bachelor of Science Course or Physics, Chemistry or Engineering, are admitted there.

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

सेवा मुक्त किये गये एमर्जेन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारी

+

*427. **श्री सु० कु० तायड़िया** :
श्री मधु लिमये :
डॉ० राम मनोहर लोहिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज़ :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान प्रतिरक्षा मंत्री के उस आश्वासन की ओर दिलाया गया है कि सेवा से मुक्त किये गये एमर्जेन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारियों के सम्बन्ध में सरकार के अधीन सब गैर–तकनीकी नौकरियां देने के लिये विचार किया जायेगा, जिनमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की नौकरियां भी शामिल हैं;

(ख) क्या आई० ए० एस० के विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य विभागों अभिकरणों। सरकारी उपक्रमों (भारतीय तेल निगम, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को छोड़कर) ने भी एमर्जेन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिये कुछ पद सुरक्षित रखे हैं, अथवा उन्हें चुन लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उन विभागों। अभिकरणों तथा उपक्रमों के नाम क्या हैं ?

प्रति रक्षा मंत्री (सरदार स्वर्णसिंह) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) : जी हां। आई० ए० एस०। आई० एफ० एस० और आई० पी० एस० से भिन्न बहुत सी केन्द्रीय सेवाओं में कुछ रिक्त स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। कुछ राज्य सरकारों और सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं ने भी कुछ रिक्त स्थान सुरक्षित रखे हैं। इस सम्बन्ध में एक विवरण जिसमें पूरा ब्यौरा दिया गया है, सभा के पटल पर रख दिया गया है।

जगहों के खाली होने पर ही विज्ञापन और चुनाव का प्रश्न उठता है अभी तक संघ लोक सेवा आयोग, गुजरात लोक सेवा आयोग, मद्रास लोक सेवा आयोग और एयर इण्डिया ने आपाती कमीशंड अफसरों के लिए सुरक्षित कुछ रिक्त स्थानों को विज्ञापित किया है।

विवरण

केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी	1	(गैर तकनीकी)—25 प्रतिशत
केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी	2	(गैर तकनीकी)—30 प्रतिशत
आन्ध्र प्रदेश	—	प्रथम श्रेणी के डी० एस० पी० और असिस्टेंट कमांडेंट स्पेशल पुलिस में 25 प्रतिशत ।
बिहार	—	सिविल सर्विस में 20 प्रतिशत और पुलिस सर्विस और गैर तकनीकी सर्विस में 30 प्रतिशत ।
गुजरात	—	प्रथम श्रेणी की सर्विसों में 25 प्रतिशत और द्वितीय श्रेणी की सर्विसों में 30 प्रतिशत (यह प्रतिशत अस्थाई पदों में दो तिहाई पर लागू की जा रही है) ।
जम्मू तथा कश्मीर	—	प्रशासकीय पदों में 10 प्रतिशत और पुलिस सर्विस में 15 प्रतिशत ।
मध्य प्रदेश	—	द्वितीय श्रेणी की सर्विसों में 20 प्रतिशत ।
मद्रास	—	2 रिक्त स्थान एक सिविल सर्विस एक्जीक्यूटिव ब्रांच में और दूसरा कामर्सियल टैक्स सर्विस में ।
महाराष्ट्र	—	50 प्रतिशत ।
उड़ीसा	—	25 प्रतिशत ।
मैसूर	—	प्रशासकीय सेवा में 15 प्रतिशत और पुलिस सर्विस में 25 प्रतिशत ।
पश्चिमी बंगाल	—	प्रथम श्रेणी में 25 प्रतिशत और द्वितीय श्रेणी में 30 प्रतिशत ।

श्री बलराज मधोक : जून तक एक हजार से भी अधिक एमर्जेन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारी सेवामुक्त कर दिये जायेंगे और प्रतिरक्षा मंत्रालय में ऐसे अधिकारियों की दूसरी नौकरियां पाने में सहायता करने के लिये एक आपात विभाग खोला गया है। परन्तु ऐसा मालूम हुआ है कि इस विभाग ने किसी एक अधिकारी को भी अभी तक काम नहीं दिलाया है। क्या यह जानकारी सच है ?

श्री स्वर्ण सिंह : ऐसे अधिकारियों के पहले दस्ते में से लगभग 40 प्रतिशत अधिकारियों को स्थायी कमीशन में ले लिया गया है, जिनकी एमर्जेन्सी कमीशन की अवधि समाप्त होने जा रही है। शेष अधिकारियों को अन्य नौकरी दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, परन्तु यह काम आसान नहीं है। अतः हमें संयम से काम लेना होगा।

श्री बलराज मधोक : एक ऐसे अधिकारी ने यह शिकायत की है कि उक्त पुनर्वास विभाग ने उसकी सहायता नहीं की।

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

श्री मं० रं० कृष्ण : क्या प्रतिरक्षा मन्त्रालय ऐसे अधिकारियों की सेवाओं का सीमान्त क्षेत्रों में उपयोग करेगा ?

श्री स्वर्ण सिंह : उनमें से कुछ को पहले ही सीमा सुरक्षा पुलिस में लिया जा चुका है और कुछ अन्य नाम इसके लिये भेज दिये गये हैं।

श्री वासुदेवन नायर : सितम्बर 1966 में जब अखिल भारतीय सेवाओं के लिये भरती की गई थी तो ऐसे अधिकारियों के लिये 70 प्रतिशत पद आरक्षित किये गये थे परन्तु उनमें से केवल 25 अधिकारी अब तक लिये गये हैं। कुछ अन्य अधिकारियों ने लिखित परीक्षा पास कर ली थी परन्तु उन्हें नहीं लिया गया है। इसका क्या कारण है ?

श्री स्वर्ण सिंह : वर्ष 1966 के आंकड़े अब मेरे पास नहीं है। सूचना मिलने पर उन्हें एकत्रित किया जा सकता है। आरक्षित स्थानों के लिये भी निर्धारित कम से कम स्तर प्राप्त करना अनिवार्य होता है।

भारत–अफ्रीकी संयुक्त उपक्रम

+

*428. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ्रीकी देशों से सम्बन्ध सुधारने के हेतु भारत-अफ्रीकी संयुक्त उद्यम आरम्भ करने की सम्भावनाओं की खोज की गई है।

(ख) क्या अफ्रीकी सरकारों के साथ भारत मूलक व्यक्तियों की समस्याओं पर चर्चा की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) तमाम समुचित मामलों में भारत मूलक लोगों की समस्याओं पर सम्बद्ध सरकारों के साथ लिखा-पढ़ी की गई है। ऐसा करने से कुछ सफलता मिली है।

श्री दी० चं० शर्मा : भारत-अफ्रीकी संयुक्त उद्यम किन-किन देशों में शुरू किये गए हैं ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : कई देश हैं जैसे नाइजेरिया, इथोपिया, उगांडा, जाम्बिया, केन्या, लिबिया और तंजानिया।

श्री दी० चं शर्मा : ये भारत-अफ्रीकी संयुक्त उद्यम किन क्षेत्र में शुरू किये गये हैं और वे कब तक पूरे होंगे ? क्या उनकी रूपरेखा ही तैयार की गई है या उन्हें शुरू भी किया जा चुका है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : अफ्रीकी महाद्वीप में ऐसे उद्यमों की संख्या लगभग 23 है। हमने अनेक क्षेत्रों में सहयोग किया है जैसे इन्जीनियरी का सामान, सूती कपड़े, पेन्सिलों के कारखानें ऊनी कपड़े, चीनी बनाने, रेज़र ब्लेड बनाने, घड़ी एकत्र करने आदि का क्षेत्र। इनमें से कुछ परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और कुछ पर अभी काम जारी है। ऐसी रिपोर्ट मिली है कि इनमें से कुछ बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है।

श्री स्वैल : क्या सरकार को मालूम है कि भारत मूल के अफ्रीकी देशों में रहने वाले लोगों और अफ्रीकी देशों के स्थानीय लोगों के सम्बन्धों में तनाव बना हुआ है क्योंकि भारतीय लोग वहां पर अपने आपको जाति के दृष्टिकोण से ऊंचा समझते हैं ? क्या सरकार ने भारत के लोगों या भारतीय मूल के लोगों को सद्व्यवहार करने के लिये सलाह दी है जिससे उनमें और अफ्रीकी लोगों में सद्भावना और विश्वास पैदा हो सके ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : यह बात तो सच है कि नव स्वतंत्रता प्राप्त अफ्रीकी देशों की सरकारें भारतीय समुदाय के रवैये से खुश नहीं है, क्योंकि वे स्थानीय लोगों के जीवन के साथ अपने आपको घुला-मिला नहीं पाये हैं। वस्तुतः बात यह है कि भारतीय स्थानीय लोगों का अपने देश का विकास करने में सहयोग नहीं कर पाये हैं तथा भारतीयों पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे केवल रुपये पैसे से प्यार करते हैं। भारत सरकार समय समय पर भारतीय मूल के अफ्रीकी निवासियों को यह बताती रहती है कि उन्हें स्थानीय लोगों के साथ मिल-जुलकर रहना चाहिये और उनके साथ हर प्रकार से सहयोग करना चाहिये ताकि उनके और स्थानीय लोगों के सम्बन्धों में सुधार हो।

Shri Kanwarlal Gupta : Is it a fact that some African countries have made such enactments or adopted such attitude as will force Indian to leave those countries ? If so, may I know whether the Government have written to the Governments of those countries in this respect and what is the reaction of addressee Governments in respect thereto and whether the Government have taken certain steps to rehabilitate those who have returned back to India ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : तंजानिया और केनिया जैसे देशों में कुछ ऐसे कानून हैं जो उन विदेशियों पर लागू होते हैं जो उन देशों के नागरिक नहीं हैं। वहां की सरकारों ने हमें यह आश्वासन दिया है कि ये कानून सभी विदेशी राष्ट्रिकों पर लागू होते हैं और भारतीयों के साथ कोई भेद भाव नहीं किया जाता है। दूसरे, यदि ऐसे लोग भारत वापिस आना चाहें तो आ सकते हैं परन्तु उन्हें पुनर्वास के लिये कोई सहायता नहीं दी जाती है क्योंकि वे साधन-हीन नहीं हैं।

Shri Siddheswar Prasad : May I know the principles and the term underlying those Indo-African joint ventures ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : पहला सिद्धान्त यह है कि भारतीय हिस्सेदार उनमें 49 प्रतिशत से अधिक हिस्से नहीं खरीद सकता है ताकि अफ्रीकी हिस्सेदारों के हाथ में नियंत्रण रहे। दूसरा यह है कि भारत सहयोग के रूप में केवल तकनीकी जानकारी देगा और भारत से पूंजीगत माल के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की पूंजी वहां नहीं भेजी जायेगी।

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether the Ministry of External Affairs are aware of the fact that some Indian people living abroad wanted to come to India and they wrote to Indian Government for security of their assets, but the Government have denied them facilities or did not assure them for any help and they have to deposit their valuables in the banks of England and Switzerland.

Shri Surendra Pal Singh : As a matter of fact such people have got the British passports or passports of other countries. They willingly brought their property with

them, when they moved to other countries. They did not tell us they wanted to brought their property in India.

श्रीमती सुचेता कृपालानी : क्या यह सच नहीं है कि भारतीयों ने अफ्रीका के उस क्षेत्र के आर्थिक और वाणिज्यिक विकास में बहुत योग दिया है, जहां वे रह रहे हैं और आज वहां भारतीयों के साथ भेद भाव बरता जा रहा है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : अफ्रीकी देशों की यह नीति नहीं है कि भारतीय वहां से निकल जायें। यह सच है कि वहां के आर्थिक विकास में भारतीयों का बहुत योगदान रहा है परन्तु शिकायत यह है कि इन लोगों ने वहां व्यापार से काफी धन दौलत कमाई है और अब उसे वे विकास कार्यों में लगाना नहीं चाहते।

ज्योतिर्मय बसु : अफ्रीकी देशों में रहने वाले भारतीयों की सम्पत्ति का कुल मूल्य क्या है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

Shri Hardayal Devgun : Is it a fact that Indian people living abroad have felt discouraged in regard to sending their money to India after devaluation of rupee ?

Shri Surendra Pal Singh : There is no question of discouragement, If they want to send their money here, they can send it gladly.

भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारी

+

*429. **श्री भारत सिंह** :
श्री शारदा नन्द :
श्री जि० ब० सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार सिंह :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री 3 अप्रैल, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 226 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों के ज़ब्त किये गये वेतन तथा भत्ते उन लोगों को वापिस देने के प्रश्न पर इस बीच विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर "नहीं" है तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री श्री स्वर्ण सिंह : (क) तथा (ख) : मामला अभी भी विचाराधीन है।

(ग) मामले की व्यापक और विस्तृत जांच के किए जाने की आवश्यकता के कारण अभी तक निर्णय लेना सम्भव नहीं हो सका है।

Shri Bharat Singh Chauhan : Last time also the question was replied in this way that the matter is under consideration and early decision will be taken. When is the decision in regard to the pay, allowances of I. N. A. personnel likely to be taken ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं प्रयत्न करूंगा कि इस मामले पर निर्णय शीघ्र किया जाये।

श्री हुमायूं कबीर : आजाद हिन्द फौज के समाप्त होने के बीस वर्ष बाद भी सरकार इस प्रश्न पर निर्णय नहीं कर पायी है। इसका कारण क्या है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह मामला सभा में कई बार उठाया गया है और इस बारे में कई वक्तव्य दिये गये हैं। यह कहना ठीक नहीं है कि बीस वर्षों से इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया ही नहीं गया है।

श्री समर गुह : कल मैं आजाद हिन्द फौज के कुछ सैनिकों से मिला था जो कह रहे थे कि 22 वर्ष बीत गये हैं परन्तु उन्हें उनके वेतन, भत्ते और पेन्शन नहीं दिये गये हैं। यह शर्म की बात है। अब भी मंत्री महोदय कह रहे हैं कि मामले पर विस्तार से विचार नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के उद्गारों को भी ध्यान में रखा जाये।

श्री स्वर्ण सिंह : उन्हें पेन्शन दी जा रही है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को घातक हथियारों के पुर्जों की सप्लाई

*421. **श्री इन्द्र जीत गुप्त** :
श्री चमला कान्त भट्टाचार्य :
श्री आत्म दास :

क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की कोई जानकारी है कि पाकिस्तान के पास घातक अमरीकी हथियारों के कितने पुर्जे तथा उपकरण पहुँच गये हैं; और

(ख) सरकार के अनुमान के अनुसार इन पुर्जों से पाकिस्तान के कितने पैटन टैंक और सेबर जेट विमान प्रयोग किये जाने योग्य हो जायेंगे ?

प्रतिरक्षा मंत्री(श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार को पाकिस्तान द्वारा अपनी सशस्त्र सेनाओं के घातक उपस्करों के लिए आवश्यक पुर्जों की एक लम्बी सूची अमरीका सरकार को पेश किए जाने के समाचार देखने को मिले हैं। सरकार को अभी तक पाकिस्तान द्वारा उन्हें वास्तविक रूप से प्राप्त किए जाने के सम्बन्ध में कोई निश्चित समाचार नहीं मिले हैं।

(ख) यद्यपि यह सम्भव है कि पाकिस्तान 1965 के संघर्ष में क्षतिग्रस्त कुछ पैटन टैंकों और सेबर जेट विमानों को पुनः प्रयोग किए जाने योग्य बना ले, लेकिन उनका ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। फिर भी यह स्पष्ट है कि अमरीका में बने पाकिस्तानी उपस्करों की कार्यक्षमता अब काफी बढ़ जाएगी क्योंकि पाकिस्तान अब उनके लिए जरूरी पुर्जे उपलब्ध करने की स्थिति में हो गया है।

अरब देशों के साथ भारत के सम्बन्ध

*424. **डा० रानेन सेन** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल ही में अरब देशों के साथ भारत के सम्बन्ध को धक्का लगा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनके साथ सम्बन्ध सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) : 14 अरब देश हैं जिनमें से 13 अरब लीग के सदस्य हैं। अधिकांश देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं हालांकि कुछ देशों ने राजनीतिक तथा अन्य कारणों से भारत–पाकिस्तान मसले पर पाकिस्तान का समर्थन किया है।

इन देशों में भारत–पाकिस्तान विवाद का मूल क्या है, इसे समझाने की भारत की निरन्तर कोशिश रही है ताकि दोनों पक्षों के सम्बन्धों में सुधार हो सके।

Reconstruction of Military Bases in Pakistan with the help of U. S. A.

*425. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the Government of West Pakistan have undertaken reconstruction of military bases wtih the assistance of U. S. A.,

(b) if so, whether Government have sent any protest note to both the countries,

(c) if so, the reply received thereto, and

(d) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) :

(a) The Government have no information about reconstruction of military bases by the Government of West Pakistan with the assistance of U. S. A.

(b) to (d) Do not arise.

अन्तरिक्ष सम्बन्धी अनुसन्धान

*430. **श्री दामानी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस तथा अमरीका को प्राप्त हुई अन्तरिक्ष सम्बन्धी सफलता के बारे में तकनीकी जानकारी देश के लोगों को दी गई है; और

(ख) क्या ऐसे भेदों की जानकारी प्राप्त करने के बारे में कोई अन्तर्राष्ट्रीय समझौता हुआ है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) रूस तथा अमरीका को प्राप्त अन्तरिक्ष सफलता की अवर्गीकृत तकनीकी जानकारी भारत के लिये प्राप्य है;

(ख) रूस या अमरीका के साथ हमारा ऐसा कोई अन्तर्राष्ट्रीय समझौता नहीं है जिसके अनुसार अन्तरिक्ष अनुसन्धान सम्बन्धी गुप्त या वर्गीकृत जानकारी हमें प्राप्त हो सके :

बिना विभाग के मंत्री

* 431. श्री विश्वम्भरन : श्री मंगलाधुमाडोम :
श्री श्रीधरन : श्री कामेश्वर सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि बिना विभाग के मंत्री को क्या कार्य दिये हुए हैं ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : बिना विभाग का मंत्री ऐसे कार्य करता है जो उसे समय समय पर प्रधान मंत्री द्वारा सौंपे जाते हैं ।

परमाणु हथियारों संबंधी नीति

* 432. श्री म० ला० सोंधी :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपनी परमाणु नीति का उन अन्य देशों की नीति के साथ समन्वय करने का प्रयत्न किया है जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि वे परमाणु हथियार बनाने में सक्षम हैं ;

(ख) क्या परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने सम्बन्धी प्रस्तावित सन्धि के प्रश्न पर भारत के साथ एक समान नीति तैयार करने के बारे में परमाणु हथियार बनाने में सक्षम किन्हीं राष्ट्रों से कोई विशिष्ट प्रस्ताव मिले हैं; और

(ग) यदि हां, तो परमाणु हथियारों वाले राष्ट्रों की तुलना में परमाणु हथियार बनाने में सक्षम राष्ट्रों के हितों के बारे में भारत का निश्चित दृष्टिकोण क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री सु० क० चागला):: (क) सरकार ने कई परमाणु अस्त्रहीन देशों के साथ जिनमें कुछ देशों में परमाणु अस्त्र वाला देश बनने की क्षमता है, परमाणु अस्त्रों के फैलाव को रोकने के बारे में एक संधि का मसौदा तैयार करने के विषय पर विचार विमर्श किया है । उनमें से किसी ने भी किसी सामान्य अथवा समन्वित नीति की इच्छा व्यक्त नहीं की ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मुक्त किये गये एमर्जेन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिये रोजगार

* 433. श्री सु० कु० तापडिया :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है कि अराजपत्रित सरकारी पदों पर ग्रहणाधिकार रखने वाले मुक्त किये गये एमर्जेन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को भूतपूर्व प्रतिरक्षा मंत्री के द्वारा दिये गये वचन के अनुसार तत्समान राजपत्रित पदों पर नियुक्त किया जाये; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि इन अधिकारियों को वेतन में अथवा असैनिक पदों पर वापस जाने से कोई हानि नहीं हो तथा उन्हें अपने सैनिक पदों पर मिलने वाले वर्तमान वेतन के बराबर वेतन मिले ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) यद्यपि पिछले रक्षा मंत्री ने ऐसा कोई वचन नहीं दिया था फिर भी सेना से विमुक्त आपाती कमीशंड अफसरों के लिए अखिल भारतीय सेवाओं, केन्द्रीय सेवाओं और श्रेणी 1 और 2 (गैर-तकनीकी) पदों के कुछ प्रतिशत स्थाई रिक्त स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। राज्य सरकारों ने भी अपनी राज्य सेवाओं में इसी प्रकार पदों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की है। जहां तक ऐसे विमुक्त आपाती कमीशंड अफसरों का प्रश्न है जो कि सरकार के नीचे सुरक्षित रिक्त स्थानों में नियुक्ति प्राप्त करने में सफल नहीं होते हैं, रक्षा मंत्रालय पुनः स्थापन महानिदेशक उन्हें सरकार के नीचे असुरक्षित रिक्त स्थानों में, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों की संस्थाओं में उपलब्ध रिक्त स्थानों में समुचित असैनिक रोजगार दिलाने में सहायता करते हैं। यह व्यवस्था सभी विमुक्त आपाती कमीशंड अफसरों के लिए है, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं, जो सिविल में अराजपत्रित नियुक्तियों पर ग्रहणाधिकार रखे हुए थे। यह सम्भव नहीं है कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अराजपत्रित नियुक्तियों पर ग्रहणाधिकार रखने वाले विमुक्त आपाती कमीशंड अफसरों को उनके अपने पुराने विभागों में तत्समान-राजपत्रित पदों पर ले लिया जाय।

(ख) असैनिक पदों पर वापस आ जाने पर, सम्बन्धित अफसरों का वेतन, इस विषय में निर्धारित नियमों के अनुकूल निश्चित किया जाएगा। यह सम्भव नहीं है कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपाती कमीशंड अफसर के रूप में उनके द्वारा प्राप्त वेतन को संरक्षित किया जाए।

पूना के महापौर को बिहार सहायता कोष के लिए आकाशवाणी से अपील प्रसारित करने की अनुमति देने से इन्कार

* 434. **श्री हेम बरुआ :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री नाथ पाई :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री ओंकार सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में आकाशवाणी के पूना केन्द्र ने पूना के महापौर को बिहार सहायता कोष के लिये 'अपील' प्रसारित करने की अनुमति नहीं दी थी; और

(ख) यदि हां, तो अनुमति न दी जाने के क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां। जब पूना के महापौर का, आकाशवाणी के पूना केन्द्र से बिहार-सहायता के सम्बन्ध में एक अपील प्रसारण करने का अनुरोध प्राप्त हुआ तो हमने उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन बाद में इस मसले पर पुर्नविचार किया गया और उनको 31 मई, 1967 को अपील प्रसारत करने की अनुमति दे दी गई।

(ख) आकाशवाणी के पूना केन्द्र के निदेशक के पूना के महापौर की अपील के प्रसारण की स्वीकृति न दे पाने का मुख्य कारण यह था कि आकाशवाणी की नीति के अनुसार धन इकट्ठा करने के लिए राज्यों के प्रमुख या केन्द्र के या राज्यों के मंत्रियों के अतिरिक्त, आकाशवाणी अन्य व्यक्तियों की अपील प्रसारित नहीं करता। ये अपीलें भी भूकम्प, बाढ़, जनता के लाभ के लिये सरकारी ऋणों का लेना, आदि जैसे विरल अवसरों पर ही प्रसारित की जाती है।

परमाणु जानकारी आदि (टैक्नोलोजी) बेचने के बारे में कनाडा की नीति

* 435. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री प्र० के० देव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनाडा सरकार भारत को परमाणु जानकारी आदि बेचने के बारे में अपनी नीति का पुनर्विलोकन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कारण भारत सरकार द्वारा परमाणु अस्त्रों के प्रसार को रोकने सम्बन्धी संधि पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करना है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री सु० क० चागला) : (क) सरकार को इस आशय की कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारत-पाकिस्तान शांति वार्ता न होने देने का चीन द्वारा प्रयास

* 436. **श्री प्र० के० देव :** **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : **श्री अजमल खां :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 मई, 1967 के दैनिक समाचार पत्र 'इण्डियन एक्सप्रेस' के पृष्ठ 1 पर प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारत-पाकिस्तान शान्ति वार्ता न होने देने का चीन द्वारा प्रयास किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में पेकिंग ने क्या पहल की है; और

(ग) ऐसे समाचार का प्रतिरोध करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) भारत अथवा किसी तीसरे देश द्वारा ऐसे कोई प्रस्ताव, जिनका उद्देश्य भारत-पाक सम्बन्धों को सुधारना हो, चीन के शत्रुतापूर्ण प्रचार का विषय बन जाते हैं ताकि दोनों के बीच तनाव बना रहे।

(ग) भारत के विरुद्ध चीनी प्रचार के इस पहलू के पीछे जो दुष्टतापूर्ण इरादे होते हैं, उनके बारे में अन्य देशों को समझाने के लिए सभी मौकों का लाभ उठाया जाता है।

भारतीयों को ब्रिटेन जाने के लिए प्रवेश प्रमाणपत्र

* 437. **श्रीमती शारदा मुकर्जी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटेन की सरकार से इस बात का पता लगाया है कि ब्रिटेन जाने वाले भारतीयों को प्रवेश प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये क्या शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) क्या यह प्रतिबन्ध सब राष्ट्रमण्डलीय देशों के नागरिकों पर लगाये गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) जैसा कि यूनाइटेड किंगडम की सरकार से मालूम हुआ है, प्रदेश प्रमाण-पत्र आम तौर से निम्नलिखित वर्ग के लोगों को जारी किए जाते हैं :—

1. असली विद्यार्थी;
2. कभी-कभी जाने वाले यात्री;
3. यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले लोगों के माता-पिता, पत्नियां और बच्चे।

राष्ट्रमण्डल आप्रवास अधिनियम 1962 के अन्तर्गत "आप्रवास अधिकारियों को निदेश" नामक जिस प्रलेख का प्रकाशन ब्रिटिश सरकार ने किया है, उसमें पूरी सूचना दी गई है।

(ग) जी हां।

भूतपूर्व केन्द्रीय गृह कार्य मंत्री द्वारा प्रसारण

* 438. **श्री स० मो० बनर्जी :** **श्री यश पाल सिंह :**
श्री मधु लिमये : **श्री स० चं० सामन्त :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व गृह कार्य मंत्री, श्री गुलज़ारीलाल नन्दा, ने चीनी आक्रमण के पश्चात् प्रसारण करते समय वामपंथी साम्यवादी दल के नाम का उल्लेख किया था;

(ख) यदि हां, तो स्टेशन डाइरेक्टर ने इसकी अनुमति क्यों दी थी; और

(ग) स्टेशन डाइरेक्टर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां। श्री गुलजारीलाल नन्दा के 1 जनवरी, 1965 के प्रसारण की प्रति सदन की मेज़ पर रख दी गई है। **[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 604/67]**

(ख) इसका कारण यह था कि मंत्री महोदय वामपंथी साम्यवादी दल के सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में सरकार के निर्णय को स्पष्ट कर रहे थे।

(ग) सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मंत्री महोदय का भाषण सरकार की कार्रवाई को स्पष्ट करने के लिए था।

वृत्त चित्रों के बारे में विचार गोष्ठी

*** 440. श्री कं० हाल्दर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में राष्ट्रीय विकास में वृत्त चित्रों का योगदान के बारे में दिल्ली में हुई विचार गोष्ठी में कनाडा के राष्ट्रीय फिल्म बोर्ड के नमूने पर भारत सरकार के फिलम्स डिवीजन के ढांचे का पुर्नगठन करने की सिफारिश की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सिफारिश पर विचार कर लिया है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

(ग) सिफारिशों पर निर्णय होने तक सवाल नहीं उठता।

चीन द्वारा अन्तर्महाद्वीप प्राक्षेपिक मिसाइल का परीक्षण

*** 441. श्री जार्ज फर्नेंडीज :**
श्री मधु लिमये :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री आत्म दास :
श्री रवि राय :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री श्रीधरन :
श्री कुण्डू :
श्री सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीन अपना प्रथम अन्तर्महाद्वीपीय प्राक्षेपिक मिसाइल का परीक्षण करने की तैयारियां कर रहा है;

(ख) क्या इस विस्फोट के परिणामों के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ और अथवा चीन को कोई विरोध पत्र भेजा गया है; और

(ग) चीन द्वारा इस अन्तर्महाद्वीपीय प्राक्षेपिक मिसाइल के किये जा रहे परीक्षण से उत्पन्न इस नई स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) सरकार ने इसके बारे में हाल ही में अखबार में एक खबर देखी है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सरकार इस घटना के निहित अर्थ के प्रति पूरी तरह सजग है ।

पश्चिम एशिया में संकट

* 442. **श्री आत्म दास :** क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस के कुछ जंगी जहाज संयुक्त अरबगण राज्य के समुद्र में पहुंच चुके हैं तथा कुछ और जहाज पहुंचने की आशा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक देश द्वारा इस तरह नौसेना को आगे बढ़ाये जाने के परिणामस्वरूप विश्व युद्ध छिड़ने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस समस्या को हल करने तथा पश्चिम एशिया में शान्ति स्थापित करने के लिए सरकार ने मध्यस्थ के रूप में पहल करने का प्रस्ताव किया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) हमने मध्यस्थता करने की पेशकश नहीं की । सुरक्षा परिषद् में भारत सरकार का प्रतिनिधि सुरक्षा परिषद् के सदस्यों से और अन्य व्यक्तियों से पश्चिम एशिया में शांति की स्थापना कराने के विचार से बातचीत और सलाह-मशविरा करता रहा है । इन प्रयत्नों के परिणामस्वरूप सुरक्षा परिषद् ने एक समुचित प्रस्ताव स्वीकार किया और अब पश्चिम एशिया में युद्ध-विराम हो गया है ।

इन्डोनेशिया और पाकिस्तान के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास

* 443. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री बलराज मधोक : **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**
श्री ना० स्व० शर्मा :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि इन्डोनेशिया का जहाजी बेड़ा पाकिस्तान के साथ हिन्द महासागर में शीघ्र ही संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा नहीं होगा;

(ग) अपने देश के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में सम्बन्धित देशों को कोई विरोध पत्र भेजा गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां । हमने इस आशय की रिपोर्टें देखी हैं ।

(ख) और (ग) हम इस मामले का यह पता लगाने के लिए सावधानी पूर्वक अध्ययन कर रहे है कि कहीं ये कथित अभ्यास इस तरह के तो नहीं है कि उनसे भारत की सुरक्षा को पाकिस्तानी नौसेना की ओर से खतरा बढ़ जायगा । अगर ये अभ्यास इस तरह के हुए तो हमारे हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उपाय बरते जायेंगे ।

(घ) जी नहीं ।

प्रतिरक्षा कारखानों के लिए अमरीकी उपकरण

* 444. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घातक तथा अन्य हथियारों के उपकरणों की सप्लाई के बारे में अमरीकी सरकार का नवीनतम नीति-निर्णय भारतीय प्रतिरक्षा कारखानों के लिये उपकरणों की सप्लाई के बारे में भी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीका अपने पहले दिये गये वचन के अनुसार अम्बाझारी विस्फोटक संयंत्र सप्लाई नहीं करेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) अमरीका सरकार की नवीनतम नीति-निर्णय की रक्षा कारखानों के लिए उपस्करों पर भी लागू किए जाने के संकेत हैं ।

(ख) अमरीका की मिलट्री क्रेडिट सेल्ज प्रोग्राम के अधीन अम्बाझारी इन्जीनियरिंग फैक्टरी के लिए उपस्कर और संयत्र सप्लाई 1965 में स्थगित की गई थी और तदनुसार उनके पहले के दिए गए वचन समाप्त हो गए हैं ।

ताशकंद घोषणा के बारे में सोवियत दृष्टिकोण

* 446. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री प्र० के० देव :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस सरकार ने भारत को आश्वासन दिया है कि ताशकन्द घोषणा के बारे में उनके दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने रूस से पाकिस्तान के विदेश मंत्री और सोवियत संघ के प्रधान मंत्री के बीच हुई वार्ता के बारे में मास्को में जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में इसका कोई उल्लेख नहीं करने के कारणों का पता लगाया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं, चूंकि सोवियत समाजवादीगण तंत्र संघ और पाकिस्तान प्रभुसत्ता प्राप्त राज्य हैं इसलिए अपनी बातचीत के बाद वे जो भी सम्मिलित विज्ञप्ति जारी करें उसमें किसी विषय को शामिल करना या न करना उन्हीं का काम है।

पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार

* 447. **श्री हेम बरुआ :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री नाथ पाई :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने प्रेस, मंच तथा रेडियो आदि के माध्यम से अपना भारत विरोधी प्रचार एक प्रकार से भारत के प्रति घृणा का प्रचार हाल में पूरे जोर शोर से शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस तथ्य की ओर पाकिस्तान का ध्यान दिलाया है; और

(ग) पाकिस्तान सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां। ताशकन्द घोषणा पर हस्ताक्षर के कुछ समय बाद पाकिस्तान ने अपने विभिन्न प्रचार माध्यमों से भारत-विरोधी प्रचार शुरू कर दिया और वह बेरोक-टोक चल रहा है। अब वह बहुत जोरों पर है।

(ख) और (ग) पाकिस्तान द्वारा यह भारत-विरोधी प्रचार ताशकन्द घोषणा के अनुच्छेद 4 का पूर्ण उल्लंघन है और हमने इस उल्लंघन के विरुद्ध पाकिस्तान सरकार से कई बार विरोध प्रकट किया है। पाकिस्तान का उत्तर सहायक सिद्ध नहीं हुआ है और उसने भारत-विरोधी प्रचार को कम नहीं किया है।

जल संसाधनों के प्रयोग के बारे में पाकिस्तान के साथ करार

* 448. **श्री स्वैल :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत से पाकिस्तान की ओर बहने वाली पूर्वी नदियों के जल संसाधनों के प्रयोग के बारे में पाकिस्तान ने भारत के साथ एक अन्तर्राष्ट्रीय करार करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव ठीक-ठीक क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) पाकिस्तान सरकार से इस तरह का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पश्चिम बंगाल और आसाम के बीच बरास्ता पाकिस्तान यातायात

* 449. श्री यशपाल सिह : श्री राम गोपाल शालवाले :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने ब्रह्मपुत्र नदी के एक भाग से होकर पश्चिम बंगाल और आसाम के बीच यातायात के लिये अपनी सहमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

सशस्त्र सेनाओं के सैनिकों के परिवारों के लिए आवास की व्यवस्था

* 450. श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री सीताराम केसरी :

क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों के परिवारों के लिये आवास की बहुत अधिक कमी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन अधिकारियों तथा जवानों को, जिनके पास सरकारी क्वार्टर नहीं हैं, अन्य गैर-सरकारी आवास की व्यवस्था करने के लिये कोई प्रतिकर भत्ता दिया जाता है;

(ग) क्या सरकार ने उन अधिकारियों तथा जवानों की संख्या का कोई अनुमान लगाया है जिन्हें रहने के लिये क्वार्टर नहीं दिये गये हैं; और

(घ) दिल्ली में नियुक्ति होने के बाद औसतन कितनी अवधि में उन्हें सरकारी क्वार्टर दिया जाता है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्णसिंह) : (क) से (घ) दिल्ली में सशस्त्र सेना के अफसरों के परिवारों के लिये आवास की इतनी अधिक कमी नहीं है। विवाहित अफसरों को देने के लिये कुछ क्वार्टर इस समय इसलिये उपलब्ध नहीं है कि दिल्ली से बाहर तैनात अफसरों के परिवार, कुछ मृत्यु प्राप्त सैनिक अफसरों की विधवायें आदि उनमें रह रहे हैं। अफसरों के इतर अन्य सैनिक कार्मिकों के परिवारों के लिये आवास की बहुत कमी है।

विवाहित अफसरों को, जिन्हें पारिवारिक आवास नहीं मिल पाता, मुफ्त सिंगल आवास और मुफ्त बिजली और पानी की सुविधायें दी जाती हैं। सीमित संख्या में उन विवाहित

अफसरों को, जिन्हें कि पारिवारिक आवास नहीं मिल पाता, प्राइवेट मकान किराये पर लेने की इजाजत है। वे नियमों के अनुसार किराये की वापसी पाने के अधिकारी हैं।

सशस्त्र सेनाओं में अफसरों को छोड़कर अन्य सैनिक कार्मिकों को, जो पारिवारिक आवास पाने के अधिकारी तो हैं पर उन्हें वह नहीं मिल पाता, बैरेकों में मुफ्त किराये और अन्य सम्बन्धित सुविधाओं के साथ सिंगल आवास दिया जाता है। ऐसे कार्मिकों को, जिन्हें अपने इन्तजाम पर अपने परिवार के साथ बाहर रहने की इजाजत दी जाती है, मकान के लिये भत्ता दिया जाता है।

अफसर और अन्य सैनिक, जो पारिवारिक आवास पाने के अधिकारी तो हैं परन्तु उन्हें ऐसा आवास नहीं मिल पाता, उनकी संख्या, दिल्ली में तैनात विवाहित अफसरों और अन्य कार्मिकों की संख्या तथा पारिवारिक आवासों की उपलब्धि के अनुसार विभिन्न रहती है। अभी हाल ही की निर्धारणा से यह मालूम पड़ा कि पारिवारिक आवास पाने के अधिकारी 240 अफसरों और अफसर पद से नीचे के 1250 सेना कार्मिकों को सरकार से इस प्रकार के आवास उपलब्ध न हो सके। इन आकड़ों में दिल्ली छावनी, जो आवास व्यवस्था के लिये दिल्ली से अलग समझी जाती है, शामिल नहीं है।

दिल्ली में तैनात होने के बाद एक अफसर को पारिवारिक आवास मिलने से पूर्व औसतन लगभग नौ महीने तक इन्तजार करना पड़ता है। पारिवारिक आवास पाने के अधिकारी अन्य सैनिकों को दिल्ली में तैनात होने के बाद उनके ओहदे और सर्विस के अनुसार औसतन 12 से 45 महीने तक इन्तजार करना पड़ता है।

टेलिविजन सेटों का निर्माण

2121. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में टेलिविजन बनाने की परियोजना पर कुल कितना व्यय होगा;

(ख) इसके लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी; और

(ग) इस परियोजना के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा की व्यवस्था किस प्रकार करने का सरकार का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) दो फर्मों को देशी साधनों से टेलीविजन रिसीवर बनाने के लिये लाइसेंस दिये गये हैं। उनकी परियोजनाओं की कुल पूंजीगत लागत लगभग 56 लाख रुपये की होगी जिसमें आयात किए जाने वाले पूंजीगत उपस्करों की कीमत लगभग 20 लाख रुपये की होगी। पूंजीगत माल को आयात करने के लिए दो लाइसेंस शुदा फर्मों से प्राप्त आवेदनों पर सरकार विचार कर रही है।

मिग विमान

2122. श्री बाबूराव पटेल : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जो मिग जेट विमान बनाये जा रहे हैं उनमें से प्रत्येक विमान पर कितना धन व्यय होने का अनुमान है;

(ख) क्या मिग-21 जेट विमान चलाने के लिए विमान चालकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ग) यदि हाँ, तो इस समय कितने विमान चालक प्रशिक्षण ले रहे हैं; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) यह सूचना जनहित में नहीं दी जा सकती ।

(ख) जी हां ।

(ग) यह सूचना जनहित में नहीं दी जा सकती ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय वायु सेना में दुर्घटनायें

2123. श्री बाबूराव पटेल : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में भारतीय वायुसेना में कितनी दुर्घटनायें हुईं;

(ख) इन दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरूप कितने व्यक्ति हताहत हुए;

(ग) विमान नष्ट हो जाने के कारण कितने रुपये की क्षति हुई;

(घ) बार-बार दुर्घटनायें होने के क्या कारण है;

(ङ) क्या ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई पूर्वोपाय किये गये हैं;

(च) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) यह सूचना देना जनहित में उचित नहीं है । नियमानुसार प्रत्येक दुर्घटना की जांच एक अदालत करती है और उसकी सिफारिशों के आधार पर, जहां आवश्यक होता है, उसी प्रकार की दुर्घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उपाय किये जाते हैं ।

(ङ) और (च) 1964 में तब के मंत्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता में, उड़ान और उड़ान सुरक्षा के लिए उड़ान के लिये विमानों को पास करने के लिए तथा भारतीय वायु सेना में पाइलटों के प्रशिक्षण स्तर के सम्बन्ध में नियमों की पर्याप्तता की जांच के लिये, एक उच्चस्तरीय समिति बनाई गई थी । समिति की शिफारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है ।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सैनिक आयुध कोर (आर्मी आर्डिनेन्स कोर के असैनिक कर्मचारी)

2124. श्री जार्ज फरनेन्डीज :

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक आयुध कोर के उन अपर डिविजन क्लर्कों ने जिन्हें वर्ष 1953 और 1956 के बीच पदावनति करके पुन; लोअर डिवीजन क्लर्क बना दिया गया था, इस पदावनति के आदेश के विरूद्ध अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) उन्हें फिर अपर डिवीजन क्लर्क बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) पदावनति किये गये क्लर्कों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अप्रैल 1954 में जिन अपर डिवीजन क्लर्कों को लोअर डिवीजन क्लर्क बनाया गया था, उनके एक बैच को पुनः अपर डिवीजन क्लर्क ग्रेड में पदोन्नत किया गया है। अन्य क्लर्कों के सम्बन्ध में यह सत्यापन किया गया है कि उनकी पदावनति ठीक थी और इसलिये उन्हें उनके पहले वाले अपर डिवीजन क्लर्क के पदों पर फिर से लाने का प्रश्न नहीं उठता।

आर्डनेंस ट्रांजिट डिपो कर्मचारी यूनियन, अलीपुर (कलकत्ता)

2125. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री मधु लिमये :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में अलीपुर के आर्डनेन्स ट्रांजिट डिपो कर्मचारी संघ ने धमकी दी है कि वह संघ के एक पदाधिकारी को अलीपुर के आर्डनेन्स डिपो के बाहर आमरण अनशन करने के लिए कहेगा;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को बड़े विवाद का रूप लेने से, जिसने आर्डनेंस डिपो में उत्पादन बन्द हो सकता है, रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में संघ के साथ बातचीत करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्णसिंह) : (क) अलीपुर के आर्डनेंस ट्रांजिट डिपो कर्मचारी संघ ने अपनी जनरल बाडी मीटिंग में एक प्रस्ताव पास किया जिसमें संघ के जनरल सेक्रेटरी श्री एम० के० राहुत को, जो लोअर डिवीजन क्लर्क हैं, यह निर्देश दिया गया कि वह कलकत्ता में आर्डनेंस डिपो, अलीपुर, के मुख्य द्वार पर, सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव की प्रति प्राप्त करने की तारीख से एक महीने के बाद किसी भी दिन से तब तक भूख हड़ताल करें जब तक कि जबलपुर में किसी अन्य रक्षा सिव्वन्दी में उनके स्थानान्तरित किये जाने के मामले पर पुनः विचार नहीं किया जाता।

(ख) 27 मई 1967 को सरकार में अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ, किक्री (पूना), जिसके साथ आर्डनेन्स डिपो कर्मचारी संघ अलीपुर, कलकत्ता सम्बन्धित बताया जाता है, के अध्यक्ष को सूचित किया कि एम० के० राहुत को जबलपुर भेजने के प्रश्न पर विचार किया गया और वह सम्भव नहीं हो पाया कि उनकी इस प्रकार स्थानान्तरित किए जाने की

प्रार्थना को स्वीकार किया जाय। आर्डनेन्स डिपो में उत्पादन बन्द होने की बात समझ में नहीं आती।

(ग) उत्तर नकारात्मक है। सरकार ने इस संघ को मान्यता नहीं दी है।

विशेष सूची (स्पेशल लिस्ट) के कमीशन

2126. श्री कामेश्वर सिंह :
श्री मधु लिमये :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना में विशेष सूची के कमीशन केवल सैनिकों को ही दिये जाते हैं तथा ये पद सीधी भर्ती के लिए नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार भारतीय वायु सेना तथा भारतीय नौसेना के अधिकारियों को सेना में विशेष सूची के कमीशन के लिए परीक्षा देने की अनुमति देने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो भारतीय वायु सेना के वायुसैनिकों के लिये भारतीय वायुसेना में तथा भारतीय नौसेना के नौसैनिकों के लिए भारतीय नौसेना में कौन से अन्य पदोन्नति के अवसर समान पदोन्नति के अवसर हैं अथवा इन दोनों सेनाओ में पदोन्नति के ऐसे अवसर बनाये जाने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) सीधा भर्ती माध्यम से वायु सेना के जिन वायुसैनिकों और नौसेना के नौसैनिकों को अधिकायु के कारण स्थायी कमीशन नहीं दिया जा सकता, उन्हें कमीशन देने के लिए निम्नलिखित पर्याप्त व्यवस्थाएं मौजूद है।

Transistors at Cheap Rates

2128. Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether any scheme is being chalked out by Government to make available transistors at cheap rates ;

(b) if so, the nature thereof ; and

(c) the time by which they will be made available ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat): (a) to (c) It has been decided that 75% of the new capacity being licensed for manufacture of radio receivers; whether valve type or transistor type, is to be used only for the production of low cost radio receivers, both medium wave and combined medium and short wave. While sanctioning new schemes or expansion of existing scheme for manufacture of radio

receivers, this condition is being imposed. Low cost sets have started coming in the market and will be available in larger numbers as soon as new capacity being sanctioned goes into production.

भारत-पाकिस्तान संघर्ष में मृत सैनिकों की विधवाओं के लिये मकानों के प्लाट

2129. **श्री लीलाधर कटकी :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री श्रीगोपाल साबू :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाकिस्तान संघर्ष में वीरगति प्राप्त भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को मकानों के प्लाट मुफ्त दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये प्लाट देने में कोई भेदभाव किया गया है ;

(ग) क्या सभी राज्यों में ऐसा किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) सरकार को इस सम्बन्ध में ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि भारत-पाकिस्तान संघर्ष में वीर गति प्राप्त भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को मकानों के कोई प्लाट मुफ्त दिए गए हों। केवल एक मामले में ऐसा हुआ है जिसमें हवलदार अब्दुल हमीद, परमवीर चक्र, की विधवा को दुलाहपुर में दुकान तथा मकान बनाने के लिए एक बीघा भूमि दी गई थी और उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में नाजुल भूमि पर राज्य सरकार की सहायता से निर्मित एक मकान दिया गया था। फिर भी विभिन्न राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में पूछताछ की जा रही है।

कोरापुट की मिग फैक्टरी के लिये भर्ती

2130. **श्री प्र० के० देव :**
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री वीरेन्द्र नाथ देव :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरापुट (उड़ीसा) की मिग फैक्टरी में भर्ती उड़ीसा राज्य के रोजगार दिलाने वाले कार्यालयों के माध्यम से नहीं की जाती;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कितने प्रतिशत भर्ती रोजगार दिलाने वाले स्थानीय कार्यालय के माध्यम से की जाती है और कितने प्रतिशत भर्ती उड़ीसा राज्य से बाहर के रोजगार दिलाने वाले कार्यालयों के माध्यम से की जाती है ;

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं। रोजगार कार्यालय (रिक्त स्थानों के लिए अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम में उल्लिखित व्यवस्थाओं

के अनुसार ही कोरापुट की मिग फैक्टरी में भर्ती उड़ीसा राज्य के रोजगार दिलाने वाले कार्यालयों के माध्यम से की जाती है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) लगभग 90 प्रतिशत भर्ती रोजगार दिलाने वाले स्थानीय कार्यालयों के माध्यम से की जाती है और शेष भर्ती उड़ीसा राज्य से बाहर के रोजगार दिलाने वाले कार्यालयों के माध्यम से की जाती है ।

Manufacture of Television Sets

2131. **Shri Sidheshwar Prasad ;**
Shri Ram Kishan Gupta :
Shri Yashpal Singh :
Shri S. C. Samanta :
Shri Ram Chandra Ulaka :
Shri Dhuleshwar Meena :
Shri Heerji Bhai :
Shri K. Pradhani :
Shri Kashi Nath Pandey :
Shri P. K. Deo :
Shri K. P. Singh Deo :
Shri Gadilingana Gowd :
Shri Dhirendra Nath :
Shri N. S. Sharma :
Shri Sharda Nand :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of Defence be plesad to state :

(a) whether it is a fact that the work regarding the manufacture of indigenous television sets has been held up because of foreign exchange scarcity; and

(b) if so, the reasons therefor and the steps taken to improve the same ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) and (b) Two firms have been licensed for manufacture of TV receiver sets with indigenous knowhow. Their applications for import of capital goods are under the consideration of the Government. Certain clarification had been asked for from the firms and this matter is being pursued further.

पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार

2132 **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 15/16 अप्रैल, 1967 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारत पूर्व तथा दक्षिण पूर्व एशिया में अकेला पड़ता जा रहा है ।

(क) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उन देशों के साथ वाणिज्य के क्षेत्र में घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) यह सच नहीं है कि भारत पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया में अलग पड़ता जा रहा है। एक चीन को छोड़कर, इस क्षेत्र के बाकी सभी देशों के साथ हमारे मित्रता के सम्बन्ध हैं और ये सम्बन्ध द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय आधार पर दृढ़तर बनाये जा रहे हैं। यह भी सच नहीं है कि क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग की योजनाओं में हम अकेले हैं। हम इस तरह की योजनाओं का स्वागत करते हैं बशर्ते कि उनमें कोई ऐसा राजनीतिक अथवा सैनिक निहित उद्देश्य न हो जो हमारी विदेश नीति से और हमारे हितों से मेल न खाता हो।

(ग) हमने इस क्षेत्र के देशों के साथ बहुपक्षीय और द्विपक्षीय आधार पर निकटतर सम्बन्ध स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं। हम कुछ वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे हैं जिनका उद्देश्य बहुपक्षीय आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है, जैसे इकाफे और कोलंबो योजना। हमने हाल ही में बहुत-ही सामान्य तरीके से एशियाई देशों का एक व्यापक आधार वाला संगठन बनाने का विचार सामने रखा था।

द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंध विकसित करने के विचार से, हमने श्रीलंका, इन्डोनेशिया, जापान, नेपाल, कोरिया गणराज्य तथा वियतनाम जन गणराज्य के साथ व्यापार करार किये हैं तथा बर्मा, मलयेशिया, थाईलैंड, फिलीपीन्स के साथ भी व्यापार करार करने के बारे में विचार-विमर्श कर रहे हैं। हमने इन्डोनेशिया, नेपाल और श्रीलंका को भारत से माल खरीदने के लिए ऋण भी दिये हैं। वाणिज्यिक प्रचार, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों, प्रदर्शनियों और भारतीय व्यापारियों की यात्राओं के ज़रिए भी व्यापार बढ़ाया जा रहा है।

Recruitment to Army

2133. Shri Sidheshwar Prasad ;
Shrimati Sharda Mukerjee :

Will the Minister of Defence be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 200 on the 3rd April, 1967 and state :

[a] The steps since taken to give equal opportunities to the persons belonging to the different States in the matter of recruitment to the Army; and

[b] The percentage of Harijans in the Army ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) The following steps have been taken to give equal opportunities to persons belonging to different States in the matter of recruitment into the army:-

(i) Recruiting offices are located in various places covering all the States. Since 1962, some new Recruiting offices have been opened with a view to broad-base recruitment. While closing surplus offices, this aspect is given due consideration.

(ii) Instructions have been issued to all concerned to distribute the all-class demands to Branch/Sub-Recruiting offices based on the recruitable male population and the availability of potential recruits.

(iii) The Recruiting offices have instructions to go deep into the interior of the country and especially to tap the areas which have remained unrepresented in the past.

(vi) The recruiting staff give wide publicity for recruitment into the army through the medium of the press and through personal contacts with officials of State Governments,

(v) Special recruiting rallies are held in areas from where response is not satisfactory.

(vi) The Recruiting officers have instructions that, other things being equal, preference should be given for recruitment to classes which are not adequately represented in the Army.

(b) Personnel belonging to Scheduled Castes formed 11% of the strength of the army on the 31st March, 1967.

फिल्म उद्योग

2134. श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले समाचारपत्र 'स्टेट्समैन' दिनांक 16 अप्रैल, 1967 में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसका शीर्षक था "बंगाल का फिल्म उद्योग हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है" ;

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस उद्योग की स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने अब तक क्या प्रयत्न किये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जिन विभिन्न समस्याओं को उठाया गया है वे सारे फिल्म उद्योग से सम्बद्ध हैं । वे बंगाल के फिल्म उद्योग के लिए निराली नहीं हैं ।

भारत सरकार, फिल्म उद्योग को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनके प्रति सजग है और अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आवश्यक उपायों का सहारा लेने के अतिरिक्त, राज्य सरकार को इस बात के लिए राजी करने के सतत प्रयत्न किये जा रहे हैं कि वे फिल्म उद्योग को जरूरी राहत दें ।

जहां तक बंगाल के फिल्म उद्योग का सम्बन्ध है फिल्म वित्त निगम ने पिछले 6 वर्षों में 8 बंगाली फिल्मों को 20,60,340 रुपये का ऋण दिया है ।

टेलीविजन सैटों के निर्माण के लिये नियत धन को खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए लगाना

2135. श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेंडीज :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इन सुझावों पर विचार किया है कि खाद्य की गम्भीर समस्या तथा अन्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए टेलीविजन सैटों का निर्माण कार्य तथा टेलीविजन

प्रणाली लागू करने का कार्य स्थगित कर दिया जाय जिससे इस कार्य के लिए नियत किये गये साधनों का छिद्रण उपकरण, रिग्स तथा पम्पिंग सैटों के लिए उपयोग किया जा सके; और

(ख) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के. के. शाह) : (क) और (ख) व्यापारिक विज्ञापन शुरू करने के निर्णय को और इस तथ्य को देखते हुए कि टेलीविज़न चालू होने से जन-सम्पर्क के अन्य माध्यमों पर खर्चा काफी कम हो जाएगा, टेलीविजन अन्ततः न केवल शिक्षाप्रद मनोरंजन का ही साधन होगा, वरन् आय का भी एक साधन होगा। टेलीविज़न का कृषि-उत्पादन बढ़ाने की खेती सम्बन्धी विधियों का प्रदर्शन करने के लिए दृश्य माध्यम के रूप में भी प्रयोग किया जायगा।

Delegation for collecting Reminiscences of Mahatma Gandhi

* 2136. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state :--

(a) Whether it is a fact that a delegation is being sent to Kabul to meet Badasha Khan to collecte reminiscences of Mahatma Gandhi.,

(b) If so, the foreign exchange likely to be spent thereon, and

(c) The reasons for sending this delegation, taking into account the present critical foreign exchange position ?

The **Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah)** : (a) The Gandhi Centenary Committee, in collaboration with the Ministry of Information and Broadcasting sent a delegation of 7 non-officials and 2 officials of All India Radio to Jalalabad (Afghanistan) in April, 1967 to record Khan Abdul Ghaffar Khan's reminiscences of Mahatma Gandhi.

(a) Foreign exchange expenditure equivalent to Rs. 4,097 (Approximately) was incurred on the visit of this 9-man delegation.

(c) The delegation was sent to Afghanistan as a part of the programme initiated jointly by the National Committee for Gandhi Centenary and the Ministry of Information and Broadcasting for compiling Oral History of Mahatma Gandhi and interviewing and tape recording the reminiscences of eminent and close associates/ contemporaries of the Father of the Nation. A copy of the recordings will be kept in the archives of All India Radio. Considering the purpose for which the delegation was sent, the expenditure of foreign exchange was inevitable.

मास्टर तारासिंह को पाकिस्तान जाने के लिये पासपोर्ट देने से इन्कार

2137. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह आयरवाल :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मास्टर तारा सिंह को पाकिस्तान जाने के लिये पासपोर्ट देने से इन्कार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां । मास्टर तारा सिंह को पाकिस्तान जाने के लिए पासपोर्ट अस्वीकार कर दिया गया था ।

(ख) सार्वजनिक हित में पासपोर्ट अस्वीकार कर दिया गया था ।

हवलदारों तथा अदर रैंक्स के परिवारों के रहने के लिए क्वार्टर

2138. **श्री शारदानन्द :**
श्री जि० व० सिंह :
श्री भारत सिंह :
श्री रणजीत सिंह :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री 3 अप्रैल, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 387 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विवाहित हवलदारों तथा अदर रैंक्स के परिवारों के रहने के लिए क्वार्टर लेने के हक का अभिनवीकरण करने का प्रस्ताव इस बीच अन्तिम रूप से तैयार कर लिया गया है, जिससे सेना के सब विभागों तथा कोरों में इस विषय में एकरूपता लाई जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Price Bulletin--Broadcast by A. I. R.

2139. **Shri Onkar Singh :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Kishan Gupta :

Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 366 on the 3rd April, 1967 and state :

(a) whether any final decision has since been taken on the question of making improvement in the broadcast of bulletins regarding market rates by A. I. R. ; and

(b) if so, the broad details thereof ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) and (b) The matter is still under consideration.

तिब्बती शरणार्थी

2140. **श्री उमानाथ :**
श्री अब्राहम :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री अनिरुद्धन :
श्री एस्थोस :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखबारी कागज बनाने वाले एक अमरीकी ने अपना कारखाना चलाने के लिए तिब्बती शरणार्थियों को, जो इस समय पंजाब के कांगड़ा जिले में हैं, भर्ती करने की योजना बनाई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अमरीकी सरकार ने 3,000 शरणार्थियों को अमरीका में बसाने की मंजूरी दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) और (ख) दलाई लामा के ब्यूरो द्वारा प्रकाशित सूचना-पत्र (न्यूज़लैटर) में इस बारे में छपी एक रिपोर्ट की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है।

(ग) अगर इन तिब्बतियों को संयुक्त राज्य अमरीका में रोज़गार मिल सके और अमरीका सरकार उन्हें वहां बसने की इजाज़त दे दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

चावरा (केरल) स्थित मिनरल वर्क्स

2141. श्री अब्राहम : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चावरा स्थित मिनरल वर्क्स को बन्द कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसे फिर से चालू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु, शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड नामक सरकारी उपक्रम ने, जो इस विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में है, ट्रावनकोर मिनरल्स लिमिटेड की आस्तियों को अपने अधीन कर लिया है क्योंकि उक्त कम्पनी ने दो वर्ष पूर्व दिवाला निकाल दिया था। इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड ने मैसर्स होपकिन एण्ड विलियम्स नामक उस ब्रिटिश फर्म की आस्तियों को अपने अधीन लेने के लिये भी केरल सरकार से एक समझौता किया जिसने 6 वर्ष चावरा में से अपना कारोबार बन्द कर दिया था। चावरा में कारोबार पुनः चालू करने के लिये प्रयास किया जा रहा है।

कांगड़ा जिले में वायुसेना द्वारा बम गिराने का अभ्यास

2142. श्री हेमराज : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायुसेना बम गिराने का अभ्यास हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में करती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गरीब लोगों के कच्चे मकानों में दरारें आ गई हैं तथा परिणामस्वरूप उन्हें हानि पहुँच रही है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन अभ्यासों को बन्द करने तथा जिन लोगों को हानि पहुंची है उन्हें मुआवजा देने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्णसिंह) : (क) भारतीय वायुसेना के विमान हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बम गिराने के कोई अभ्यास नहीं कर रहे हैं।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

लेबनान में भारत के लिए धन इकट्ठा करना

2143. श्री राममूर्ति :
श्री अ० कु० गोपालन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'लेबनान में रहने वाले भारत के कुछ मित्रों' से प्रधान मन्त्री को 4 लाख रु० प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह राशि 'भारत सहायता दिवस' मना कर इकट्ठी की गई थी जिसके अन्तर्गत गली--मुहल्लों में धन एकत्रित किया गया और स्कूलों के बच्चों तक ने अपने जेब--खर्च के पैसों में से भी दान दिया ; और

(ग) यह राशि किस प्रकार बांटी जायेगी ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (मु० क० चागला) : (क) और (ख) लेबनान में रहने वाले भारत के कुछ मित्रों ने, राष्ट्रपति चार्ल्स हेलू की अध्यक्षता में, भारत के साथ मित्रता और एकता के प्रतीक स्वरूप जुलाई 1966 में 'भारत दिवस आन्दोलन' का आयोजन किया था। विभिन्न वर्गों के लोगों से नकद और चीजों के शक्ल में अंशदान प्राप्त हुए थे। कुल मिलाकर 168,000 लेबनानी पौंड (4 लाख रुपए) का संग्रह हुआ था। भारत दिवस अन्दोलन की कार्यकारी समीति के महामन्त्री ने प्रधान मन्त्री के नाम औपचारिक पत्र भेज कर उन्हें सूचित किया यह रकम भारत के इस्तेमाल के लिए जमा की जा रही है।

(ग) इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

फ़िल्म सेंसर बोर्ड

2144. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ़िल्म सेंसर बोर्ड के कार्यालय को बम्बई से हटाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या कारण है कि बोर्ड का कार्यालय बम्बई में है परन्तु बोर्ड के सभापति अपना सारा समय दिल्ली में गुजारते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) : बोर्ड के अध्यक्ष को अपना कार्यालय दिल्ली में रखने की अनुमति दे दी गई थी, क्योंकि उन्हें सरकार के प्रसारण और टेलीविजन के सलाहकार के रूप में भी कार्य करना था। उनके रिटायर होने पर अध्यक्ष का कार्यालय वापिस बम्बई चला जायेगा।

विशिष्ट व्यक्तियों (वी० आई० पी०) द्वारा भारतीय वायुसेना के विमानों का प्रयोग

2145. **श्री दामानी :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस किस पद के विशिष्ट व्यक्तियों को भारतीय वायुसेना के विमानों द्वारा यात्रा करने का अधिकार है ;

(ख) वर्ष 1966-67 में कितने व्यक्तियों ने भरातीय वायुसेना के विमानों का वास्तव में प्रयोग किया ; और

(ग) उन पर कितना धन व्यय हुआ ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री, उप-प्रधान मन्त्री और केन्द्रीय सरकार के अन्य मन्त्रीगण, थल सेनाध्यक्ष, नौसेनाध्यक्ष, वायुसेनाध्यक्ष, और संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के औहदे के रक्षा संगठन से सम्बन्धित प्रवर सैनिक और असैनिक अफसर भारतीय वायुसेना के अति विशिष्ट व्यक्तियों को ले जाने वाले विमानों में यात्रा कर सकते हैं। भारत यात्रा पर आए हुए राज्यों के मुख्यों, विदेशी सरकारों के उप-राष्ट्रपतियों और मुख्यों को भी अति विशिष्ट व्यक्तियों को ले जाने वाले विमानों में यात्रा कराई जाती है।

(ख) 1966-67 के दौरन अति विशिष्ट व्यक्तियों को ले जाने वाले विमानों में 2906 व्यक्तियों ने यात्रा की।

(ग) इन विमानों की उड़ान पर 5428100 रुपये की धन राशि व्यय हुई। इसमें से कुछ धनराशि भारतीय वायु सेना को दी जानी थी। भारतीय वायु सेना को ठीक कितनी धन राशि मिली है इस सम्बन्ध में सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

प्रस्तावित 'नाइन टाइगर मैन' फ़िल्म

2146. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी फ़िल्म कम्पनी टुवेंटीयथ सेंचुरी फाक्स का भारत में एक रूपक फ़िल्म बनाने का सुझाव है तथा उन्होंने फ़िल्म जिसका नाम 'नाइन टाइगर मैन' है की लिपि भी भेज दी है ;

(ख) क्या सरकार ने इस लिपि की जांच पर विशेष रूप से ध्यान दिया है कि इसमें कोई भारत-विरोधी बात तो नहीं है ;

(ग) क्या सरकार का विचार उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखने का है ; और

(घ) सरकार इस फिल्म के निर्माताओं से क्या कोई गारन्टी लेगी कि वे भारत की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए फिल्म नहीं बनायेंगे तथा उसकी जो प्रति वे विदेशों में बांटेंगे वह बिल्कुल वही होगी जिसे भारत में सेंसर्ज़ पास करेंगे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) : जी, हां।

(ख) जी, हां पाण्डुलिपि के अध्ययन के आधार पर निर्माताओं को कुछ परिवर्तन करने की सलाह दी गई है ताकि वह ऐतिहासिक तथ्यों के अनुरूप हो और भारत का रूप बिगाड़ कर न प्रस्तुत करें।

(ग) यह उचित नहीं होगा कि फिल्म रिलीज़ होने से ही पहले ही पाण्डुलिपि सदन की मेज पर रख दी जाय।

(घ) इस तथ्य का ध्यान रखते हुए कि फिल्म-निर्माता अपनी पसन्द के किसी भी देश में फिल्म की शूटिंग के लिए स्वतन्त्र हैं और वे स्पष्टतया उन देशों को पसन्द करते हैं, जहां उन्हें अधिक सुविधायें मिल सकती हों और जहां क्रियाविधियां बहुत कठोर न हों, यह न तो बिल्कुल उचित होगा और न व्यावहारिक कि गारन्टी के लिए जोर दिया जाए। तो भी, निर्माताओं से इस आशय का आश्वासन ले लिया गया है कि वे सरकार के साथ किये गये अनुबन्धों का पालन करेंगे। जहां तक फिल्म के भारत में प्रदर्शन का प्रश्न है, उस पर सामान्य सैन्सरशिप विनियम लागू होंगे। अन्य देशों में इसका प्रदर्शन सम्बन्धित देशों के सैन्सरशिप विनियमों के अनुसार नियमित होगा।

नाविक प्रशिक्षण संस्था

2147. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री हीरजी भाई :
श्री ख० प्रधानी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री 27 मार्च, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 49 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाविक प्रशिक्षण संस्था को पारादीप ले जाने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्णसिंह) : (क) प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न हीं नहीं उठता।

दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के बीच सहयोग

2148. श्री दी० च० शर्मा :
श्री वीरेन्द्रकुमार शाह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व एशिया की आर्थिक प्रगति के बारे में दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच सहयोग के इण्डोनेशिया के प्रस्ताव पर विचार कर लिया गया है : और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री सु० क० चागला) : (क) सरकार को क्षेत्रीय सहयोग के सम्बन्ध में इंदेशिया के विचारों की कुछ जानकारी है लेकिन उसे कोई विशेष प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुए हैं ?

(ख) चूंकि कोई विशेष प्रस्ताव नहीं किए गए हैं, इस लिए भारत सरकार की प्रतिक्रिया का कोई प्रश्न नहीं उठता । लेकिन सामान्य तौर पर यह कहा जा सकता है कि हम दक्षिण-पूर्व एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग की ऐसी किसी भी योजना का समर्थन करने के पक्ष में हैं, जो सम्बद्ध देशों को स्वीकार्य हो और उनके लिए लाभकारी हो और जिसमें कोई अवांछनीय सैनिक अथवा राजनीतिक निहितार्थ न हों।

उत्तर प्रदेश में सैनिक अभ्यास

2149. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री गाडिलिंगन गौड :
श्री मुहम्मद इमाम :
श्री सु० कु० तापडिया :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में उत्तर प्रदेश के बेतवा में सैनिक अभ्यास किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इन अभ्यासों में कितने अधिकारियों और जवानों ने भाग लिया ; और

(ग) इन अभ्यासों पर कुल कितना धन व्यय हुआ ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्णसिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) यह सूचना देना जनहित में उचित नहीं है ।

ईराक के प्रतिरक्षा मन्त्री की यात्रा

2150. श्री य० अ० प्रसाद : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1967 में ईराक के प्रतिरक्षा मन्त्री भारत आये थे और भारत-ईराक सहयोग की सम्भावना के बारे में भारतीय अधिकारियों के साथ बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उनके साथ क्या बातचीत हुई तथा उसका क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्णसिंह) : (क और ख) जी हां । ईराक के रक्षा मन्त्री अप्रैल 1967 में भारत आए थे । भारत-ईराक सहयोग के बारे में किसी ठोस प्रस्ताव पर बातचीत नहीं हुई । सैद्धान्तिक रूप से यह एक सद्भावना यात्रा थी ।

Military Farms

2151. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the number of farms being run by his Ministry in the country;

(b) the acreage of each farm and the acreage out of that which is used for cultivation and dairy farming, separately ;

(c) the number of agricultural farms and dairy farms running at loss ' and

(d) the total amount of profit made or loss sustained annually by these farms ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) and (b) There are 81 Farms, Depots, Young stock Farms and Bailing Depots run by the Miltary Farms Directorate under the Ministry of Defence. Particulars regarding the total area of each Farm and the area therefrom used for cultivation and dairy farming separately are being collected and a statement will be laid on the Table of the House.

(c) and (d) The working results of Military Farms giving the profit and loss position up to 1964–65 are given in the Commercial Appendix to the annual Appropriation Accounts of the Defence Services. During 1965-66, 26 Farms suffered loss and the overall net loss in respect of all the Military Farms run under the Defence Ministry was Rs. 77·37 lakhs. During 1966–67 according to the unaudited accounts, 5 dairy farms have incurred loss and similarly the overall net profit was Rs. 66.37 lakhs. These accounts for 1966-67 are awaiting audit and the exact figure of profit/loss will be known after the audit is complete.

परमाणु बिजलीघर, मद्रास

2152. **श्री सेझियान :**
श्री अंबाजागन :
श्री मुत्तु गौडर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास के निकट कलपाक्कम में एक परमाणु बिजलीघर स्थापित करने में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस परियोजना पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ;

(ग) क्या इस परियोजना के बारे में फ्रांसीसी सरकार के साथ कोई करार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) इस परियोजना का निर्माण-कार्य संतोषजनक रूप से चल रहा है। 200 मेगावाट (इ) क्षमता की पहली यूनिट के लिये आवश्यक उपकरण तथा सामान भारत या विदेशों से, जहां भी वह उपलब्ध होगा, मंगाने के लिये आदेश दे दिये गये हैं। वहां स्थान की जांच-पड़ताल, जल सम्बन्धी

सर्वेक्षण, संयंत्र के निर्माण का स्थान और उसकी रूपरेखा, 475 एकड़ भूमि का अधिगृहीत किया जाना, प्रवेश-मार्ग गोदाम और प्रयोगशाला आदि का काम पूरा हो चुका है । और आवासीय कालोनी का प्रथम चरण प्रयोगशाला सहित एक सूक्ष्म मौसम विज्ञान सम्बन्धी स्टेशन का निर्माण लगभग पूरा होने वाला है ।

(ख) पहली यूनिट पर लगभग 14 करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा खर्च होगी ।

(ग) और (घ) फ्रांस की सरकार के साथ कोई विशेष समझौता नहीं किया गया है ।

चुम्बन के बारे में विचारगोष्ठी

2153. श्री मणीभाई जे पटेल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय चुम्बन के बारे में एक विचारगोष्ठी का आयोजन कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो कब और क्या यह केवल फिल्मों तक सीमित होगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के. के. शाह) : (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) आवश्यक नहीं ।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण

2154. श्री विश्वनाथ पांडेय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग ने 1966–67 में उत्तर प्रदेश में कितने नमूना सर्वेक्षण किये; और

(ख) उक्त अवधि में इन सर्वेक्षणों पर कितना धन व्यय हुआ ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) एक वक्तव्य सभा-पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये एल. टी. संख्या 605 । 67]

(क) इस प्रकार के सर्वेक्षणों में आंकड़े एकत्र करने का काम राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है और डिज़ाइन तथा सारणी बनाने का काम भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा किया जाता है । सर्वेक्षण का समय और वित्तीय वर्ष साथ-साथ नहीं चलते हैं । प्रत्येक सर्वेक्षण और प्रत्येक राज्य में सर्वेक्षणों पर आने वाले खर्च का निश्चित से पता लगाना संभव नहीं होता । तथापि, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय ने 1966–67 के दौरान उत्तर प्रदेश में फील्ड वर्क पर लगभग 11.11 लाख रुपये खर्च किये हैं ।

HINDI NEWS READERS

2155. Shri J. Sundar Lal : Will the Minister of Information and Broadcasting be Pleased to state :

(a) whether it is a fact that some of the Hindi News-readers of All India Radio never read out the news;

(b) if so, the reasons therefor, and

(c) the pay scales of news-readers and translators respectively and the difference in the two pay scales ?

The Minister of Information and Brodcasting (Shri K. K. Shah) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise

(c) The fee scales for both Hindi News Readers and Hindi Translators are as follows :

Intermediate Grade :	Rs. 235-15-370-20-530,
Senior Grade :	Rs. 425-25-650-30-770 (Selection Grade for Intermediate Grade) ,

पाकिस्तान के साथ काश्मीर के प्रश्न पर वार्ता का प्रस्ताव

2156. श्री हेम बरुआ :
श्री नाथपाई :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री ओंकार सिंह :
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :
श्री ओ० प्र० त्यागी :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बिना कोई पूर्व शर्त अथवा पूर्व वचन के पाकिस्तान के साथ काश्मीर के प्रश्न पर बातचीत करने का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि यह काश्मीर के प्रश्न पर सरकार द्वारा अपनाये गये अब तक के मूल दृष्टिकोण के विरुद्ध है; और

(ग) यदि नहीं, तो किन विशेष बातों को ध्यान में रख कर यह नया प्रस्ताव रखा गया है ?

वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) पाकिस्तान के विदेश मंत्री के नाम मैंने 6 मई 1967 को जो पत्र भेजा था, उसमें मैंने यह लिखा था :

"भारत सरकार ने संसद और संसद से बाहर, दोनों जगह पहले कई बार कहा है कि हम दोनों तरफ से कोई पूर्व शर्त लगाये और वचन दिए बगैर, भारत और पाकिस्तान के बीच तमाम प्रश्नों पर बातचीत करने को तैयार हैं, जिनमें काश्मीर का प्रश्न भी शामिल है। यह बातचीत किसी ऐसे समय और किसी ऐसे स्थान पर हो सकती है जो भारत और पाकिस्तान की सरकारों को परस्पर सुविधाजनक हो। हम उस स्थिति को पक्की तौर पर मानते हैं और यह दोहराना चाहते हैं कि हम आपके प्रतिनिधियों के साथ सभी मामलों पर बातचीत करने को तैयार हैं।

(ख) और (ग) यह स्थिति, कि भारत सरकार भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर प्रश्न समेत तमाम प्रश्नों पर बातचीत करने को राज़ी है, संसद में तथा संयुक्त राष्ट्र में भी कई बार बताई जा चुकी है। लेकिन, इसका यह मतलब नहीं है कि जम्मू तथा कश्मीर के बारे में भारत की बुनियादी स्थिति में कोई परिवर्तन आ गया है।

National Defence Fund

2157. Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Rabi Ray :
Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a person named V. N. Alwani has written a letter to her from Landon to the effect that the then High Commissioner had received £ 1,000 from Miss K. Tayabji for National Defence Fund but neither any receipt was given to her nor this amount was deposited in the National Defence Fund ;

(b) whether any investigations were made into the matter ;

(c) if so, the findings thereof; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (d) Shri V. N. Alavani wrote to the Prime Minister that he has authorised the High Commissioner for India in the United Kingdom to collect a sum of £ 1001 from Miss Kamila Tyabji for the National Defence Fund. The High Commissioner who was addressed on the subject, reported that according to Miss Tyabji, Shri Alavani had not transferred any money to her. Under the circumstances, no further action was taken in the matter.

Expenditure on Taxis

2158. Shri J. Sunder Lal : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the News Services Division of All-India Radio have spent about Rupees fity thousands on taxis during 1965-66;

(b) whether it is also a fact that charges for petrol for these taxis were paid in addition to that, and

(c) the total amount spent on purchasing spare parts and carrying out repairs of the vehicles of this Division during this period ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) No, Sir. The total amount spent on hiring of taxis during 1965-66 was Rs. 21,884 07 only;

(b) No, Sir. The above amount includes a sum of Rs. 1037.03 towards cost of petrol paid as part of the fare for a period of the year ;

(c) An amount of Rs. 24,937.52 was spent on spare parts and repairs on the vehicles of the News Services Division.

छावनी बोर्ड के कर्मचारी

2159. श्री स० मो० बनर्जी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छावनी बोर्ड के कर्मचारियों के वेतन में की गई 5 रुपये प्रतिमास की तदर्थ वृद्धि जो 1 जनवरी, 1962 से मंजूर की गई थी, अभी तक उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में उन कर्मचारियों को नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसका पालन कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्णसिंह): (क) से (ग) केवल उत्तर प्रदेश सरकार ने ही अपने निम्न वेतन प्राप्त कर्मचारियों के लिए पहली जनवरी 1962 से वेतन में 5 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से तदर्थ वृद्धि मंजूर की है। उत्तर प्रदेश में छावनी बोर्डों के उसी दर्जे के कर्मचारियों के लिये पहली जून 1966 से उसी दर पर तदर्थ सहायता देना मंजूर किया गया है। पहली जनवरी 1962 से उन्हें यह लाभ दिए जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

Expalsion of Jivaji Industrial Research Ladoratory Gwalior

2160. Shri Y S Kushwah : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the details of the scheme undertaken for the expansion of Jivaji Industrial Research Laboratory, Gwalior with a view to utilising it for the purposes of national defence production; and

(b) the steps taken to implement the scheme during the last three years ?

The Minister of state in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) The Jivaji Industrial Reseerch Laboratory at Gwalior was taken over by the Defence Ministry in November 1963 with a view to set up a defence laboratory for Materials Research (which, in the light of modern trends in defence technology, has assumed added importance) to meet the essential requirements of several varieties of sophisticated defence stores and equipments.

(b) For the purpose mentioned above, theree R. & D. Divisions at DRL (M) Kanpur, namely, Applied Chemistry; Drugs and Pharmaceuticals and Natural/Synthetic Polymers, have already been transferred from Kanpur to Gwalior and are functioning here.

Proposals for augmentation of facilities at Gwalior are under consideration.

उड़ीसा में सैनिक स्कूल

2161. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में विद्यमान अन्य सैनिक स्कूलों की स्कूलवार तुलना में उड़ीसा के सैनिक स्कूल के कितने लड़के स्कूल आरम्भ होने से लेकर अब तक राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी में प्रवेश पाने के लिये चुने गये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्णसिंह): उड़ीसा में भुवनेश्वर सैनिक स्कूल में पहले-पहल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 32वें कोर्स में दाखिला प्राप्त करने के लिये ली जाने वाली परीक्षा में बैठने के लिए अपने छात्र भेजे। विभिन्न सैनिक स्कूलों की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई

है जिससे यह भी पता लगता है कि विभिन्न सैनिक स्कूलों से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में कुल कितने लड़के दाखिल हुए :–

सैनिक स्कूल	राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 32वें से 37वें कोर्स तक–जुलाई 1964 से जनवरी 1967 तक।	अब तक कुल दाखिल हुए छात्रों की संख्या
सतारा	26	28
कुंजपुरा	62	68
कपूरथला	58	62
चित्तौड़गढ़	20	21
बालाचंडी	11	11
कोसकोंडा	12	12
काझाकुटम	21	21
पुतलिया	7	7
भुवनेश्वर	22	22
अमरावती नगर	22	22
रींवा	14	14
तिलैया	6	6

बीजापुर, गोआलपाडा और छोडाखाल में स्थित सैनिक स्कूलों ने इन कोर्सों के लिए प्रवेश परीक्षा में भाग नहीं लिया, क्योंकि वे अभी 10वीं श्रेणी स्तर तक ही पहुंच पाए हैं।

पाकिस्तान में नजरबन्द भारतीय लोग

2162. श्री म० ला० सौंधी : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान मे कोई भारतीय राष्ट्रजन अब भी नज़रबन्द हैं, तथा जेलों में हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है तथा उनमें से कितने व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु के हैं अथवा छात्र हैं ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि उन्हें किन परिस्थितियों में और किन कारणों से पाकिस्तान में नजरबन्द किया क्या है तथा उन व्यक्तियों के कल्याण सम्बन्धी देखभाल के लिए इस समय क्या व्यवस्था है ;

(घ) क्या नजरबन्द व्यक्तियों के लिए चिकित्सा, अपने सम्बन्धियों को पत्र लिखने आदि की समुचित सुविधायें दी जाने के बारे में कोई करार अथवा समझौता है और यदि हां, तो क्या उसका पालन पारस्परिक आधार पर किया जा रहा है ;

(ङ) क्या सरकार ने उन व्यक्तियों के अदले-बदले की संभावना पर विचार किया है, जिनका अपराध के मामलों से कोई सम्बन्ध नहीं ;

(च) क्या सरकार प्रत्येक मामले में दण्ड की अवधि पूरी होने के बारे में कोई रिकार्ड रखती है और क्या उन्हें स्वदेश वापस लाने के बारे में कोई उचित व्यवस्था की जाती है ; और

(छ) क्या नई दिल्ली क्षेत्र के कोई विद्यार्थी पाकिस्तान में नजरबन्द हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है तथा उन्हें किन कारणों से गिरफ्तार किया गया है तथा उन्हे किन स्थानों में गिरफ्तार रखा गया है और उनके विरुद्ध क्या आरोप लगाये गये हैं और उन्हें रिहा कराने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) जी हां ।

(क) 85 व्यक्ति जिनमें एक विद्यार्थी है । उसकी आयु 18 वर्ष है ।

(ग) हमारी जानकारी में जितने भी मामले हैं, उनमें से अधिकांश में पाकिस्तान सरकार ने उन्हें रोके रखने के कारण बताए हैं । ये वास्तविक कारण हैं, यह हम नहीं कह सकते । उनमें से अधिकांश पाकिस्तान में गैर-कानूनी तरीके से प्रवेश करने के आरोप में पकड़े गये हैं । ऐसे व्यक्तियों की देखभाल के संतोषजनक प्रबंध नहीं है । इस्लामाबाद-स्थित हमारे हाई कमीशन ने पाकिस्तान सरकार से ज़ोर देकर यह बात कही है कि इन भारतीय बंदियों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं दी जाएं ।

(घ) इस समय कोई चार्टर अथवा करार नहीं है । पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा है कि बंदियों को अपने संबंधियों को पत्र लिखने की छूट है, लेकिन कुछ मामलों में संबंधियों ने शिकायत की है कि उन्हें कभी-कभी बहुत दिनों तक पत्र नहीं मिले हैं ।

(ङ) जी हां ।

(च) जी हां ।

(छ) श्री त्रिलोकचंद्र नाम का एक विद्यार्थी है, जिसे इस समय भावलपुर जेल में रखा हुआ है । पाकिस्तानी सैनिकों ने उसे 28-1-66 को गिरफ्तार किया था जबकि वह, बताते हैं कि अमृतसर के पास अचानक पाकिस्तानी प्रदेश में भटक गया था । पाकिस्तान रक्षा नियम, 1965 की धारा 9 के अंतर्गत उस पर मुकदमा चलाया गया और 11-4-66 को उसे दो वर्ष की सजा सुना दी गई । इस्लामाबाद स्थित हमारे हाई कमीशन ने कई बार विदेश कार्यालय के उच्च अधिकारियों से इसे छुड़वाने के लिए मुलाकात की है, लेकिन इस बात का डर है कि उसे शायद अपनी सजा की मियाद पूरी करने से पहले छोड़ा न जाए ।

सरगुजा जिले में सड़क

2163. श्री नाथूराम अहिरवार :
श्री भा० सुन्दरलाल :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले में मेनपत तक, जहां तिब्बती शरणार्थी बसाए गए हैं, जाने के लिये सारा वर्ष खुली रहने वाली कोई सड़क नहीं है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस बारे में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसकी मंजूरी दे दी है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार इस मामले पर विचार कर रही है ।

विभिन्न भाषाओं के समाचार-पत्र

2164. श्री अब्दुल गनी दार : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1948, 1958 और 1966 में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में कितने दैनिक, पाक्षिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र-पत्रिकाएं थीं तथा प्रत्येक प्रकाशन की कितनी कितनी प्रतियां छपती थीं; और

(ख) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों में किसी समाचार-पत्र को कोई सहायता दी है और यदि हां, तो किसको तथा कितनी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के. के. शाह) : (क) 1948 के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है । दो विवरण, जिनमें 1958 और 1966 में विभिन्न राज्यों में समाचार-पत्रों की आवधिकता-वार एवं भाषा-वार संख्या दी हुई है, संलग्न है (परिशिष्ट 1 और 2) [पुस्तकालय में रखे गये, देखिये प्रश्न संख्या एल० टी० 606/67]

भारत के समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार अपनी रिपोर्ट के भाग 2 में प्रचार-संख्या के आंकड़े केवल 1959 से ही दे रहे हैं । इन रिपोर्टों की प्रतियां प्रतिवर्ष लोकसभा की मेज पर रखी जाती हैं । सम्बन्धित समाचार-पत्रों की 1958 की प्रचार-संख्या के आंकड़े एकत्र और संकलित करने में जो समय और परिश्रम लगेगा वह प्राप्त परिणामों के अनुरूप नहीं होगा । 1966 में सभी समाचार-पत्रों की प्रचार-संख्या के आंकड़े भारत के समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार की वार्षिक रिपोर्ट के भाग 2 में दिए जाएंगे, जो शीघ्र ही सदन की मेज पर रखी जाएगी ।

(ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा समाचार-पत्रों को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती । किन्तु हैंडआउट के रूप में, प्रचार सामग्री देकर, दूर-संचार सेवाएं प्रदान कर, विज्ञापन और अखबारी कागज आदि देकर उनकी सहायता की जाती है ।

चीन के साथ बातचीत

2166. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री बलराज मधोक :
श्रीचन्द गोयल :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीन को दोनों देशों के बीच सम्बन्धों के बारे में सार्थक बातचीत का प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां तो उस पर चीन सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पब्लिकेशन डिवीजन में विक्रय प्रतिनिधि

2167. श्री रामचरण : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पब्लिकेशन डिवीजन में 1962, 1963, 1964, 1965 और 1966 में विक्रय प्रतिनिधियों तथा विक्रय सहायकों के कितने स्थान खाली हुए;

(ख) पब्लिकेशन डिवीजन के कर्मचारियों में से सीधी भर्ती द्वारा तथा विभागीय पदोन्नति कोटा द्वारा कितने पद भरे गये ;

(ग) उनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों के थे ;

(घ) ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी थी जिन्हें पब्लिकेशन डिवीजन के अनुभव के अलावा और कोई विक्रय अनुभव नहीं था; और

(ङ) ऐसे कितने कर्मचारी थे जिनके पास बिजनेस मैनेजमेंट का डिप्लोमा था ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के. के. शाह) :

	(सेल्स विक्रय प्रतिनिधि रिप्रेजेन्टेटिव्ज)	विक्रय सहायक (सेल्स असिस्टेंट्स)
(क) रिक्त पदों की संख्या		
1962 –	1	–
1963 –	2	2
1964 –	2	–
1965 –	1	1
1666 –	–	5
(ख) भरे गये पदों की संख्या		
सीधी भर्ती द्वारा	3	2
पदोन्नति द्वारा	1	–
बदली। प्रतिनियुक्ति द्वारा	–	2
(ग) अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या	* 1	–
(घ) उन कर्मचारियों की संख्या जिनको केवल प्रकाशन विभाग का अनुभव था	3	2
(ङ) ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिनके पास बिजनेस मैनेजमेंट का डिप्लोमा था	–	–

* इस पद पर काम करने वाला कर्मचारी स्थायी विक्रय सहायक है।

केन्द्रीय सूचना सेवा

2168. **श्री रामचरण** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1967 तक केन्द्रीय सूचना सेवा में पदक्रमवार अर्थात पदक्रम एक, पदक्रम दो आदि के कुल कितने अधिकारी शामिल थे ;

(ख) ऐसे अधिकारियों की (पदक्रमवार) संख्या कितनी है जिन्हें उन्हीं पदों तथा पदक्रमों पर अन्य विभागों । मंत्रालयों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया ;

(ग) ऐसे अधिकारियों की (पदक्रमवार) संख्या कितनी है जिन्हें निःसंवर्ग पदों (एक्स केडर पोस्ट्स) पर प्रतिनियुक्ति भत्ता देकर प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया ; और

(घ) ऐसे अधिकारियों की (पदक्रमवार) संख्या कितनी है जिन्हें अन्य विभागों/मंत्रालयों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया और जो दिल्ली में ही काम कर रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के. के. शाह) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के मेज पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 607/68]**

Powerful A. I R. Transmitters

2169. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state :

(a) whether the high power transmitters being used at the Broadcasting Stations of A. I. R. are simliar to those being used at B. B. C. London and the Broadcasting Stations of Ceylon, Karachi and Peking; and

(b) if not, the measures which Government propose to take in that direction ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) The transmitting facilities available with all India Radio are in no way inferior to those obtaining, at present, at the broadcasting stations of Ceylon and Pakistan, B. B. C. has, however, a much larger number of transmitters of higher power than those available with A. I. R. Published data relating to the powers of transmitters in use by Peking is not available But it is surmised that Radio Peking have a large complement of high power transmitters.

(b) As part of the Third and Fourth Five Year Plans for development of broadcasting in India, a few transmitters of powers comparable to those available with B. B. C. and possibly China, are being provided.

दिल्ली के केन्द्रीय आयुध डिपो से टी० एम० वी० सामान (स्टोर) की चोरी

2170. **श्री स० मो० बनर्जी**
श्री मधु लिमये :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली छावनी में केन्द्रीय आयुध डिपो में 1966 में अथवा 1967 के आरम्भ में 3 लाख रुपये की लागत के टी० एम० वी० सामान (स्टोर) की चोरी का मामला दर्ज करवाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले को विशेष पुलिस संस्थान को न दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसमें केन्द्रीय आयुध डिपो के किसी वरिष्ठ सैनिक अधिकारी का हाथ है;

(घ) यदि हां, तो क्या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) दिसम्बर 1966 में केन्द्रीय आयुध डिपो दिल्ली छावनी में टी० एम० वी० सामान की सामान्य जांच-पड़ताल के फलस्वरूप 1,24,507.80 रूप कीए लागत के सामान की कमी का पता लगा; प्रारम्भिक जांच-पड़ताल करने पर यह मालूम पड़ा कि यह सब उठाईगिरी या चोरी के कारण हुआ है। यह मामला शीघ्र ही स्थानीय पुलिस को सौंपा गया जो इसके सम्बन्ध में आवश्यक छानबीन कर रही है। कुछ मदों को पुलिस ने उपलब्ध कर लिया है; कुछ लोगों को बंदी बनाया गया है। इस सम्बन्ध में और आगे की गई प्रगति के सम्बन्ध में सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसा नहीं है। फिर भी, पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) भाग के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

Cultivable Land Acquired for Aerodromes

2171. Shri Valmiki Choudhary : Will the Minister of Defence be pleased to state;

(a) the acreage of cultivable land acquired by Government during the last 5 years for the construction of aerodromes in the country; and

(b) the extent to which the food production has decreased as a result thereof ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) According to the information readily available about 4300 acres of cultivable land has been acquired during the last 5 years for the I. A. F. aerodromes.

(b) The information is not available.

Indian Consulate at Seoul

2173. Shri Y. S. Kushwah :
Shri Nihal Singh :
Shri Sheopujan Shastri :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether Government have decided to open an Indian Consulate at Seoul, the capital of South Korea; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir.

(b) Does not arise.

नक्सलबाड़ी आन्दोलन के नेताओं का नेपाल को भाग निकलना

2174. श्री स्वैल : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नक्सलबाड़ी आन्दोलन के, जिसमें पुलिस द्वारा की गई गोली-बारी के परिणामस्वरूप दस औरतें मारी गई थीं, नेता भाग कर नेपाल पहुंच गये हैं; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने नेपाल सरकार से सम्पर्क स्थापित किया है और अपना सहयोग देने का अनुरोध किया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री सु० क० चागला) : (क) हमारे पास यह सूचना नहीं है कि आन्दोलन के नेता नेपाल चले गए हैं या नहीं। गृह मंत्रालय ने इसकी रिपोर्ट नहीं भेजी है। इसके अलावा, भारतीयों द्वारा सीमा पार कर नेपाल में जाने का कोई लेखा-जोखा नहीं रखा जाता क्योंकि भारतीयों और नेपालियों के लिए यह खुली सीमा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वियतनाम में संघर्ष

2175. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वियतनाम में पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग की किसी सदस्य सरकार ने वियतनाम में संघर्ष समाप्त करने के सम्बन्ध में कोई नये प्रयत्न किये हैं और इस बारे में भारत सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रयत्न किये गये हैं; और

(ग) इसचे क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री सु० क० चागला) : (क) भारत सरकार को कनाडा के विदेश मन्त्री, श्री पाल मार्टिन के उस वक्तव्य के बारे में सूचित रखा गया है जो कि उन्होंने अप्रैल 1967 में कनाडा के हाउस आफ़ कामन्स के विदेशी मामलों से संबद्ध स्थायी समिति में दिया था और जिसमें वियतनाम में संघर्ष समाप्त करने के बारे में कुछ विचार निहित थे।

(ख) श्री पाल मार्टिन के वक्तव्य में (1) उत्तर और दक्षिण वियतनाम के बीच विसैन्यी-कृत क्षेत्र में कुछ हद तक लड़ाई-बंदी करने; (2) वर्तमान स्तर पर सैन्य सम्बन्धी घटनाओं को रोकने; (3) भूमि, समुद्र और वायु में हर तरह की लड़ाई खत्म करने और (4) 1954 के जेनेवा युद्ध-विराम की व्यवस्थाओं पर फिर अमल किये जाने की बात कही गई है जिसमें 17वीं समानान्तर के दोनों ओर सेनाओं का हटना, युद्ध-बंदियों की अदला-बदली तथा सैनिक अड्डों को गिराना भी शामिल है।

(ग) वियतनाम जन गणराज्य ने, जो इस संघर्ष में उलझा एक पक्ष है, इन प्रस्तावों को अस्वीकार किया है।

संयुक्त राष्ट्र संघ को भारत का वित्तीय योगदान

2176. **श्री मोलहू प्रसाद :**
श्री महाराज सिंह भारती :
श्री रवि राय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965–66 में भारत सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उसकी विभिन्न एजेन्सियों को कितनी विदेशी मुद्रा देनी पड़ी थी; और

(ख) वर्ष 1966–67 के सम्बन्ध में कुल कितनी विदेशी मुद्रा देनी है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) 1965–66 और 1966–67 के वर्षों के दौरान संयुक्त राष्ट्र और उसके अंगों को जितनी विदेशी मुद्रा में जो अदायगियां की गई थीं, उनका एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 608/67**]

संयुक्त राष्ट्र विशेषीकृत एजेंसियों को विदेशी मुद्रा में जो अदायगियाँ की गई थीं उनके बारे में संबद्ध मंत्रालयों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सदन की मेज़ पर रख दी जाएगी।

आकाशवाणी के पणजी केन्द्र से मराठी कार्यक्रम

2177. **श्री शिकरे** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ के सरकारी तथा गैर-सरकारी प्राइमरी तथा हाई स्कूलों के हज़ारों ऐसे विद्यार्थियों को जिनका 1965–66 तथा 1966–67 शिक्षा वर्षों में शिक्षा का माध्यम मराठी था, उनके चरित्र-निर्माण तथा सांस्कृतिक उत्थान के बारे में आकाशवाणी के पणजी केन्द्र से प्रसारित किये जाने वाले मराठी के विशेष प्रसारणों से वंचित रखा गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पणजी केन्द्र से मराठी कार्यक्रम को पुनः आरम्भ करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

प्रतिरक्षा सम्बन्धी अध्ययन तथा विश्लेषण की संस्था

2178. **श्री ज्योतिर्मय वसु** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा सम्बन्धी अध्ययन तथा विश्लेषण की संस्था को गत वित्तीय वर्ष में कितनी राशि दी गई और चालू वित्तीय वर्ष में कितनी राशि देने का विचार है;

(ख) इस संस्था में प्रतिरक्षा सेवाओं के वर्तमान तथा भूतपूर्व अधिकारियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इस संस्था के ज्ञापन तथा अन्तर्नियमावली की एक प्रति तथा इसकी कार्य-पालिका और इसके पूर्ण-कालिक वरिष्ठ कर्मचारियों की एक सूची सभा-पटल पर रखी जायेगी; और

(घ) क्या सैनिक अध्ययन के पाश्चात्य केन्द्रों में प्रशिक्षित तथा उनसे सम्बद्ध व्यक्ति इस नई भारतीय संस्था के प्रशासन तथा इसके कार्य-संचालन से सम्बद्ध किये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार ने रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्था को 1966–67 के लिए एक लाख रुपए का सहायता अनुदान दिया है। इस उद्देश्य के लिए चालू वित्तीय वर्ष के बजट प्राक्कलन में 3 लाख रुपए की व्यवस्था है।

(ख) मेजर जनरल डी० सोमदत्त ही, जो भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, इस संस्था में काम करने वाले अकेले रक्षा सेवा अधिकारी हैं।

(ग) संस्था के ज्ञापन और नियमावली की एक प्रति सभा के पटल पर रख दी गई है। [पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 609/67]

इस संस्था की कार्यकारी परिषद में इस समय निम्नलिखित हैं :—

1.	श्री यशवन्तराव चव्हाण	—	अध्यक्ष
2.	श्री धर्मवीर	—	सदस्य
3.	जनरल जे० एन० चौधरी	—	सदस्य
4.	श्री के० सी० पन्त	—	सदस्य
5.	श्री एल० के० झा	—	(इस्तीफा दे चुके हैं)
6.	श्री एस० बूथालिंगम	—	सदस्य
7.	श्री एन० डंडेकर	—	सदस्य
8.	श्री वी० शंकर	—	सदस्य
9.	श्री एच० सी० सरीन	—	सदस्य
10.	संस्था का निदेशक (मेजर जनरल डी० सोमदत्त)	—	(पदेन सदस्य)

संस्था के प्रवर पूर्णकालीन अमले में इस समय निम्नलिखित हैं :—

1. संस्था के निदेशक
2. प्रशासकीय अधिकारी

(घ) इस संस्था का निदेशक, इन्स्टीट्यूट फार स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, लन्दन के एक सदस्य हैं जहां उन्होंने अपनी वर्तमान नियुक्ति से पूर्व अगस्त 1965 से सितम्बर 1966 तक काम किया था। संस्था के अन्य सदस्यों के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है।

प्रेस संवाददाताओं को मान्यता देने के बारे में केन्द्रीय समिति

2179. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रेस संवाददाताओं को मान्यता देने के बारे में केन्द्रीय समिति का गठन किन आधारभूत सिद्धांतों के अन्तर्गत किया गया है;

(ख) क्या सरकार को श्रमजीवी पत्रकारों की भारतीय फैडरेशन से यह पत्र मिला है कि वह उनके द्वारा प्रस्तुत की गई चार व्यक्तियों की तालिका में प्रेस एसोसियेशन तथा न्यूज केमरामैन एसोसियेशन के प्रतिनिधियों को स्थान देने के लिये तैयार है;

(ग) क्या श्रमजीवी पत्रकारों के कार्मिक संघों के प्रतिनिधियों की संख्या कम करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) प्रेस संवाददाताओं को मान्यता देने सम्बन्धी भूतपूर्व केन्द्रीय समिति की पिछली बैठक कब हुई थी और नयी समिति की घोषणा कब तक हो जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) समिति के गठन का आधारभूत मार्गदर्शक सिद्धांत यह है कि समिति में सम्पादकों और श्रमजीवी पत्रकारों के ऐसे प्रतिनिधि होने चाहिए, जो पत्रकारों की आवश्यकताओं और उनकी व्यावसायिक दक्षता आंक सकें और पत्र संवाददाताओं को मान्यता देने के सामले में सरकार को उचित सलाह दे सकें। समिति में इस समय आठ सदस्य है-- चार सम्पादक और चार श्रमजीवी पत्रकार, जो प्रेस आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार, सम्पादकों और श्रमजीवी पत्रकारों के अखिल भारतीय संगठनों से सलाह करके चुने जाते हैं। समिति का सामान्य कार्य-काल एक साल है।

(ख) जी, हां। श्रमजीवी पत्रकारों की भारतीय फैडरेशन ने यह कहा है कि वे अपने 4 के कोटे में, प्रेस एसोसिएशन के दो तथा केमरामैनों की एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि को शामिल करने के लिए सहमत हैं, बशर्ते कि उन लोगों के नाम फेडरेशन की मार्फत भेजे जाएं। यह बात प्रेस एसोसिएशन को स्वीकार्य नहीं है।

(ग) सरकार व्यावहारिक हल के लिए फैडरेशन और प्रेस एसोसिएशन से बातचीत कर रही है।

(घ) समिति की पिछली बैठक 13 अक्टूबर, 1966 को हुई थी। नयी समिति के पुनर्गठन पर विचार हो रहा है।

आसाम में भूमि का अर्जन

2130. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आसाम में उत्तर लखीमपुर सब-डिवीजन के छवाती क्षेत्र में प्रतिरक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिये भूमि अर्जित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी भूमि अर्जित करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) आसाम में उत्तर लखीमपुर सब-डिवीजन के छवाती क्षेत्र में रक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिए भूमि अर्जित किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों के कब्जे में रिहायशी क्वार्टर

2181. श्री विश्वनारायण शास्त्री : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोहाटी स्थित काटन कालेज के प्रधानाचार्य के रिहायशी क्वार्टरों में प्रतिरक्षा-कर्मचारी रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके कब तक खाली किये जाने की सम्भावना है ?

(ग) क्या सरकार को पता है कि प्रतिरक्षा-कर्मचारियों की कैन्टीन में शराब की एक दुकान है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उक्त दुकान इस मद्य-निषिद्ध क्षेत्र में बाहर वाले लोगों को भी शराब बेचती है और जिसका वहां के शिक्षा सम्बन्धी वातावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां । यह भू-सम्पत्ति राज्य सरकार से 10 दिसम्बर 1962 से किराए पर ली गई थी ।

(ख) वैकल्पिक आवास उपलब्ध होते ही इसे खाली किया जाएगा । इसके लिए कोई निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती है ।

(ग) इसके अहाते में एक कैन्टीन है न कि शराब की दुकान । इस कैन्टीन को विरचना हैडक्वार्टर चला रहा है । इस कैन्टीन में शराब का अधिकृत स्टाक भी रहता है ।

(घ) जी नहीं । कैन्टीन में उपलब्ध सुविधाएं केवल सैनिक कार्मिकों को ही प्राप्त है । सिवीलियन इस अहाते में नहीं आ सकते ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गोआ में हवाई अड्डा

2182. श्री शिंकरे : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रम्बोलिम-गोआ के हवाई अड्डे का पूर्णतः प्रतिरक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिये उपयोग करने तथा पणजी के निकट पोरवोरिम में असैनिक उड्डयन के लिये एक नया हवाई अड्डा बनाने की किसी योजना को अन्तिम रूप दिया है; और

(ख) यदि हां, तो पोरवोरिम में हवाई अड्डे के कब तक बन जाने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) नौसेना को डबोलिम (गोआ) का हवाई अड्डा स्थायी रूप से उपयोग करने के लिए चाहिए और वह 1964 से उसके नियन्त्रण में है । पोरवोरिम में एक नया असैनिक हवाई अड्डा बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । इण्डियन

एयरलाइन कारपोरेशन को अपने विमानों को उड़ाने के लिए डवोलिम हवाई अड्डे का उपयोग करने की इजाजत दी गई है ।

आसाम में सैनिक स्कूल

2183. श्री रा० बरुआ : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र के मैदानी, आदिम जातीय तथा पर्वतीय क्षेत्रों से छात्रों को आकर्षित करने के लिए सरकार का विचार गोआलपाड़ा सैनिक स्कूल के अतिरिक्त अन्य उपयुक्त स्थानों पर और सैनिक स्कूल खोलने का है; और ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में वर्तमान प्रबन्ध संतोषजनक सिद्ध हुए हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) सैनिक स्कूल, गोआलपाड़ा में पूर्वी क्षेत्रों के पहाड़ी और मैदानी भागों से जन-जाति के छात्रों को आकर्षित करने के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं की गई हैं, जो इस प्रकार हैं :—

(1) दूर तक फैले हुए क्षेत्र में, प्रवेश परीक्षा लेने के लिए, पर्याप्त संख्या में केन्द्र खोलना;

(2) प्रवेश परीक्षा के लिए हिन्दी, अंग्रेजी, आसामी और बंगाली भाषा के अतिरिक्त गारो, खासी और लुशाई भाषाओ के प्रयोग करने की इजाजत;

(3) प्रवेश परीक्षा के लिए व्यापक प्रचार;

(4) प्रवेश परीक्षा में जो अनुसूचित वर्ग के छात्र पास हो जाते हैं उन्हें, योग्यताक्रम सूची में उनके स्थान को बिना विचार किए, स्वतः दाखिला देना; और

(5) नेफा से ऐसे छात्रों के लिए विशेष छूट देना, जिन्हें नेफा प्रशासन, उन्हें दी गई आरक्षित सीटों के लिए परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होती, नामजद कर सकते हैं ।

इसके अतिरिक्त नेफा के जनजाति छात्र अन्यत्र सैनिक स्कूलों में भी दाखिल किए गए हैं। ये व्यवस्थाएं सन्तोषजनक हैं ।

इस समय आसाम में कोई और सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि वहां की सरकार ने इस सम्बन्ध में सैनिक स्कूल सोसाइटी से कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया है ।

प्रतिरक्षा विभाग की प्रथम श्रेणी की सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति

2184. श्री कं० हाल्दर : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम श्रेणी की प्रतिरक्षा की सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्ति भर्ती किये गये; और

(ख) सामान्य भर्ती को छोड़ कर आपातकालीन भर्ती में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे यथासमय सभा के पटल पर रख दिया जाएगा ।

News Readers

2185. **Shri J. Sunder Lal :** Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state :

(a) whether it is a fact that whereas the English and Hindi news-readers of All India Radio only read out the news while the news-readers of other languages, apart from reading out the news do the translation work also ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) and (b) A statement is laid on the table of the House.

Statement

Because of the large number of news-bulletins and spoken-word programmes in English and Hindi, there are full-time Newsreaders in these languages. For Hindi there are Newsreaders-com-Translators also in addition to the Newsreaders. The former are required to do translation work and also, when need arises, read news bulletins. In the case of other languages, except Dogri, since only three news bulletins are broadcast in each language, only Newsreaders-cum-Translators have been appointed, who perform both the functions. There is thus no disparity as far as this category of staff is concerned.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पोप द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के विषय में रोम स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति जिसमें तथ्यों की गलतबयानी की गई थी

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : श्रीमान, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

26 मई, 1967 को पोप के साथ मंत्री की मुलाकात के समय पोप द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के विषय में रोम स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति जिसमें तथ्यों की गलतबयानी की गई थी

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० चन्द्रशेखर) : भारतीय दूतावास या वेटिकन द्वारा जारी की गई विज्ञप्तियां मैंने अभी नहीं देखी हैं । अपने दूतावास को एक तार भेजकर मैंने दोनों विज्ञप्तियों की एक एक प्रतिलिपि मांगी है ।

वेटिकन में 26 मई 1967 को मैंने हिज होलीनेस पोप पाल से एक व्यक्तिगत भेंट की । हिज होलीनैस इतालियन में बोले जो उनकी मातृ-भाषा है और मैं अंग्रेजी में बोला । बातचीत

एक दुभाषिए के जरिये हुई। हिज होलीनेस ने बीच-बीच में अंग्रेजी के कुछ शब्द बोले, जब उन्होंने चाहा और जब उन्होंने सोचा कि दुभाषिया सही अनुवाद नहीं कर रहा है। सम्पूर्ण भेंट-वार्ता में मैंने जन्म नियन्त्रण, परिवार नियोजन और प्लैन्ड पेरेन्टहुड शब्दों का प्रयोग किया। इस भेंट का पूर्ण उद्देश्य यह पता करना था कि हिज होलीनेस और कैथोलिक चर्च वैज्ञानिक गर्भरोध के द्वारा कैथोलिकों के लिए 'जन्म नियन्त्रण' की पाबन्दी को शिथिल करने के लिए विचार कर रहे है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में मुझे जो उत्तर दिया गया उसका अर्थ यह था कि हिज होलीनेस किसी भी वैज्ञानिक गर्भरोध के विरुद्ध थे और हिज होलीनेस गर्भ-पात के भी विरुद्ध थे। उन्होंने कहा वह सभी दृष्टिकोणों पर विचार कर रहे थे, जिनमें गैर-कैथोलिक दृष्टिकोण भी शामिल है। मैंने उन्हें जनसंख्या के नियंत्रण पर भारत सरकार की नीति सम्बन्धी एक विवरण भेजने का वायदा किया। हिज होलीनेस ने कहा कि वे इस पर बहुत सावधानी से विचार करेंगे।

श्रीमान, मैंने आपके कार्यालय को अन्तिम कंडिका निकाल देने के लिये कहा है क्योंकि यह अनावश्यक है और संशोधित प्रति से इसे निकाला जा चुका हैं।

श्री म० ला० सोंधी : श्रीमान, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय तथ्यों को छुपाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्होंने विज्ञप्ति नहीं देखी।

श्री म० ला सोंधी : दूतावास उस व्यक्ति से परामर्श किये बिना. जिससे कि विज्ञप्ति सम्बन्धित है, विज्ञप्ति कैसे जारी कर सकता है, विज्ञप्ति उसी दिन जारी की गई थी, जिस दिन मंत्री महोदय रोम में थे। यदि उन्होंने विज्ञप्ति नहीं देखी तो वैदेशिक कार्य मंत्री को उस सम्बन्ध में क्या कहना है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : My point of order relates to the fact that our ministers issue statement regarding talks held with foreign Governments and those foreigners refute such statements. The same thing happened with regard to Iran and now it has happened in the matter of talks with the Pope. The Ministers should either stop such negotiations or they should hold the negotiations in their own languages.

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री म० ला० सोंधी : रोम के समाचार-पत्रों के अनुसार पोप ने कहा है कि यदि भारत अपने संसाधनों का ठीक उपयोग करे तो वह अपनी वर्तमान जनसंख्या से भी दुगुनी जनसंख्या के लिये खाद्यान्न आदि की व्यवस्था कर सकता है। क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में अपने विचार बदलने के लिये तैयार हैं।

Shri Ram Manohar Lohia : (Kannauj) : On a point of order, Sir. If the hon. Minister had used his own language in talks with the Pope, this matter would not have arisen. The proportion of white people is on the increase as compared with the coloured people. The Pope represets whinte people.

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । भारत सरकार आर्थिक परिस्थितियों से बाध्य होकर परिवार नियोजन करा रही है । क्या ऐसा पोप के आशीर्वाद के बिना नहीं किया जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

पारपत्र अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारण बताने वाला विवरण

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : श्रीमान्, मैं लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71 (1) के अन्तर्गत पारपत्र अध्यादेश, 1967 द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारण बताने वाले व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । [**पुस्कालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 599/67**]

हल्दिया-बरौनी-कानपुर पाइपलाईन के निर्माण के सिलसिले में इंडियन रिफाइनरीज़ लिमिटेड (वर्तमान इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड) द्वारा किये गये करार

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघु रमैया) : श्रीमान्, मैं तारांकित प्रश्न संख्या 211 और 212 पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते समय 1 जून, 1967 की योजना, पैट्रोलियम तथा रसायन और समाज कल्याण मंत्री द्वारा दिये गये वचन के अनुसरण में, हल्दिया-बरौनी-कानपुर पाइपलाईन के निर्माण के सिलसिले में इंडियन रिफाइनरीज़ लिमिटेड (वर्तमान इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड) द्वारा किये गये निम्नलिखित करार/ठेकों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) एस एन ए एम प्रोगेट्टी के साथ करार ।

(2) एस एन ए एम साइपेम के साथ ठेका ।

(3) बेचेल एशियन कारपोरेशन लिमिटेड के साथ ठेका ।

(4) बेचेल इन्टर्नेशनल कारपोरेशन के साथ ठेका ।

(5) बेचेल इन्टर्नेशनल लिमिटेड के साथ ठेका ।

[**पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 600/67**]

राज्य-सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से निम्नलिखित सन्देश प्राप्त हुए हैं :

"राज्य सभा ने प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 111 के अनुसार, मुझे राज्य-सभा द्वारा 8 जून, 1967 की बैठक में पारित पार पत्र विधेयक, 1967 की एक प्रति भेजने का निदेश मिला है।"

पारपत्र विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

PASSPORT BILL

As passed by Rajya Sabha

सचिव : मैं राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पारपत्र विधेयक, 1967 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (सी० बी० आई) की रिपोर्ट उड़ीसा सरकार को न दिये जाने के बारे में ध्यान दिलाने वाली सूचना में उठाये गये मामले के बारे में विनिर्णय

RULING ON POINT RAISED IN CALLING ATTENTION NOTICE RELATING TO NON-SUPPLY OF C B I REPORT TO ORISSA GOVERNMENT

अध्यक्ष महोदय : अब मैं केन्द्रीय जांच ब्यूरो के बारे में उठाये गये प्रश्न के सम्बन्ध में अपना विनिर्णय देता हूं।

8 जून, 1967 को श्री बीजू पटनायक के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी० बी० आई) की रिपोर्ट की प्रति उड़ीसा सरकार को उपलब्ध कराने से केन्द्रीय सरकार के कथित इनकार के बारे में एक ध्यान दिलाने वाली सूचना के उत्तर में माननीय गृह-कार्य मंत्री के वक्तव्य के बाद श्री नाथपाई ने व्यवस्था का एक प्रश्न उठाया कि तृतीय लोक सभा के एक माननीय सदस्य द्वारा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखे जाने के बाद यह प्रतिवेदन सभा की कार्यवाही का भाग बन गया है और यह दस्तावेज गुप्त नहीं है। कई अन्य सदस्यों ने भी उनका समर्थन किया था। इस व्यवस्था के प्रश्न के अतिरिक्त प्रो० रंगा तथा उनका समर्थन करने वाले कई अन्य सदस्यों ने कहा कि भारत सरकार का अपने पास किसी दस्तावेज को उड़ीसा सरकार को देने से इनकार करना उचित नहीं है। डा० लोहिया ने कहा था कि इससे केन्द्र तथा राज्यों के सम्बन्धों पर प्रभाव पड़ेगा। इस सम्बन्ध में मैंने गृह-कार्य मंत्री तथा विधी मंत्री से परामर्श करना उचित समझा। माननीय विधी मंत्री ने कहा कि यह मामला लोक सभा से सम्बन्धित

नहीं हैं और इस विषय पर आपके पूर्वाधिकारी 26 फरवरी, 1965 को विनिर्णय दे चुके हैं। उक्त विनिर्णय के उल्लेख तथा उसके कुछ अंशों को पढ़ने के बाद विधी मंत्री ने कहा कि इस बात के दावे के बावजूद, कि यह प्रतिवेदन अथवा उसका सारांश सभा-पटल पर रख दिया गया है, सरकार यह दावा कर सकती है कि यह गोपनीय दस्तावेज है और इसलिये सरकार इसे प्रकट करने तथा प्रकाशित करने के लिये बाध्य नहीं है।

गृह-कार्य मंत्री ने वह पृष्ठभूमि बताई जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय जांच ब्यूरो को प्रतिवेदन देने के लिये कहा गया था ताकि मंत्रिमंडल उस पर विचार कर सके। मुझे इसके ब्यौरे में जाने की आवश्यकता नहीं है।

इस पर श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ने कहा था कि उड़ीसा सरकार भारत सरकार को प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन की प्रति मांगती है, न कि मंत्रिमण्डल को प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन की प्रति। उन्होंने यह भी कहा कि यह दस्तावेज गोपनीय नहीं है। इसलिए भारत सरकार इसकी प्रतियां राज्य सरकार को देने से इनकार नहीं कर सकती।

मैंने इन सभी मामलों पर विचार किया है और इन निष्कर्षों पर पहुंचा हूं;

26 फरवरी, 1965 को मेरे प्रतिष्ठित पूर्वाधिकारी स० हुकमसिंह द्वारा विनिर्णय दिये जाने के बाद श्री कामत ने सभा-पटल पर एक दस्तावेज रखा जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि यह केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन की प्रति है। बाद में श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ने सभा-पटल पर एक दस्तावेज रखा जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि यह समूचे प्रतिवेदन की प्रति है। सरकार ने इन दस्तावेजों की सत्यता को न तो माना है और न ही उसका खण्डन किया है। गृह-कार्य मंत्री के वक्तव्य में यह स्पष्ट है कि वह प्रतिवेदन को अब भी गोपनीय मानते हैं और इसे सार्वजनिक बनाने के लिये तैयार नहीं हैं। इसका सरकार को पूर्ण अधिकार है और अध्यक्ष उन्हें ऐसा दस्तावेज सभा-पटल पर रखने के लिये बाध्य नहीं कर सकता। सभा में इसे सभा-पटल पर रखने को मांग नहीं की गई है।

ऐसा तर्क दिया गया है तृतीय लोक सभा के दौरान विपक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा कि सभा-पटल पर रखे गये दस्तावेज सभा के अभिलेख का अंग है और इसलिये वह गुप्त दस्तावेज नहीं है। नियम 369 (2) के अनुसार सभा-पटल पर रखे गये सभी पत्र तथा दस्तावेज सार्वजनिक समझे जाते हैं, अतः श्री कामत तथा द्विवेदी द्वारा तृतीय लोक सभा के दौरान सभा-पटल पर रखे गये पत्र पहले ही सार्वजनिक सम्पत्ति बन चुके हैं। परन्तु यहां इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है कि वे दस्तावेज ऐसे नहीं हैं जो सरकार द्वारा सभा-पटल पर रखे गये हैं। अतः जो दस्तावेज सरकार के पास हों, वह स्वतः सार्वजनिक नहीं हो जाते हैं।

प्रो० रंगा, डा० लोहिया तथा श्री द्विवेदी द्वारा उठाये गये प्रश्न वास्तव में व्यवस्था के प्रश्न नहीं हैं। उन पर विनिर्णय देने की आवश्यकता नहीं है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I appeal the hon. Minister through you to help in a good action of the Government of Orissa to hold an impartial enquiry against those Ministers against whom accusations have been levelled. I would like to know from him

whether an authenticated copy of the report of C. B. I. will be supplied to Government of Orissa before the appointment of a Commission of enquiry.

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : इस सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार ने निर्णय कर लिया है और इस मामले में सहयोग देना अच्छी बात होगी। जिन दस्तावेजों की जांच की गई है, वे उड़ीसा सरकार के पास हैं, यदि उड़ीसा सरकार केन्द्रीय जांच ब्यूरो के किसी अधिकारी की सहायता चाहती है, तो मैं इस पर विचार करने के लिये तैयार हूँ। उन्होंने इसके लिये उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश देने के लिये कहा है, मैं इसके लिये प्रयत्न कर रहा हूं। हम इसके लिये आवश्यक सहयोग तथा सहायता देने के लिये तैयार हैं परन्तु यह एक गुप्त दस्तावेज है और सरकार का यह प्रतिवेदन उन्हें देने का कोई विचार नहीं है।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : यदि उड़ीसा सरकार जांच आयोग नियुक्त करती है और आयोग उस दस्तावेज की मांग करता है, तो क्या मंत्री महोदय उसे देंगे।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने पहले ही यह बात स्पष्ट कर दी है कि यदि नियुक्ति के बाद आयोग को इसकी आवश्यकता होगी तो हम उस पर अवश्य विचार करेंगे।

Shri Ragi Ray (Puri) : It appears from the reply of the Minister of Home Affairs that the Central Government is the foundation of all corruption. The former Congress Chief Minister of Orissa, Shri Sadashiv Tripathi did not ask for a copy of the report for the purpose of enquiry. He wanted it only for the sake of information. The present Chief Minister wants it for the purpose of instituting an enquiry. The Home Minister wants to mislead the House by intermixing the demand by the former Congress Chief Minister and the present non-Congress Chief Minister.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमारा रवैया प्रत्येक व्यक्ति तथा प्रत्येक दल के साथ बदल नहीं जाता। हमारा रवैया कुछ सिद्धान्तों पर आधारित है। कांग्रेसी तथा गैर-कांग्रेसी सरकार के साथ हमारा रवैया बदल नहीं जाता। यह दस्तावेज किस उद्देश्य से मांगी जा रही है, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। इसका निर्णय दस्तावेज के स्वरूप पर आधारित है।

श्री क० प्र० सिंह देव (ढेंकानाल) : वर्तमान गैर-कांग्रेसी सरकार भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिये ठोस उपाय कर रही है। क्या भारत सरकार का इसके मार्ग में बाधा डालना उचित है।

मैं आपका ध्यान 31 मई के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा है यदि केन्द्रीय सरकार आग्रह करे तो राज्य केन्द्रीय सरकार को विधि तथा व्यवस्था के बारे में समय समय पर प्रतिवेदन भेजने के मामले पर विचार करने को तैयार है। राज्य सरकार ने शिकायत करने वालों को दोष सिद्ध करने और श्री पटनायक को अपने आपको दोषरहित सिद्ध करने का अवसर दिया है। केन्द्रीय सरकार स्पष्ट आश्वासन क्यों नहीं देती कि न्यायिक जांच के लिये यह प्रतिवेदन दिये जायेंगे। इस मामले से केन्द्र तथा राज्यों के सम्बन्धों का मामला भी उठता है। हम सभी चाहते है कि राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध जारी रहने चाहिये। गृह-कार्य मंत्रालय का इस मामले में बाधा डालने का क्या लाभ है ?

इन सभी बातों को देखते हुये, मैं यह पूछना चाहता हूं कि यदि जांच आयोग प्रतिवेदन की प्रति मांगे तो क्या यह प्रति आयोग को उपलब्ध कराई जायेगी ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यदि आयोग को साक्ष्य के लिये इसकी आवश्यकता होगी तो हम निश्चय ही उसे उपलब्ध कराने का विचार रखते हैं ।

समिति के लिये निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

राष्ट्रीय छात्र सेना दल की केन्द्रीय सलाहकार समिति

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय छात्र सेना दल अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उप-धारा (1) राष्ट्रीय छात्र सेना दल (संशोधन) अधिनियम, 1952 द्वारा संशोधित रूप में के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए एक वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय छात्र सेना दल की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सस्दयों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सामान्य आयव्ययक 1967–68–सामान्य चर्चा जारी

GENERAL BUDGET 1967–68 GENERAL DISCUSSION

Shri Ahmed Agha (Baramula) : I do not agree with the contention that Congress Government encourages monopolies. It is against concentration of wealth in a few hands. Many hon. Members have put forward different types of suggestion dnring this discussion. Some have suggested a out in defence expenditure while others want manufacture of atom bombs. Government should bring down prices. Some wanted that tax strutcure should be improved. I have found that Budget has receivd general support from almost all hon. Members. Our planning has not succeeded as we desired. As a result the production has not increased and conditions of scarcity have developed and prices have gone up.

Our economy received a set back during the invasions from China and Pakistan. We should extend all help to Government such eventualities. we are passing through an emergency. We should offer our cooperation in face of difficulties. It is improper to launch

agitations. Cow is a sacred animal for all of us, but there should not be any agitation in regard to this animal. Particularly this is not the opportune time for this. We should not fritter away our energy in these agitations.

I endorse the suggestion that farmers should be provided all types of facilities. He should be given irrigation water, good quality seeds and credit for purchasing implements etc. He should be given tractors on higher-purchase system. It will help in increasing food production.

The wasteland should be brought under cultivation without delay. Forest based industries should be setup in Kashmir.

About 35 per cent of the total yield of fruit of Kashmir goes waste, because we do not have cold storage facilities there. There was a proposal for setting up a fruit processing plant. That proposal should be implemented. There should be separate arrangements for export of handloom products of Kashmir. Kashmir can earn huge amounts of foreign exchange through tourism, if some steps are taken. Srinagar airport should be brought on routes of international airlines. Kashmir will attract tourists from abroad in agreat number.

Proper arrangements should be made for marketing of walnuts which is produced in large quantities in Kashmir.

The growers of walnut should be given remunerative prices. Good qulaity seeds should be imported and distributed in an equitable manner. All these points should be looked into.

श्री जी० मा० कृपलानी (गुना) : माननीय वित्त मन्त्री ने हमारी आर्थिक स्थिति का उचित विश्लेशण किया है यद्यपि यह विश्लेषण व्यापक नहीं है। मंत्री महोदय इसके लिये बधाई के पात्र हैं। यदि मंत्री महोदय ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद विकसित सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था पर विस्तारपूर्वक विचार किया होता तो उनका आय-व्ययक रूढ़िवादी अथवा 'यथापूर्व स्थिति' वाला न होता, जैसाकि प्रत्येक सदस्य ने कहा है। ऐसा करके वह आमूल नया आयव्ययक प्रस्तुत कर सकते थे। पुराने रोगियों के लिये तीव्र इलाज की आवश्यकता होती है। यह आयव्ययक केवल बही खाता आयव्ययक है, जिसमें दो रेखाओं से वर्ग बनाने का प्रयत्न किया गया है। ऐसा करने के लिये मंत्री महोदय ने हमें अप्रत्यक्ष कर की दवाई दी है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद हम स्वदेशी की बात भूल गये और ऐसा सामान आयात करने लगे जिनकी हमें आवश्यकता नहीं थी अथवा जिन्हें हम स्वयं बना सकते थे, हमने इस प्रकार विदेशी मुद्रा नष्ट कर दी। उन दिनों किसी वस्तु के आयात के लिये अनगिनत लाइसेंस जारी किये गये।

मुझे खेद है कि वित्त मंत्री ने कहा है कि मूल्यों में वृद्धि का मुख्य कारण मुद्रा स्फीति नहीं है। वित्त मंत्री की अर्थव्यवस्था इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से भिन्न होगी। मुद्रास्फीति से मूल्यों में सदा वृद्धि होती रही और हम अन्य देशों से अन्धाधुन्द ऋण लेने लगो हमें इसके लिये इस वर्ष 300 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में देने हैं। हमारी स्थिति ऐसी है कि हमने नइ ऋणों के भुगतान के लिये अधिक समय मांगा है।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे

म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok-Sabha then adjourned for Lunch till fourteen of the Clock.

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजे म० प० पुन: समवेत् हुई ।

The Lok-Sabha re-assembled after Lunch at fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

श्री जी० भा० कृपलानी : हमने आयोजन का आरम्भ करते हुये पूंजीवादी उद्योग पर अधिक बल दिया और कृषि तथा उपभोक्ता वस्तु उद्योग की उपेक्षा की । हमने यह नहीं समझा कि खाद्य, कृषि तथा उपभोक्ता आयोग सभी उद्योगों के आधार हैं । साम्यवादी देशों में पूंजीवादी उद्योगों पर अधिक बल दिया गया क्योंकि वह अपने देश को लड़ाकू बनाना चाहते हैं । परन्तु अपनी गलती का पता लग जाने पर चीन तथा रूस दोनों ने ही कृषि तथा उपभोक्ता वस्तुओं पर अधिक ध्यान दिया है ।

योजना के दोषपूर्ण होने के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति में बहुत वृद्धि हुई है । मुद्रास्फीति एक चोरी है, इसे घाटे की अर्थ व्यवस्था का नाम दिया गया है, यह बिना भेद भाव के सभी पर एक कर है, इसके अन्तर्गत निर्धन लोगों को अधिक कष्ट सहन करना पड़ता है ।

योजनाओं का परिणाम यह हुआ है कि औद्योगिक क्षेत्र में हमारी क्षमता बहुत बेकार पड़ी है । इससे बेकारी बढ़ी है और इसके फलस्वरुप समाज के सबसे अधिक निर्धन वर्ग की वास्तविक मजूरी में और कमी हो गई है । एकाधिकार के बारे में जांच करने के लिये एकाधिकार आयोग तथा हजारी आयोग नियुक्त किये गये थे । उनके प्रतिवेदनों से मालूम हुआ है कि धनी लोग अधिक धनी हो गये हैं ।

इसके अतिरिक्त प्रशासनिक व्यय बढ़ रहा है । एक कांग्रेसी सदस्य ने कहा कि वह सात गुणा बढ़ गया है । प्रशासन का काम इतना नहीं बढ़ा है । मंत्रियों ने भी कहा है कि वे प्रशासनिक कर्मचारियों में 33 प्रतिशत कमी कर सकते हैं और उससे दक्षता में कमी नहीं होगी । इन सभी कारणों से हमारी अर्थ व्यवस्था की स्थिति दयनीय रही है ।

इस समय की सब से बड़ी आवश्यकता सरकारी व्यय में मितव्ययता करने की है । मेरा वित्त मंत्री तथा मंत्रि-मण्डल से निवेदन है कि प्रतिष्ठा के पदों में अधिक मितव्ययता की जानी चाहिये । मुझे इस बात का कोई कारण नहीं दिखाई देता कि राष्ट्रपति, एक केवल राज्याध्यक्ष है और जिन्हें कोई प्रशासनिक कार्य नहीं करने पड़ते, प्रधान मंत्री की तुलना में, जोकि वास्तव में सरकार का काम चलाती है, अधिक शान में रहें । जहां तक फालतू खर्च का सम्बन्ध है, कुछ अन्य पदों का क्रम भी नीचा किया जाना चाहिये । सामुदायिक विकास विभाग जैसे कुछ ऐसे विभाग है जो केन्द्र के लिये बिलकुल बेकार हैं । शिक्षा मंत्रालय जैसे कुछ अन्य विभाग हैं जिनका समूचा काम राज्यों में किया जाना चाहिये परन्तु उनके बड़े मंत्रालय केन्द्र में हैं ।

केवल असैनिक विभागों में ही नहीं, बल्कि सैनिक विभागों में भी सुधार की आवश्यकता हैं। इस प्रकार के सुधार से 115 करोड़ रुपये की बचत होगी जिसका अप्रत्यक्ष करों के रूप में वसूल करना बिलकुल उचित नहीं है। यदि इसमें 0·5 प्रतिशत की कमी भी कर दी जाये तो अप्रत्यक्ष कर लगाये बिना ही आयव्ययक सन्तुलित हो जायेगा।

वित्त मंत्री चाहे कुछ भी कहें अप्रत्यक्ष कर लगाने से मूल्यों में वृद्धि अवश्य होगी। न केवल उन वस्तुओं के मूल्य बढ़े हैं जिन पर कर लगाया गया है बल्कि उनके साथ साथ लगभग सभी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो गई है। लोगों के पास दूध पीने के लिये नहीं है। चाय तथा काफी से लोगों को वंचित रखना उनके साथ घोर अन्याय करना है। इसी प्रकार कृत्रिम रेशम पर कर लगाने से निर्धन जनता प्रभावित होगी क्योंकि वह सूती कपड़े से सस्ता है। यहां तक कि हथकरघा बुनकर भी कृत्रिम रेशम का प्रयोग करते हैं।

पूंजीपति जानते हैं कि करों का समूचा भार उपभोक्ता पर कैसे डाला जाये। वित्त मंत्री की इस आशा के बावजूद कि उद्योग यह कर सहन करेगा, केवल उपभोक्ता को ही यह भार सहन करना पड़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी ही गन्दी हो जायेगी जैसी पहले थी। मुद्रास्फीति केवल अप्रत्यक्ष करों से ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि इस कारण भी बढ़ेगी कि सरकार के पास पी० एल० 480 का लगभग 144 करोड़ रुपया है। जब तक हमारे उद्योगों की अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग नहीं होगा, कीमतें बढ़ती चली जायेंगी और जनता की कठिनाइयां कम होने की बजाये बढ़ती चली जायेंगी।

चुनाव में इस बार कांग्रेस के कुछ बड़े नेता चुनाव में हार गये हैं। इसलिये, यह विश्वास कर लेना सम्भव है कि इस बार चुनाव शान्तिपूर्ण तथा निष्पक्ष हुये हैं। परन्तु कुछ ऐसे राज्य है जहां चुनाव निष्पक्ष तथा शान्तिपूर्ण नहीं हुये मतदाताओं को उठाने के लिये पुलिस का तथा सरकारी प्रभाव खुले आम डाला गया। ऐसा न होने देने के लिए चुनाव आयुक्त को अधिक अधिकार मिलने चाहिये। ऐसे स्थानों पर जहां कहीं गड़बड़ी की शिकायतें हों, खास कर उप चुनावों में, वहां तुरन्त फ्लाइंग सलवैंड भेजा जाना चाहिये।

यदि सत्तारूढ़ सरकार पद त्याग न करे तो उसे कम से कम देखना चाहिये कि सरकारी प्रभाव का इस प्रकार प्रयोग न किया जाये जिस प्रकार हो रहा है, विशेष रूप से मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा (खम्भन) : माननीय वित्त मंत्री ने आयव्ययक प्रस्तुत करते समय चाय, काफी सिगरेट आदि पर कर लगाये हैं और कहा है कि वह ऐसा जनता के स्वास्थ्य तथा दीर्घ आयु के लिये कर रहे हैं। मैं इस बात में कुछ सहमत हूं परन्तु इस बात का क्या कारण है कि वह मदिरा पान की वस्तुओं पर कर लगाना भूल गये हैं। संविधान के अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि राज्य मदिरा की खपत पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रयत्न करेगा। इस निर्णय पर पहुँचना ठीक नहीं है कि राज्य सरकारों के यत्र-तत्र प्रयत्नों के कारण नशाबन्दी असफल रही है। यह हमारी जनता की उस इच्छा को कार्य रूप देने का तरीका नहीं है जिसका संविधान में उल्लेख हुआ है। मद्यनिषेध समूचे देश में लागू किया जाना

चाहिये। भारत जैसा निर्धन देश मद्यपान की विलासिता सहन नहीं कर सकता। वित्त मंत्री को स्वतन्त्र दल के उन सदस्यों के परामर्श पर ध्यान नहीं देना चाहिये जो योजना में जबरदस्त कटौती के पक्ष में हैं। इस्पात को गैर-सरकारी क्षेत्र पर छोड़ देना उचित नहीं है, यह भी ठीक नहीं है कि प्रस्तावित इस्पात कारखाना लगाने का विचार छोड़ दिया जाये। यदि हमारे पास अपने उद्योगों तथा कृषि के उपकरणों के लिये इस्पात नहीं होगा तो हमें उसका आयात अमरीका तथा अन्य पश्चिमी देशों से करना पड़ेगा। वे देश हमें अपने देश की स्वतन्त्रता खो देने के लिये बाध्य करेंगे।

हमने तीन पंचवर्षीय योजनायें पूरी कर ली हैं परन्तु उन योजनाओं का ठीक तथा वास्तविक मूल्यांकन और अनुमान नहीं लगाया गया है। सरकार उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुयें देने के लिये कारगर उपाय नहीं कर सकी है।

यदि नीति का परिवर्तन अनिवार्य समझ लिया जाये, तो नई नीति एकदम नहीं अपनाई जानी चाहिये। ऐसी सभी परिस्थितियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिये और उनकी व्यवस्था की जानी चाहिये। अन्यथा योजनाओं की क्रियान्विति में गड़बड़ उत्पन्न हो जायेगी।

योजना में किसी भी बड़ी कटौती से हमारी प्रगति धीमी पड़ जायेगी और हमारे सामाजिक उद्देश्य पूरा होने में विलम्ब हो जायेगा। इससे आर्थिक मोर्चे पर गतिहीनता आयेगी और हमारे लोकतन्त्र के लिये खतरनाक परिस्थितियां पैदा हो जायेंगी।

आज हम कठिनाई में हैं क्योंकि हम लगातार जनता की इच्छाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके बदले उन्हें कोई त्याग करने के लिये कभी नहीं कहा जाता और त्याग तथा कठोर परिश्रम का कभी कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया जाता।

विश्व के अनुभव से पता चलता है कि कोई राष्ट्र तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक वह थोड़े समय के लिये आवश्यक बलिदान देने के लिये तैयार न हो। आज सभी राजनैतिक दल कहीं न कहीं सत्तारूढ़ हैं। उन्हें जनता को अपनी जिम्मेवारी अनुभव करने के लिये कहना चाहिये।

विशिष्ठ सामाजिक उद्देश्यों के साथ बड़ी योजना की नीति और निर्धारित समय के अन्दर अर्थ-व्यवस्था को स्वतः निर्माण करने वाली बनाने के प्रयत्नों में नियन्त्रणों की पूर्वकल्पना आवश्यक है। यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि इन नियन्त्रणों से अर्थ व्यवस्था पर कोई विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। फिर भी यह ठीक है कि सरकारी तन्त्र कुछ समाज विरोधी तत्वों की हिंसात्मक कार्यवाहियां नहीं रोक सकता। परन्तु इस असफलता से यह नहीं सिद्ध होता कि हमारी मूल नीति में त्रुटि है। इससे यह भी सिद्ध नहीं होता कि यदि हमने इसके प्रतिकूल नीति अपनाई होती तो हमारी सभी समस्यायें हल हो जाती।

अब हमें एकाएक मन्दी का सामना करना पड़ रहा है। बेरोजगारी की समस्या गम्भीर हो गई है तथा हमारी सरकारें अप्रत्याशित संकट में फंस गई हैं। यदि योजना में भारी कटौती की गई तो समूचा राष्ट्र बेकारी और गतिरोध में फंस जायेगा।

हम चाहते है कि खाद्यान्न, दालें; तेल आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं के सम्भरण के मामले में राज्य अपना उत्तरदायित्व पर्याप्त रूप से निभायें। हम चाहते हैं कि राज्य भारत खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्न की वसूली तथा वितरण का कार्य करें।

श्री गु० सिं० ढ़िल्लों (तरन तारन) : कुछ सदस्यों ने इस आयव्ययक को गतिहीन तथा पुराना बताया है तथा कुछ अन्य सदस्यों ने इसे प्रगतिवादी कहा है। यह आयव्ययक गतिहीन तथा रूढ़िवादी नहीं है। देश का विकास करने की प्रक्रिया में हमें करों से अपने संसाधन खड़े करने हैं, देश की आर्थिक स्थिति का बहुत ही सच्चा तथा ठीक ठीक मूल्यांकन करने का श्रेय वित्त मंत्री को है।

माननीय मंत्री ने करों के ढ़ांचे के वैज्ञानिकन का प्रयत्न किया है।

उत्पादन की दर की गति में वृद्धि हुई है। 1948 से पहले उत्पादन में वृद्धि की दर $\frac{1}{2}$ प्रतिशत थी, परन्तु स्वतन्त्रता के बाद और विशेष रूप से योजनायें आरम्भ होने के बाद यह दर बढ़ कर 3 प्रतिशत हो गई है। खाद्यान्न, खाद, सूती वस्त्र, साइकिल, रेडियो, इस्पात तथा एल्युमिनियम का उत्पादन बहुत बढ़ गया है। कहा गया है कि उत्पादन शुल्क तथा अन्य करों से मुद्रास्फीति हो सकती है। यह बात समझ में नहीं आ सकती, वित्त मंत्री के केवल घाटे की अर्थ व्यवस्था न करने के निर्णय से ही मुद्रास्फीति रोकी जा सकती है।

अखण्ड भारत के विभाजन के बाद पंजाब राज्य के भविष्य का निर्णय राष्ट्रीय हित और राज्य के अपने हित की अपेक्षा भावनाओं तथा विचारों के आधार पर किया गया है। विभाजन के बाद किसी भी राज्य की अपनी राजधानी नहीं है। दोनों राज्य संघ राज्य क्षेत्र के केवल किराये दार हैं। भारत सरकार द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिये धन व्यय हो रहा है, जिनसे अन्यथा बचा जा सकता था। अब समय है कि प्रधान मंत्री चण्डीगढ़ के बारे में मध्यस्थ निर्णय दें। इस बारे में निर्णय किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं बल्कि हरियाणा तथा पंजाब की उस समय की सरकारों ने किया था। सरकार बदल जाने का अर्थ यह नहीं है कि कोई राज्य दिये गये वचनों से फिर सकता है, चण्डीगढ़ के भाग्य का निर्णय न होने के कारण केन्द्रीय सरकार प्रशासनिक सेवाओं, परिवाहन, संचार तथा विविध मदो पर भारी धन व्यय कर रही है। यदि चण्डीगढ़ के भविष्य का निर्णय हो जाता तो बहुत राशि बचाई जा सकती थी।

पाकिस्तान के साथ पिछले युद्ध के लाहोर क्षेत्र, खालरा क्षेत्र तथा खेमकरण क्षेत्र सभी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हैं और मुझे यह कहने में हर्ष है कि उस क्षेत्र के सभी लोगों ने उस समय बहुत अच्छा कार्य किया। युद्ध के दौरान खेमकरण नगर लगभग नष्ट हो चुका था। वहां पर लगभग एक लाख रुपये के मूल्य के वाणिज्यिक संस्थानों और दुकानों तथा कारखानों के पुनर्निर्माण के लिये केवल कुछ हजार रुपये ही दिये गये। इसी प्रकार सरकारी कार्यालयों के लिये बहुत कम धनराशि की व्यवस्था की गई। अमृतसर नगर, उसके आस पास के क्षेत्र, फीरोजपुर तथा लुधियाना तक, जिन पर पंजाब को गौरव है, अब निर्जन से लगते हैं। सुरक्षा के अभाव के कारण व्यापारी लोग वहां से छोड़ कर जा रहे हैं। इसलिये, सरकार को

पुनर्वास की उचित सुविधायें प्रदान करनी चाहियें। स्थिति का अनुमान लगाने के लिये उसे उद्योग या वाणिज्य मंत्री को उस क्षेत्र में भेजना चाहिये। इस क्षेत्र की पिछले वर्षों में उपेक्षा की गई है।

श्रीमती सुशीला गोपालन (अम्बलपुजा) : माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि उन्होंने आयव्ययक में जो भी प्रस्ताव रखे हैं, निर्धन तथा पददालित लोगों के हित के लिये रखे हैं। उनका यह कहना ठीक नहीं है, 1951-52 में अप्रत्यक्ष कर 322.4 करोड़ रुपये थे और अब 1967-68 में वह बढ़कर 1888.71 करोड़ रुपये हो गये हैं। अप्रत्यक्ष करों का प्रभाव आम जनता पर पड़ता है। यह कर लगाकर सरकार आम जनता को बहुत हानि पहुंचा रही है। निर्धन तथा धनी लोगों के रहन सहन के स्तर में अन्तर प्रति दिन बढ़ता चला जा रहा है।

राज्य केन्द्रीय सरकारों पर अधिकाधिक निर्भर होते जा रहे हैं। 1951-52 में राज्यों द्वारा केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋणों पर ब्याज 5.2 करोड़ रुपये के लगभग दिया गया। यह राशि 1956-57 में 35 करोड़ रुपये हो गई और अब यह 135 करोड़ रुपये है। राज्यों की अर्थव्यवस्था को स्वावलम्बी बनाने की अपेक्षा सरकार उन्हें केन्द्र पर अधिक निर्भर बना रही है। केन्द्रीय सरकार निरन्तर यही नीति अपना रही है। केन्द्रीय सरकार राज्यों से राजस्व के सभी साधन जुटा रही है और उन्हें ऋण देकर वह राशि ब्याज सहित वापिस लेती है।

हमारे देश में केवल दो राज्य देश के औद्योगिक विकास का लगभग 50 प्रतिशत प्राप्त कर रहे हैं। सभी पिछड़े राज्यों की अवेहेलना की जा रही है। दिल्ली में बढ़ाई गई मशीनों का मूल्य समूचे उड़ीसा राज्य की कुल मशीनरी के मूल्य से अधिक है। आसाम, उड़ीसा, केरल, जम्मू और काश्मीर तथा राजस्थान के कुल मिलाकर 7.2 प्रतिशत मशीनरी की वृद्धि हुई है। यह अकेले गुजरात राज्य की तुलना में कम है, 1959 में केरल राज्य में 2.8 प्रतिशत मशीनरी बढ़ाई गई और 1963 में 2.1 प्रतिशत बढ़ाई गई। केरल राज्य की उपेक्षा की गई है। उन परियोजनाओं को भी आरम्भ नहीं किया गया जिनके बारे में बहुत पहले वचन दिया गया था।

केरल को चावल के लिये अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। हम इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की दया पर निर्भर हैं। यदि केरल में यानिरमुलक परियोजना पूरी कर दी जाती तो हमारे क्षेत्र में 50,000 टन चावल अधिक हो सकता था, परन्तु सरकार ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। फिर भी वे राष्ट्रीयएकीकरण की बातें करते हैं। इन परिस्थितियों मे यह बातें व्यर्थ हैं।

जब तक धनियों को अधिकाधिक प्रोत्साहन देने और निर्धनों पर अधिकाधिक बोझ डालने की बात जारी रहेगी, हमारे देश में परिस्थितियां नहीं बदल सकतीं। अब लोग सरकार को बदलने के लिये तैयार हैं और मेरे विचार में अब वित्त मंत्री को और अधिक आयव्ययक प्रस्तुत करने का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा।

श्री न० कु० माल्वे (बतूल) : आचार्य कृपलानी ने मध्य प्रदेश में सरकार व्यवस्था पर आलोचना की है। उनके एक स्थान पर हार जाने का यह अर्थ नहीं कि सरकारी मशीनरी ने हस्तक्षेप किया है। वह उसी राज्य के एक अन्य क्षेत्र से चुनाव जीते हैं।

आयव्ययक पर सभा के तीन वर्गों द्वारा की गई टिप्पणियां तीन मूल आपत्तियों से पैदा होती हैं। पहली मूल आपत्ति फजूल सरकारी खर्च में मितव्ययता करने की असमर्थता है। दूसरी आपत्ति उत्पादन शुल्कों के लिये वस्तुओं के चुनाव के परिणामस्वरुप अर्थव्यवस्था तथा साधारण व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बारे में है। तीसरी आपत्ति अवरुद्ध अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने तथा औद्योगिक गतिविधि को तीव्र करने के उचित कार्यवाही करने में असफलता के बारे में है।

यह कहा गया है कि वित्त मंत्री ने सरकारी खर्च में मितव्ययता करने के लिये आयव्ययक में कोई व्यवस्था नहीं की है। परन्तु उन्होंने प्रस्तवित कार्य विधियों के बारे में बताते हुए ठीक कहा है कि इस प्रकार के मामलों में वास्तव में सफलता प्राप्त होने पर सफलता का श्रेय लेना सब से अच्छा है। मंत्री महोदय ने आयव्ययक बनाने में बहुत ही न्यायपूर्ण तथा रूढ़िवादी तरीका अपनाया है।

उत्पादन शुल्क से अर्थ व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने तथा उनका जनसाधारण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के सम्बन्ध में कहा गया है। इस सम्बन्ध में आयव्ययक पर भाषण के दूसरे भाग को देखना चाहिये जहां वित्त मंत्री ने तत्काल चिन्ता के क्षेत्रों का उल्लेख किया है और जिनकी आयव्ययक द्वारा पूर्ति किया जाना अनिवार्य है। इनका सम्बन्ध कुछ समस्याओं अर्थात कमी के क्षेत्रों को राहत, बढ़ते मूल्य रोकने, औद्योगिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने और निर्यात व्यापार की प्रतिकूल प्रवृत्ति को बदलने से है। इसके लिये यह आवश्यक है कि न केवल उपलब्ध साधनों को विस्तृत किया जाये बल्कि अतिरिक्त साधन भी ढूंढे जायें।

अप्रत्यक्ष करों के बारे में कुछ परीक्षण किये जा सकते हैं। यह परीक्षण हैं—निर्यात में वृद्धि के लिये घरेलू उत्पादन पर प्रतिबन्ध, ऊंचे लाभ तथा अन्य मद जहां मूल्यों में वृद्धि वांछनीय नहीं है। इन जांचों से यह स्पष्ट हो जायेगा कि यह आरोप बिलकुल ठीक नहीं है कि आम जनता पर बोझा बढ़ रहा है। प्रत्यक्ष करों में वृद्धि करने की गुंजाइश नहीं है। आम जनता द्वारा बचत की गति से यह सिद्ध हो जाता है कि करों की दरों को आगे बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है।

पिछले वर्ष की तुलना में प्रत्यक्ष करों की वसूली में 44·42 करोड़ रुपये की कुल कमी है। यह आवश्यक है कि हम अपनी कर प्रणाली का मूल्यांकन करें। हमारी कर प्रणाली एक भयंकर रोग से पीड़ित है और उसे प्रोत्साहन देने वाली आर्थिक नीति की आवश्यकता है।

हमें ऐसी दीर्घकालीन और स्थिर आर्थिक नीति की आवश्यकता है जो नागरिकों में विश्वास का वातावरण उत्पन्न कर सके ताकि कोई भी ईमानदार नागरिक, जो हमारे देश की आर्थिक

स्थिति सुदृढ़ बनाना चाहता है, उसे कर की दरों में आगे के लिये उत्तरोत्तर कमी करने का आश्वासन दिया जाये ।

प्रत्यक्ष करों के बारे में तीन परिवर्तन करने का मेरा सुझाव है, कर निर्धारिण की छूट की सीमा 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दी जानी चाहिये । वार्षिकी जमा समाप्त कर दी जानी चाहिये । व्यक्ति,पर कर निर्धारण की अधिकतम दर 65 प्रतिशत की जानी चाहिये, यदि ऐसा किया गया तो करों से हमारी आय में वृद्धि हो जायेगी । आयव्ययक को संतुलित करने के लिये मदिरा पर कर लगाया जाना चाहिये ।

श्री हुमायून कबिर (बसिरदार) : माननीय वित्त मंत्री अवमूल्यन के बुरे परिणामों के बारे में सजग हैं और इनका उन्होंने अपने भाषण में उल्लेख किया है । यदि यह देखने के लिये कोई प्रयत्न किया गया होता कि अवमूल्यन का हमारे आर्थिक जीवन के लगभग प्रत्येक पहलू पर प्रभाव पड़ा है, तो इस से मुझे अधिक प्रसन्नता होती । हमारे निर्यात में तो वृद्धि नहीं हुई है परन्तु आयात में वृद्धि हुई है, आर्थिक क्षेत्र के प्रत्येक पहलू पर अवमूल्यन ने अपनी छाप डाली है और उसे मिटाना सरल नहीं है ।

यदि मंत्री महोदय ने इस बुराई को दूर करने के लिये कोई उपाय किये होते तो मैं उनको बधाई देता । अवमूल्यन के बुरे प्रभावों का मैं एक उदाहरण दूंगा यद्यपि इस सम्बन्ध में कई उदाहरण दिये जा सकते हैं । इसका खाद्यान्न पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है । खाद्य वस्तुओं के मूल्य 24 प्रतिशत तक बढ़ गये हैं । यदि केवल खाद्यान्नों को लिया जाये तो मूल्य लगभग 30 प्रतिशत बढ़े हैं ।

अब यह बात तो स्पष्ट हो गई है कि जहां मांगें अधिक हों और संसाधन अपर्याप्त हो वहां योजना की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है । परन्तु प्रश्न यह है कि योजना कैसी होनी चाहिये ? इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारी योजना सैद्धान्तिक अधिक है और व्यावहारिक कम । उसमें जनता की वास्तविक आवश्यकताओं के विषय में कम ध्यान दिया गया है । हमने अपनी योजनायें निचले स्तर से न चलकर ऊपर से चलाई हैं । यदि हम देश के प्रत्येक नागरिक की मूल आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर योजना बनाते, तो हमें कोई कठिनाई न होती । इसके स्थान पर हमारी योजनायें कुछ सिद्धान्तों पर आधारित हैं । वास्तव में हमें रोजगार प्रधान और व्यक्ति प्रधान योजना बनानी चाहिये । इसके स्थान पर हम कभी उद्योग-प्रधान और कभी कृषि-प्रधान योजना की बात करते हैं परन्तु यदि हमारी योजना व्यक्ति-प्रधान और रोजगार प्रधान होती तो कृषि और उद्योग के क्षेत्रों में उत्पादन में बहुत वृद्धि होती । हम जनता में यह भावना पैदा नहीं कर पाये हैं कि वह भी देश के विकास में साझीदार है । इसका मुख्य कारण यह है कि हमारी योजना का आधार सैद्धान्तिक है ।

मैं इस बात से सहमत हूँ कि प्रतिरक्षा के लिये जितने धन की आवश्यकता हो, खर्च किया जाये । परन्तु इस के साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि वह खर्च उपयुक्त ढंग से हो, बेकार में कोई खर्च नहीं किया जाना चाहिये ।

देश की प्रतिरक्षा के लिये जनता की समृद्धि भी आवश्यक है। जनता सन्तुष्ट होनी चाहिये। इसलिये प्रतिरक्षा के लिये खर्च करते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि साधारण व्यक्ति पर इतना बोझ न पड़े कि उनका कोई आशाजनक परिणाम ही न निकले।

[श्री गु० सिं० ढिल्लो पीठासीन हुए
Shri G. S, Dhillon *in the Chair*]

हमारी खाद्य स्थिति संकटग्रस्त है तीन पंचवर्षीय योजनायें समाप्त हो चुकी हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का भी यह दूसरा वर्ष है परन्तु। अभी तक इस योजना का स्वरूप निश्चित नहीं किया जा सका। प्रत्येक योजना में आयात की मात्रा बढ़ती रही है। इसके लिये कहा जाता है कि दो वर्ष निरन्तर सूखा पड़ता रहा है जो केवल एक बहाना है। भारत जैसे विशाल देश में एक जैसी वर्षा की सम्भावना नहीं हो सकती। सूखे का भी तो किसी सीमा तक मुकाबला किया जा सकता है। परन्तु वास्तव में हमने इस पक्ष की ओर ध्यान ही नहीं दिया। प्राय: यह कहा जाता है कि ईश्वर ने हमारा साथ नहीं दिया है। परन्तु ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं और हमने अपनी सहायता नहीं की। वित्त मंत्री को यह घोषणा करनी चाहिये कि चाहे कुछ हो, हम अगले वर्ष पचास लाख टन से अधिक अनाज का आयात नहीं करेंगे, उससे अगले वर्ष 20 लाख टन और तीसरे वर्ष में कुछ भी आयात न करने का लक्ष्य होना चाहिये। यदि सरकार यह धारणा बना कर कार्य करे तो तीन वर्ष के भीतर देश में अनाज की कमी दूर हो जायेगी। देश में जितने अनाज की कमी है वह उचित और एवं समान वितरण से पूरी हो सकती है।

आज हमारा राष्ट्र भिखारी बन गया है। आज हमें जितना अपमान सहना पड़ता है उतना उस समय भी नहीं सहना पड़ता था जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। इस अपमान-जनक स्थिति को समाप्त करना ही होगा। वित्त मंत्री को ऐसे निर्देश देने चाहिये कि तीन वर्ष बाद अनाज का आयात नहीं किया जायेगा।

मैं कृषि के सम्बन्ध में नये तरीकों के प्रयोग का स्वागत करता हूं परन्तु पता नहीं कि वे कितने समय तक चलेंगे। हमारे देश में कृषि में अधिक पैदावार क्यों नहीं होती, इसके मुख्य कारणों में से एक कारण यह है कि अधिकांश लोग स्वयं खेती नहीं करते और उनमें उत्तर-दायित्व की भावना का अभाव होता है। जब तक भूमि सुधार के उपाय नहीं अपनाये जाते और वास्तविक किसान में भूमि के सम्बन्ध में साझीदार होने और स्वामित्व की भावना नहीं पैदा होती तब तक हमारे यहां वैसी पैदावार नहीं होगी जैसी उन देशों में होती है जहां किसान अपनी भूमि का स्वामी होता है।

मैंने विदेशों में देखा है कि किसानों के पास भूमि कम है छोटे छोटे फार्म हैं, परन्तु उनका उत्पादन अधिक है। हमें भी ऐसी स्थिति बनानी है जिसमें अधिक से अधिक किसान भूमि के स्वामी हों और कम से कम लोग भूमिहीन श्रमिक हों। कृषि के क्षेत्र में सब से बुरी बात यह है कि 70 प्रतिशत लोग भूमि पर आश्रित हैं परन्तु भूमि 70 प्रतिशत लोगों को सहारा नहीं दे सकती। कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या घटाने के लिये यह आवश्यक है

कि उन लोगों द्वारा वैकल्पिक व्यवसाय अपनाने के लिये ग्रामीण उद्योगों की स्थापना की जाये। इनसे उन असंख्य लोगों को अंशकालिक रोज़गार मिल सकेगा जो कृषि क्षेत्र में वर्ष के कुछ महीने बेकार रहते हैं ।

मैं रसायनिक खाद का समर्थक हूं। परन्तु रसायनिक खाद पानी और कार्बनिक खाद के बिना, लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होगी। इसी प्रकार सिंचाई की छोटी योजनाओं और कार्बनिक खाद को उपयुक्त महत्व प्रदान नहीं किया गया। आज देश में गाय का गोबर व्यर्थ चला जाता है क्योंकि वह जला दिया जाता है : यदि हम इस स्थिति को बदल नहीं सके तो हम गांव की अर्थव्यवस्था को बदल नहीं सकते। मुझे आशा है कि सरकार इन बातो की ओर पर्याप्त ध्यान देगी ताकि हम कृषि तथा उद्योग के क्षेत्रों का साथ साथ विकास कर सकें और अपनी अर्थव्यवस्था को बदल सकें ।

मुद्रास्फीति और मूल्यों में वृद्धि सब से अधिक ख़तरनाक रोग बन चुके हैं। जब तक हम अपनी वित्तीय नीति को बदल नहीं देते हम इस रोग को दूर नहीं कर सकते। वित्त मंत्री ने कुछ बुराइयों का उल्लेख किया है परन्तु मुझे खेद है कि उन्होंने उन्हें दूर करने के लिये कोई सुझाव नहीं दिये। उन्होंने स्वयं कहा है कि आज अलाभकर वस्तुओं में धन लगाया जा रहा है । इस प्रकार का धन छोटे छोटे उद्योगों में लगाया जाना चाहिये जिससे लोगों को रोज़गार मिल सके और उत्पादन में वृद्धि हो सके। नागरिक सम्पत्ति की भी सीमा निर्धारित की जानी चाहिये। जिसके पास इस सीमा से अधिक सम्पत्ति हो उस पर भारी कर लगाने चाहिये। परन्तु ऐसा करने के स्थान पर आवश्यक वस्तुओं पर कर लगाये गये हैं। वास्तव में हमें उत्पादन में वृद्धि करने के सम्बन्ध में अधिक जोर देना चाहिये। कर इस प्रकार लगाये जाने चाहिये जिससे विषमताओं में कमी हो।

अनाज के साथ साथ सभी अन्य खाद्य पदार्थों में भी सट्टेबाज़ी को बंद किया जाना चाहिये। सरकार को विमुद्रीकरण के विषय में भी सोचना चाहिये । इस से वह धन, जो उद्योगों और आर्थिक गतिविधियों में बाधक बना हुआ है, सामने आ जायेगा । इससे जमाखोरी और चोर बाज़ारी भी बंद हो जायेगी। कर ढाँचे का सरलीकरण किया जाना चाहिये।

आज ईमानदार कर दाता को अधिक तंग किया जाता है। जिस व्यक्ति की आय निश्चित होती है इसे हर स्थान पर परेशान किया जाता है जबकि वे लोग जिनकी आय के विभिन्न साधन हैं, बिल्कुल कर नहीं देते। इस प्रकार के कर-अपवंचन को रोकने के लिये कुछ ठोस कार्यवाही करनी चाहिये।

इसी प्रकार बिक्री-कर के विषय में भी कुछ किया जाना चाहिये। छोटे छोटे दुकानदारों को इतने विवरण देने पड़ते हैं कि ईमानदार व्यक्ति भी बेईमान बन जाता है ।

यदि उत्पादन शुल्क या केन्द्रीय बिक्री कर को वसूल करने का कोई ऐसा तरीका निकल आये जिससे कि सरकार द्वारा एक ही स्थान पर कर लगाया जा सके तो शायद इससे अधिक लाभ हो। एक विशेषज्ञ ने लिखा है कि सरल प्रक्रिया और अधिक युक्तियुक्त कर ढांचे से हमें बिना कोई नया कर लगाये 500 से 600 करोड़ रुपये की अधिक

उपलब्धि हो सकती है। वित्त मंत्री यदि चाय या काफ़ी पर कर लागाने के स्थान पर शराब और स्प्रिट पर कर लगाते तो उन्हें अधिक राजस्व प्राप्त हो सकता था।

मेरे विचार में बेकारी तो बेकारी ही है चाहे वह शिक्षित वर्ग में हो या अशिक्षित वर्ग में परन्तु आज शिक्षित वर्ग की बेकारी अशिक्षित वर्ग के बेकारी से भिन्न है। यदि हम अपने देश से पांच वर्ष के भीतर निरक्षरता को समाप्त करने का कार्यक्रम आरम्भ करें तो अशिक्षित वर्ग में बेकारी नहीं होगी। इसी प्रकार यदि हम गृह-निर्माण या सड़क निर्माण का विस्तृत कार्यक्रम बनाते हैं, तो उससे करोड़ों लोगों को रोज़गार मिल सकेगा। यदि जनता में सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति पैदा की जा सके तो इससे देश की सम्पत्ति में वृद्धि होगी।

योजना, पेट्रोलियम, रसायन और समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : माननीय उप-मन्त्री के विभिन्न सुझावों और नीतियों पर माननीय सदस्यों ने जो प्रकाश डाला है, मैं उनका स्वागत करता हूं। यदि वित्त मन्त्री के भाषण के प्रथम भाग पर ध्यान अधिक दिया जाता तो वर्तमान ढांचे में संशोधन करने और सुधार लाने में अधिक सहायता मिलती। आलोचना करते हुए माननीय सदस्यों को सभी पहलुओं से विचार करना चाहिये था क्योंकि निराशाजनक पक्ष पर ही ध्यान देने से काम नहीं चलता। आलोचक को सतर्क रहने की भी आवश्यकता होती है। किसी भी देश की अर्थ-व्यवस्था का एक ही दृष्टि से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। यदि देश की परिस्थितियों और वर्तमान संसाधनों पर सामूहिक रूप से विचार किया जाये तो पता चलेगा हमने जो कुछ किया है, सही किया है। हमने विकास का एक विस्तृत कार्यक्रम बनाने का वचन दिया है। इसलिये सरकारी व्यय विकासोन्मुख होना चाहिये। परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि जब वित्त मंत्री साधन जुटाने के बारे में सुझाव रखते हैं तो उनकी तीव्र आलोचना की जाती है। हम सरकारी क्षेत्र के विकास के लिये भी वचनबद्ध हैं। परन्तु उसके लिये आवश्यक यह है कि देश में जो बचत हो वह सरकारी खज़ाने को मिले जिससे सरकारी क्षेत्र का विकास हो सके। यदि हम इसके लिये तैयार न हों तो हमें सरकारी क्षेत्र के विकास की बात ही नहीं करनी चाहिये।

आज किसी भी विकसित अर्थ-व्यवस्था में राष्ट्रीय आय का 40 प्रतिशत सरकार द्वारा प्रयोग किया जाता है। उसमें से लगभग 20 प्रतिशत खज़ाने में और सामाजिक सुविधाओं के प्रबन्ध के लिये खर्च में चला जाता है। लगभग 10 प्रतिशत नियोजन में और लगभग 10 प्रतिशत सरकारी खर्च में चला जाता है। हमारी राष्ट्रीय आय कम होने के कारण वित्त मंत्री राष्ट्रीय आय का केवल 8 प्रतिशत ही खज़ाने में लेजा सकते हैं। हमें उत्पादन में वृद्धि करके राष्ट्रीय आय को बढ़ाना होगा। विकास के लिये बचत और नियोजन दोनों में वृद्धि करने की आवश्यकता है। देश की जन-संख्या में वृद्धि होते रहने के कारण हमारी अर्थ-व्यवस्था में कोई प्रगति नहीं हो सकी। गत कुछ वर्षों में इस दिशा में कुछ प्रगति हुई है। यदि हम अपने स्वप्न साकार करना चाहते हैं तो हमें बचत और नियोजन में हमारी राष्ट्रीय आय के 10 से 20 प्रतिशत तक वृद्धि करनी पड़ेगी। प्रत्येक वर्ष हमारी राष्ट्रीय आय का एक प्रतिशत और राष्ट्रीय आय का एक अतिरिक्त प्रतिशत बचत करके उसका नियोजन दस वर्ष की अवधि तक अनवरत रूप से करते रहना होगा। इस प्रकार बचत और नियोजन के कार्यक्रम को बढ़ाना

होगा तभी हमारी अर्थ-व्यवस्था उन्नत होगी । इस सम्बन्ध में यह सुझाव दिया गया है कि यह कार्य प्रत्यक्ष करों में वृद्धि करके किया जाना चाहिये ।

मेरा विश्वास है कि प्रत्यक्ष करों का आधार कम होना चाहिये । वास्तव में वर्तमान वित्त मंत्री ने कुछ वर्ष पूर्व जब कि वे वित्त मंत्री थे प्रत्यक्ष करों का आधार कम कर दिया था । इसका क्या कारण है ? क्योंकि अधिक आय निचले वर्ग को होने वाली है। जिन माननीय सदस्यों की विकसित देशों के करों के ढांचे का पता है वे जानते हैं कि अधिकांश लोग प्रत्यक्ष कर देते हैं । यह आवश्यक है कि अधिक से अधिक व्यक्ति प्रत्यक्ष कर देवें ।

प्रो० कबीर ने करों के ढांचे को सरल बनाने के लिए कहा है । यह किया जा रहा है । मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री का इस दिशा में जो प्रस्ताव हैं उन्हें लेकर सभा के सामने आयेंगे । हमारा प्रयत्न होगा कि लोगों की आय बढ़े तथा वे फिर उसका कुछ भाग करों के रूप में दें । आप उन्हें फिर सामाजिक सेवाओं के रूप में दे सकते हैं । मेरे मित्र डा० लोहिया ने कहा कि उपयोग का व्यय 1500 रु० प्रतिमास से अधिक नहीं होना चाहिए अर्थात 18,000 रु० वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए । इसका अर्थ यह होगा कि 40,000 रु० की आय से ऊपर शतप्रतिशत कर होगा । मैं इसे स्वीकार करने को तैयार हूं परन्तु उससे सरकार को क्या मिलेगा केवल 25 करोड़ रुपये और अधिक । इससे करों की चोरी होगी और आप उसका अनुमान लगा सकते हैं । उन्होंने यह भी कहा कि बनारस के किसी स्कूल के एक नवयुवक ने उन्हें बताया कि इस प्रकार हम 1,000 करोड़ रु० प्राप्त कर सकते हैं । उन्हें चाहिए था कि यह बात वित्त मंत्री को बता देते ।

उत्पादन शुल्क के विरुद्ध बहुत कुछ कहा जा चुका है । यह सच है कि 1950–51 में उत्पादन शुल्क से 67·8 करोड़ रु० वसूल हुए और 1966–67 में 1214 करोड़ रु० । इसमें से आधा रु० तो नई चीजों से आता है । हमें अपनी अर्थ-व्यवस्था में जो परिवर्तन आये हैं उन्हें मानना होगा । दूसरी बात यह है कि हमें आशा है कि चौथी योजना की अवधि में कृषि उत्पादन दुगुना हो जावेगा । यदि ऐसा हो गया तो आपको कृषि से बहुत बचत नहीं हो सकेगी । यह बचत आप उत्पादन शुल्क के द्वारा ही कर सकते हैं । मेरे मित्र श्री डांगे का कहना है कि उत्पादन शुल्क का अर्थ संघर्ष अथवा हड़ताल को निमन्त्रण देना है यदि ऐसा ही है तो उन्हें एक लगातार आम हड़ताल के लिए कार्य करना होगा ।

विदेशी सहायता के विरूद्ध बहुत कुछ कहा गया है । मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम विदेशी सहायता के लिए नहीं लेना चाहते हैं किसी भी विकासशील अर्थ व्यवस्था के योग में दो रुकावटें आती हैं जिसमें वह उलझ सकती है । एक तो बचत का जाल कि आपकी जागत की आवश्यकता अधिक हो और आप उसके अनुसार बचत न कर सकें । इसलिए अपनी बचत को बढ़ाने के लिए आपको बाहर से ऋण लेना होता है । दूसरा जाल है विदेशी मुद्रा का । विकास की अवधि में आपकी विदेशी मुद्रा की मांग उससे अधिक है जो आप स्वयं बचा सकते हैं । उसके लिए अपनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपको विदेशों से विदेशी मुद्रा का ऋण लेना होता है । इस समय हम अपनी राष्ट्रीय आय का 13 प्रतिशत पूंजी के रूप में लगा रहे हैं जबकि हमारी बचत केवल 10 प्रतिशत है । यह 3 प्रतिशत का अन्तर हम ऋणों द्वारा प्राप्त करते हैं । हमारी आयात तथा निर्यात में 600 करोड़ रू० का

अन्तर है। यह अन्तर भी हम ऋणों द्वारा पूरा कर रहे हैं। जैसे कि एक व्यापारी को अपना व्यापार चलाने के लिए ऋण लेना पड़ता है ऐसे ही देश के लाभ के लिए भी ऋण लेना पड़ता है। कुछ समय बाद हम उसे लौटा देंगे।

क्या हम अपना विकास कार्यक्रम समाप्त करना चाहते हैं? हम बचत तथा विदेशी मुद्रा के अन्तर को किस प्रकार समाप्त करना चाहते हैं? यह आश्चर्य की बात है कि एक ओर तो वित्त मन्त्री से कहा जाता है कि अधिक पूंजी लगाओ और जब वह उत्पादन शुल्क लगाता है अथवा बचत के लिए कुछ करता है तो उसकी कड़ी आलोचना की जाती है। मैं विरोधी पक्ष के सदस्यों से कहूंगा कि यह रवैया उनके लिए घातक होगा जब वे स्वयं जिम्मेदारी में होंगे।

भारतीय अर्थ व्यवस्था अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है परन्तु यह अल्पविकसित भी नहीं है। हम विकास के आधे स्तर में हैं। इस समय हम बहुत प्रकार का सामान बना रहे हैं परन्तु फिर भी देश में यह प्रवृति है कि विदेशी सामान को अधिक पसन्द करते हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें अपने ही साधनों पर निर्भर होना होगा। अगले तीन वर्षों में हम यातायात, बिजली तथा बहुत से अन्य मामलों में आत्म-निर्भर होंगे।

यह याद रखना होगा कि जैसे ही आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होगा, आर्थिक नीतियों को भी बदलना होगा। रूस में भी हाल ही में आर्थिक नीतियों में बड़ा परिवर्तन आ गया है क्योंकि विकास की एक सीमा पर पुरानी नीतियाँ बेकार हो जाती हैं।

मुझे प्रसन्नता है कि श्री डांगे ने हमारे सहकारी क्षेत्र के प्रबन्धकों में व्यवहारिकता लाने के लिए कहा है। परन्तु मुझे आश्चर्य होता है कि कहीं श्री डांगे आज कलकत्ता में 165 घेरावों को आशीर्वाद दे रहे हैं। जिसके कारण प्रबन्धकों का मनोबल कम होता जा रहा है। आप उद्योगपतियों तथा पूंजीपतियों के बारे में कुछ करें परन्तु कलकत्ता में तो प्रबन्धकर्ता ही कार्य कर रहे हैं और आप उनके मनोबल को समाप्त कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कलकत्ता से शीघ्र ही प्रबन्धक भाग जायेंगे। क्या श्री डांगे यह पसन्द करते हैं? एक ओर वह व्यावहारिकता की बात करते हैं तथा दूसरी ओर घेरावों के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं।

श्री द्विवेदी ने बड़े जोरदार शब्दों में आय तथा मूल्यों की नीतियों में मेल के बारे में कहा। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने गत पांच वर्षों में बहुत प्रगति की है। क्या मैं उन्हें कह सकता हूँ कि पाकिस्तान को प्रति व्यक्ति हम से तीन गुना अधिक विदेशी सहायता मिलती है। पाकिस्तान इस समय विकास के उस स्तर पर है जिस पर हम पहले अपनी पहली तथा दूसरी पंच वर्षीय योजना के समय थे। जब वे हमारी सीमा पर आयेंगे तो उन्हें भी कठिनाईयां उठाना पड़ेंगी।

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair* }

डा० लोहिया ने कहा है कि 1966–67 में योजना के लिए 2250 करोड़ रू० निर्धारित किया था परन्तु इस वर्ष यह कम है। शायद यह ठीक है। परन्तु पिछले वर्ष भी योजना में

तो में 2250 करोड़ रु० रखे थे परन्तु बजट में केवल 2033 करोड़ रु० ही दे सके। हम नहीं चाहते कि इस वर्ष भी ऐसा ही हो। 1967–68 में केन्द्र के राजस्व में 400 करोड़ रु० की कमी है। इसका कारण खाद्य, पटसन, मेस्ता, तम्बाकू तथा तेल के बीजों के उत्पादन में दो वर्षों से 20 प्रतिशत की कमी हुई है। इसका प्रभाव भारत सरकार के वित्त पर भी पड़ा है।

इस बात को भुलाया नहीं जा सकता कि हमारी अर्थ व्यवस्था का ढ़ाँचा बदल गया है। 1950–51 में हम 30 करोड़ रु० की मशीनें बनाते थे परन्तु आज हम 500 से 600 करोड़ रु० की मशीनों का उत्पादन करते हैं और चौथी योजना के अन्त तक यह 1500 करोड़ रु० पर पहुँच जावेगा।

सिंचाई की उपेक्षा के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। क्या मैं बता दूं कि बड़े तथा मध्यम दर्जे की सिंचाई से गत 16 वर्षों में 140 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई का प्रबन्ध किया है तथा छोटी सिंचाई योजनाओं से 310·6 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हुई है। उत्तर प्रदेश और बिहार में 1966–67 में इतने कुंए खोदे गये जितने गत 16 वर्षों में भी नहीं खोदे गये थे। अब हमारा अनुमान 950 लाख से 1000 लाख टन अन्न उत्पन्न करने का है और कोई कारण नहीं कि इसे पूरा न किया जा सके।

इस समय हम 118 करोड़ रु० अन्न के लिये वित्तीय सहायता के रूप में दे रहे हैं। मुझे आशा है कि जैसे ही खाद्यान्न समस्या में सुधार होगा यह वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

मैं यह मानता हूँ कि हमें चारों ओर देखभाल तथा चौकसी की आवश्यकता है। मुझे अपने लोगों पर पूरा भरोसा है कि उनके दया विश्वास से हमारी आशायें शीघ्र पूरी हो जायेंगी।

श्री विश्वनाथन (वंडीवाश) : अध्यक्ष महोदय भारत की राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त किये 20 वर्ष हो चुके हैं परन्तु उन्होंने अभी तक आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं की है। दिन प्रति दिन यह एकाधिकार के विरुद्ध नारा लगाते हैं परन्तु उसका परिणाम कुछ भी नहीं निकला। इस देश की अर्थ-व्यवस्था का निमन्त्रण केन्द्रीय मंत्रालय अथवा वित्त मंत्री नहीं कर रहे अपितु कुछ दल, 75 बड़े व्यापारी दल जिनमें 1536 कम्पनियां हैं और जिनका कुल आस्तियां 2,365·95 करोड़ रु० हैं वे कर रहे हैं। बिड़ला बन्धुओं का साम्राज्य अशोक तथा अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्यों से भी बड़ा है। जब मैं बिड़ला की बात करता हूं तो मैं उसमें टाटा, डालमिया, जैन, सिंघानिया को भी शामिल करता हूँ।

यह सब क्यों हुआ ? केवल इन्हीं लोगों को लाईसेन्स क्यों दिये गये ? इसका सीधा सा कारण यह है कि उन्होंने कांग्रेस की चुनाव निधि में बहुत चन्दा दिया था। इस बात का समर्थन हजारी प्रतिवेदन में भी मिलता है।

वित्त मंत्री मूल्यों में स्थिरता की बात करते हैं। वह यह भी मानते हैं कि गत तीन वर्षों में 46 प्रतिशत मूल्य बढ़े हैं। केन्द्रीय सरकार ने मूल्यों को बढ़ने से रोकने में कुछ नहीं किया है और साथ ही वह उन राज्यों की भी कोई सहायता नहीं कर रहे जो इस दिशा में कुछ प्रयत्न कर

रहे हैं। उदाहरण के लिए मद्रास सरकार ने गरीब लोगों के लिए वित्तीय सहायता देकर चावल सस्ते दामों पर दे रही है तथा चावल उत्पादकों को भी सहायता दे रही है। उन्होंने इसके लिए केन्द्र से सहायता मांगी परन्तु वित्त मंत्री मद्रास सरकार की सहायता करने को तैयार नहीं है।

आजकल केन्द्रीय सरकार बहुत उग्र दिखाई देती है। वह राज्य सरकारों के क्षेत्रों में दखल दे रही है और दो विधेयक जो इस ने अभी हाल ही में पेश किये हैं अर्थात केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल विधेयक तथा गैर कानूनी गतिविधियां निरोधक विधेयक उसी ओर जाते हैं। मुझे विश्वास है कि इनके बारे में राज्य के मुख्य मंत्रियों को विशेषकर गैर-कांग्रेसी मुख्य मंत्रियों से प्रामर्श नहीं किया।

वित्त मंत्री स्वत: सरकारी व्यय में कमी करने के बारे में कहते हैं परन्तु मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वह मन्त्रियों की संख्या में क्यों नहीं कमी करते। यहां तो बिना विभाग के भी मन्त्री हैं। उनके पास कोई कार्य नहीं है इसलिए उन्हें कोई वेतन नहीं देना चाहिए। राष्ट्रपति भवन की ठाठ बाट को भी समाप्त करना चाहिए क्योंकि यह गरीबों का देश है। इस सरकार ने खर्च में कमी करते समय रूपम रुपयों के नोटों का आकार छोटा कर दिया और गांवों में लोगों को उनका पहचानना भी कठिन हो गया है।

सरकार कम आय के लोगों के बारे में कहते हैं। परन्तु उन्होंने काफी तथा चाय पर कर लगा कर साधारण लोगों को ही हानि पहुँचाई है क्योंकि वही लोग इनका अधिक प्रयोग करते हैं।

भाषा की समस्या के बारे में एक केन्द्र के राज्य मंत्री श्री भागवत झा आजाद ने ऐसा वक्तव्य दे दिया जिसकी आलोचना सारे देश में हो रही है। वह हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। फिर अन्य भाषाओं का क्या बनेगा ? संविधान में जिन भाषाओं का जिक्र है वे भी तो राष्ट्रीय भाषा हैं। भारत सरकार ने अंग्रेजी को सरकारी भाषा अधिनियम 1963 के अनुसार सहायक सरकारी भाषा माना है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने त्रि-भाषी सूत्र माना है। मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ तो इसका यह अर्थ नहीं कि मुझे इस भाषा से प्यार है परन्तु मुझे अपनी भाषा से अवश्य प्यार है। मैं तो कहता हूँ कि इस सदन में भी अन्य भाषाओं के साथ साथ अनुवाद की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक अन्य राष्ट्रीय भाषाओं को अगर सरकारी भाषा स्वीकार नहीं करो अंग्रेजी को लागू रखना चाहिए। मैं संघ लोक सेवा आयोग के इस निर्णय का स्वागत करता हूँ कि उसने 14 अथवा 15 भाषाओं को परीक्षा का माध्यम मान लिया है। यदि आप अंग्रेजी को अभी जारी नहीं रखेंगे तो हमें बड़ी हानि होगी।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (बिल्होर) : मैं वित्त मंत्री को इतना अच्छा बजट पेश करने पर बधाई देती हूँ।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गत तीन वर्षों में 46 प्रतिशत मूल्य बढ़ गये हैं तथा देश में अपूर्व अकाल पड़ा है, अवमूल्यन को सबने मान लिया है कि वह असफल रहा है तथा हमें दो युद्ध अपनी सीमाओं पर लड़ने पड़े और इसके कारण रक्षा बजट 300 करोड़ रु० से

बढ़ा कर 950 करोड़ रु० करना पड़ा तथा जनसंख्या लगभग एक करोड़ प्रतिवर्ष अधिक होती जा रही है। इन परिस्थितियों में क्या कोई इस बजट से अच्छा बजट पेश कर सकता था। मैं विरोधी दलों को चुनौती देती हूँ कि वे इससे अच्छा बजट पेश करें।

मैं यह मानती हूँ कि हम अपने समाजवाद के स्वप्नों को तभी पूरा कर सकेंगे जब कुछ कठोर कदम उठायेंगे।

वित्त मंत्री ने घाटे की अर्थ व्यवस्था को समाप्त करने के लिये कहा है। यह बड़ा साहसी कदम है। अब हम शीघ्र ही अपने लोगों का जीवन स्तर उठाने में सफल हो जायेंगे।

यह बजट उत्पादन बढ़ाने वाला है तथा निर्यात को प्रोत्साहित करता है।

अब हमें यह देखना है कि केन्द्रीय योजना आयोग ने जो योजना बनाई हैं उन्हें गैर-कांग्रेसी राज्य सरकार कार्यान्वित करती है अथवा नहीं क्योंकि संविधान में इसके लिए कोई उल्लेख नहीं है। यह किसी राज्य सरकार को कर समाप्त करने को नहीं कह सकती। उत्तर प्रदेश की सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है जिस पर 10 करोड़ रु० का व्यय होगा। वे इन योजनाओं को कैसे कार्यान्वित करेंगे ? केन्द्रीय सरकार को स्वयं यह देखना चाहिये कि देश के विकास के लिए कौन सी योजनाएं अनिवार्य हैं। यह काम राज्य सरकारों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिये। योजना के क्रियान्वयन के लिये केन्द्र द्वारा जो राज्यों को सहायता दी जाती है वह सब राज्यों को समान रूप से मिलनी चाहिये। उत्तर प्रदेश को केवल 60 प्रतिशत सहायता दी जा रही है। दूसरे परियोजनाओं के मामले में भी उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है। उसे तीसरी योजना में केवल चार परियोजनाएं दी गई हैं, जबकि यहां के संसाधन और क्षमता बहुत अधिक है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय 350 रुपये है जबकि देश में प्रति व्यक्ति आय 430 रुपये हैं। इन सब बातों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

विभिन्न उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये ऋण और छूट की व्यवस्था की गई है। यह बड़ी अच्छी बात है। परन्तु साथ ही सरकार अनेक कम्पनियों के बिलों का भुगतान नहीं कर रही है जिनका सरकार को भुगतान करना है।

आज खाद्य की समस्या सबसे अधिक जटिल बनी हुई है। खाद्यान्नों की लगभग 8 से 10 प्रतिशत कमी है। यह समस्या खाद्य पदार्थों की बर्बादी को रोक कर और किसानों को मुफ्त पानी और खाद आदि देकर, अधिक उत्पादन बढ़वाकर सुलझाई जा सकती है। उदाहरणार्थ पानी के अभाव के कारण उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग को भारी ठेस पहुँच रही है। ऐसी सभी योजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिये जिनसे उत्पादन बढ़े।

सरकार को अपना प्रशासनिक खर्च भी कम करना चाहिये, परन्तु कर्मचारियों की सीधे रूप से छँटनी नहीं की जानी चाहिये।

आजकल उद्योगों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, जबकि कृषि और उद्योग साथ-साथ चलने चाहिये। कारखाने आदि ऐसे स्थानों पर नहीं बनाये जाने चाहिये जहां की भूमि उपजाऊ है। साथ ही अधिक अन्न के उत्पादन के लिये छोटी सिंचाई योजनाओं को शुरू किया

जाना चाहिये। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सफेद मिट्टी है जिसे कृषि योग्य बनाने के लिये सरकार को कोई योजना बनानी चाहिये क्योंकि ऐसी भूमि में भी 20 से 25 प्रतिशत तक दावार की जा सकती है।

श्री सेक्वीरा (गोआ दमण तथा दीव) : सरकार की आय को खर्च करते समय वैसी ही सावधानी सरकारी अधिकारियों को बरतनी चाहिये जैसी वे अपने घर का खर्च चलाते समय बरतते हैं। सरकार फिलहाल इस नीति के अनुसार नहीं चल रही है। साथ ही, मेरा ऐसा विचार है कि जिस संस्था में जितने अधिक कार्यकर्ता होंगे उसमें उतनी कार्यकुशलता कम होगी। अतः मेरा यह सुझाव है कि प्रशासन में कुशलता लाने के लिये आगे भर्ती पर रोक लगा दी जाये तथा सरकारी सेवा से निवृत्ति की आयु 50 वर्ष की जानी चाहिये।

राजस्व से खर्च कम किया जाना चाहिये। ऋणों के भुगतान के अतिरिक्त प्रत्येक मांग में से 4 प्रतिशत कटौती की जानी चाहिये। इससे 87·04 करोड़ रुपये की बचत होगी। इसमें से 43·52 करोड़ रुपया रिजर्व में रखा जाना चाहिये।

सभी सरकारी उपक्रमों का नियंत्रण सीधा जनता द्वारा किया जाना चाहिये और सरकार द्वारा नहीं, क्योंकि सरकार का प्रबन्ध अच्छा नहीं होता। इस प्रकार लोगों के हाथ में अधिक क्रयशक्ति आ जायेगी। 12,500 रुपये तक की आय पर आयकर नहीं लगना चाहिये। 12,501 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक की आय पर से विशेष प्रभार उठा लिया जाना चाहिये। 12,501 से 30,000 रुपये की आय पर कर में 15 प्रतिशत, 30,000 रुपये से 50,000 रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत और 50,000 से एक लाख तक की आय पर 5 प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिये। ऐसा करने से 12,30,000 लोगों के हाथ में 50·95 करोड़ रुपये की आंतरिक्त क्रयशक्ति आ जायेगी।

ऐसा कोई भी कर नहीं लगाया जाना चाहिये जिससे जनसाधारण की आवश्यकता की वस्तुओं का मूल्य बढ़े। अधिकतर कर विलासता की वस्तुओं अथवा ऐसी वस्तुओं पर लगाये जाने चाहिये जिन्हें कम लोग प्रयोग में लाते हैं। चाय, काफी, बनस्पति तेल, साबुन, सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा, मिट्टी का तेल और दवाइयों पर से उत्पादन शुल्क उठाया जाना चाहिये, क्योंकि ये जनसाधारण की आवश्यकता की वस्तुएं हैं। साथ ही तम्बाकू, मोटर स्पिरिट, रेफ्रीजेरेटर्स, एयर-कण्डीशनर्स पर मूल उत्पादन शुल्क दुगुना कर दिया जाये और मोटर कारों, प्रसाधन सामग्री, सिगार और सिगरेट आदि पर मूल उत्पादन शुल्क तिगना कर दिया जाये।

आजकल हमारे खर्च का एक बड़ा भाग प्रतिरक्षा पर खर्च किया जा रहा है। सरकार बड़े-बड़े प्रतिरक्षा संस्थानों की स्थापना कर रही है जिन पर अपेक्षाकृत अधिक खर्च होता है। अतः हमें इनकी अपेक्षा छोटे संस्थान बनाने चाहिये।

मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे मेरे नम्र सुझाओं पर विचार करने की कृपा करें।

* शिव सेना

*** Shiv Sena**

---

* आधे घंटे की चर्चा

* **Half an hour disucssion**

श्रीमती सुशीला गोपालन् (अम्बलपुजा) : पिछले आम चुनाओं के दौरान शिव सेना का संगठन किया गया था यह एक राजनैतिक उद्देश्य को लेकर संगठित की गई थी। चुनाव के दौरान यह शिव सेना लोगों को कुछ क्षेत्रों में डराती रही। ऐसा समाचार भी छपा था कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री का इस संगठन को समर्थन प्राप्त है। सरकार का इसके प्रति जो रवैया है उससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि शिव सेना को सरकार का समर्थन प्राप्त है। पिछले उप चुनावों में भी शिव सेना ने हिंसात्मक कार्य जारी रखा। दो लड़के कत्ल कर दिये गये। लोगों को डराया धमकाया गया। वहां पर शिव सेना ने लोगों का जीवन खतरे में डाल रखा है। इण्डियन एक्सप्रेस जैसे पत्र ने भी इसके विषय में एक पूरा सम्पादकीय लिखा था। जिसमें शिव सेना को राजनीतिक गुण्डागर्दी की संज्ञा दी गई थी। परन्तु इतना कुछ होने पर भी महाराष्ट्र सरकार ने लोगों और मतदाताओं की रक्षा नहीं की। सरकार ने शिव सेना पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया। वह यथापूर्व लोगों में भय उत्पन्न करती रही। यदि महाराष्ट्र की सरकार शिव सेना के दमन करने में असमर्थ थी तो केन्द्रीय गृह मंत्री को इस सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिये थी। मेरे विचार से उन्होंने भी शिव सेना को प्रोत्साहन दिया है है अन्यथा वह शिव सेना की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिये कार्यवाही कर सकते थे। यदि शिव सेना हमारे देश पर हावी होती गई तो यह देश के हित में अच्छा नहीं होगा।

वास्तव में बात यह है कि महाराष्ट्र में बेरोज़गारी की समस्या है। शिव सेना गरीब लोगों और श्रमिकों का ध्यान इस तथ्य से हटाने का कार्य करती है। उनका कहना है कि ये दक्षिण भारतीय, पंजाबी और बंगाली लोग बेरोजगारी आदि के लिये जिम्मेदार हैं। यदि शिव सेना की गतिविधियां इसी प्रकार चलती रही तो यह देश और लोगों के लिये खतरनाक साबित होगा।

अध्यक्ष महोदय : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर अनेक सदस्य प्रश्न पूछना चाहेंगे। इसलिये मैं उसी क्रम से नाम पुकारूंगा जिस क्रम में मेरे पास नाम आये हैं। परन्तु यह मामला हमें आधे घंटे में ही समाप्त करना है।

श्री कृष्ण मूर्ति(कड्डलूर) : शिव सेना को शिवाजी सेना के नाम से भी पुकारा जाता है। ऐसा करना देश भक्त शिवाजी का अपमान करना है। इसका संगठन भाषायी आधार और क्षेत्रीय आधार पर हुआ है मैं यह पूछना चाहता हूं कि शिव सेना की गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार ने क्या किया है। गृह मंत्री ने अब तक इसका दमन क्यों नहीं किया है।

श्री श्रीधरन (बडागरा) : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शिव सेना की गतिविधियों की जांच करने के लिये किसी समिति का गठन किया जायेगा? क्या वह इस बात का खंडन करते हैं कि उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया कि यदि शिव सेना के अधिकारों को कम किया जायेगा तो महाराष्ट्र के लोगों के अधिकार भी कम हो जायेंगे?

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : शिव सेना ऐसे कार्य कर रही है जिससे देश की एकता को खतरा पैदा हो रहा है। उसके कार्य संविधान की धाराओं के प्रतिकूल हैं। क्या सरकार शिव सेना के कार्यों की जांच करायेगी और उसकी अवैध गतिविधियों पर रोक लगायेगी?

अध्यक्ष महोदय : यह महाराष्ट्र या महाराष्ट्रियों का प्रश्न नहीं है। यह एक प्रश्न है जिसका सम्बन्ध बम्बई से है और जिसके बारे में कुछ सदस्यों ने प्रश्न पूछा है। इस सम्बन्ध में सदस्यों के उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गृह-कार्य मंत्री इस प्रश्न का उत्तर देंगे और तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। अब गृह-कार्य मंत्री उत्तर देने की कृपा करें।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं श्रीमती गोपालन तथा अन्य माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि जिन्होंने मुझे इस विषय में सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट करने का अवसर उपलब्ध किया है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज देश में प्रदेशवार तथा भाषावाद का संकीर्ण प्रवृत्तियां फैली हुई हैं। शिव सेना भी ऐसी ही एक चीज है। इस बारे में मेरे तथा महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये गये हैं। मैं यह नहीं मानता कि शिव सेना समूचे महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। प्रान्तीयता की भावना अन्य राज्यों की तरह महाराष्ट्र में भी खड़ी हो रही है। हमें इसे समाप्त करना है। महाराष्ट्र सरकार इसके बारे में पूर्ण रूप से जागरूक है। वहां मुख्य मंत्री ने इस बारे में वक्तव्य भी दिया है और आश्वासन दिया है कि इस अशोभनीय संस्था की गतिविधियों पर नियन्त्रण लगायेंगे।

मेरे गृह-कार्य मंत्रालय के कार्यभार सम्भालने से पहले मैंने बम्बई में एक सार्वजनिक समारोह में शिव सेना की गतिविधियों की निन्दा की थी। हाल ही में मैंने बम्बई में एक पत्रकार सम्मेलन में शिव सेना की आलोचना की थी।

हो सकता है महाराष्ट्र के लोगों की कुछ दिक्कतें या शिकायतें हों। जैसे बेकारी की समस्या है। परन्तु ऐसी समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण ढँग से होना चाहिये। हमारे संविधान में केवल एक प्रकार की नागरिकता को मान्यता दी गई है और सभी नागरिकों को अधिकार है कि देश में जहां चाहे रह सकते हैं। वे अपनी इच्छा का व्यापार कर सकते हैं और सम्पत्ति रखने का भी पूर्ण अधिकार है। इसी प्रकार के और भी समान अधिकार सभी को प्राप्त हैं। इस प्रकार के जनता के अधिकारों देश की सरकारों और जनता का पूर्णतया सम्मान किया जाना चाहिये।

लोगों को रोजगार देने के बारे में संविधान में सभी को समानता की गारंटी दी गई है।

सरकारी उपक्रमों को भी हमने कहा है कि रोजगार के मामले में सभी क्षेत्रों के लोगों को समान अवसर मिलने चाहिये। किसी प्रकार का मतभेद नहीं किया जाना चाहिये। गैर-सरकारी क्षेत्र में रोजगार के मामले मालिकों को चाहिये कि 'सभी को समान अवसर' के सिद्धान्त पर अमल करें।

यदि किसी को उचित शिकायतें हों तो वे दूर की जानी चाहिये परन्तु उन्हें दूर करने के लिये हिंसा का मार्ग नहीं अपनाना चाहिये। लोगों में परस्पर घृणा तथा अराजकता की भावना फैलाना अनुचित है। इस प्रकार की मनोवृत्ति निन्दनीय है और उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिये। मैंने पहले भी कहा है कि किसी की भाषायी वर्ग के विरुद्ध किये जाने वाले आन्दोलन की निन्दा की जानी चाहिये। मैंने शिवसेना को दकियानूसी, हानिकारक

तथा देश की एकता के विरुद्ध बताया था । महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री तथा राजस्व मंत्री ने भी सार्वजनिक रूप में शिव सेना आन्दोलन की निन्दा की है ।

मुझे हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने का आश्वासन भी प्राप्त हुआ है । वहां पर गड़बड़ करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है । कुछ विषयों में जाँच हो रही है ।

इसके पश्चात लोक सभा मंगलवार 13 जून, 1967/ज्येष्ठ 23, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday June, 13, 1967 Jyaistha 23, 1889 (Saka).